A STUDY OF THE SOCIO ECONOMIC CONDITIONS OF FEMALE WORKERS WITH SPECIAL REFERNCE TO ALLAHABAD CITY

कार्यशील महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति इलाहाबाद नगर के संदर्भ में विशेष 'अध्ययन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध–प्रबन्ध

शोधार्थिनी

प्रीति मिश्रा

अर्थशास्त्र विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

पर्यवेक्षक

डा० प्रह्लाद कुमार

रीडर अर्थशास्त्र विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

अर्थशास्त्र विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

दिसम्बर 1993

प्राक्कथन

महिलाएं विश्व की आधी जनशक्ति का प्रतिनिधित्व करतीं हैं। जिनका सहयोग विकासात्मक प्रक्रिया में निरन्तर अपेक्षित है। किन्तु अफसोस, आधुनिकता के इस मशीनरी युग में भी महिलाएं शोषण व उत्पीड़न का शिकार हैं। यद्यपि इस शताब्दी के प्रारम्भ से ही महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग हो उठीं थीं, जब 9 मार्च सन् 1910 ई0 में न्यूयार्क की सड़कों पर सभ्यता के इतिहास में पहली बार महिलाएं अपने अधिकारों की माँग के लिए खुलकर सामने आयीं तब से हर वर्ष 9 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारत वर्ष में 1970 के दशक के उपरान्त महिला आयोग के गठन व इसकी रिपोर्ट के प्रकाशन के साथ ही साथ महिलाओं की समस्याओं से संबंधित अध्ययनों व शोध प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ जिसनें महिलाओं की दशा का स्पष्ट चित्रण किया व देश की योजनात्मक प्रक्रिया में महिला कल्याण सम्बन्धित नया अध्याय जोड़ा। किन्तु इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि आज भी हम महिलाओं की स्थिति सुधारने में पूर्णतः सफल नहीं हो सकें हैं। नारी शोषण के खिलाफ बनाए गए कानून भी अव्यवहारिकता के जाल में फंस कर रह गए हैं। भारत का सामाजिक व सांस्कृतिक परिदृश्य आज भी महिलाओं के पक्ष में नहीं है, आज भी देश में पर्दा प्रथा का प्रचलन है, विधवाएं आज भी प्रताड़ित हो रहीं हैं, आज भी सती व जौहर का इतिहास दोहराया जा रहा है, बाल विवाह का प्रचलन आज भी है, सम्पत्ति अधिकार के बावजूद आज भी महिलाओं को भूमि से आय नहीं प्राप्त हो रही है। आज भी महिलाएं विभेदात्मक नीति का शिकार हैं। यद्यपि महिलाओं ने आज यह सिद्ध कर दिया है कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग दे सकती हैं, आधुनिक महिलाओं ने अपनी कर्मठता व कार्य सजगता द्वारा पुरूष वर्चस्व क्षेत्र में भी प्रवेश पा लिया है, किन्तु उनका योगदान विशेष रूप से नगरीय क्षेत्र में कार्यशील महिलाओं की संख्या कम क्यों है, यह एक ज्वलन्त प्रश्न हैं।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य नगरीय क्षेत्र से सम्बद्ध कार्यरत महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना व उनकी समस्याओं पर विचार करना है। अध्ययन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू कार्यरत महिलाओं के अवैतनिक कार्यों की प्रकृति व उनके आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालना है। जो स्पष्ट रूप से वर्तमान वेतनभोगी महिलाओं की भूमिका को परिलक्षित करता है व अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की सामाजिक स्थिति को भी दर्शाता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के अन्तर्गत हमने मात्र इलाहाबाद नगर की संगठित क्षेत्र की कार्यरत महिलाओं की इकाई का अध्ययन किया है, जो निश्चय ही संगठित क्षेत्र की महिलाओं की समस्याओं को प्रतिबिम्बित करने में सक्षम है। साथ ही इसके द्वारा हम नगरीय क्षेत्र में महिला श्रम भागीदारी की अल्पता का कारण ढूँढ़नें में भी सहायता प्राप्त हुई है।

मैं गुरूवर्य डा० प्रहलाद कुमार, रीडर अर्थशास्त्र, इलाहाबाद विश्व विद्यालय की विशेष रूप से आभारी हूँ, जिनकी औदार्यपूर्ण, विद्वत्तापूर्ण छाया व स्नेहिल मार्गदर्शन के बिना शोध अध्ययन असम्भव था, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हमें कृतार्थ किया ।

मैं अपने परिवारजनों व मित्रों की आभारी हूँ जिन्होंने शोध अध्ययन में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से हमें लाभान्वित किया । मैं अपनी सहपाठिनी कु० तापसी चक्रवर्ती की विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न कराने में अपना अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया ।

मैं अर्थशास्त्र विभाग के समस्त गुरूजनों की ऋणी हूँ जिन्होंने शोध प्रपत्र अध्ययन के दौरान अपने उपयोगी सुझावों से शोधकर्ता के मनोबल में वृद्धि करके कमियों को दूर करने में सहायता प्रदान की ।

मैं गिरी विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ के प्रो० ए०के० सिंह के प्रति अपना विशेष आभार प्रगट करना चाहूँगी जिन्होंने न केवल अपनी महत्वपूर्ण सुझावों से ही हमें लाभान्वित किया वरन् शोध अध्ययन विधियों

से सम्बन्धित साप्ताहिक कार्यशाला में मुझे आमन्त्रित कर सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद से सम्बन्धित विद्वानों के सम्भाषण श्रृंखला को सुनने व उनके महत्वपूर्ण विचारों से अवगत कराने का सुअवसर प्रदान किया।

मैं नगर महापालिका के अधीक्षक महोदय, अर्थ व सांख्यिकी विभाग इलाहाबाद के निर्देशक, तथा जनगणना विभाग कर्मचारियों की भी आभारी हूँ, जिन्होंने हमें इलाहाबाद नगर के संदर्भ में जानकारी ज्ञात करने में मदद प्रदान की।

मैं अर्थशास्त्र विभाग के पुस्तकालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कर्मचारियों की भी आभारी हूँ जिन्होंने पुस्तकालय अध्ययन में यथा-सम्भव मदद की। साथ ही मैं गिरी विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ तथा गोविन्द वल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान के पुस्तकालय कर्मचारी वर्ग की भी आभारी हूँ जिन्होंने अध्ययन के दौरान पर्याप्त सहयोग प्रदान किया।

अन्त में मै अपने निदर्शन की समस्त महिलाओं को धन्यवाद देना चाहूँगी जिनके सहयोग के बिना अध्ययन सफल नहीं हो सकता था।

आभारी,
Preeti Mishra
प्रीति मिश्रा
शोध छात्रा
अर्थशास्त्र विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

दिनांक
दिसम्बर 1993

अध्याय सूची

प्रस्तावना

भारतवर्ष एक महान् सभ्यता व संस्कृति का देश है जहां सदैव से ही नारी जाति की पूजा होती रही है।

"यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता : ।
यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रफल: ।।

अर्थात् जहाँ नारी जाति की पूजा होती है वहाँ देवता रमते हैं, जहां नारी की पूजा नही होती वहां किसी भी फल की प्राप्ति नही होती।

प्राचीन काल में नारी के प्रति हमारे जीवन का यही मूल मंत्र था । उस समय नारी भी पुरूषों के साथ हर क्षेत्र में हाथ बटाती थी, शास्त्रार्थ करती थी, प्रशासनिक कार्यों में सुझाव देती थी। उनका समाज में उच्च स्थान था। उस अवस्था में हम समृद्ध थे, सुसम्पन्न थे।

समय परिवर्तनशील है। समय के साथ मानव भावनाएं भी बदला करती हैं। मध्य युग आया उसमें नारी का स्वरूप कुछ और ही हो गया, वह घर की चहारदीवारी के अन्दर ही जीवन व्यतीत करने लगी। उस समय भी नारी दुर्बल नहीं थी, किन्तु क्रूर मानव जाति ने उसे अपनी बुद्धि से गिरा दिया। हम नारी जाति का आदर करना भूल गए और आगे चलकर यही हमारी अवनति का प्रमुख कारण बना ।

नि:संदेह जो कमियां भारतीय सामाजिक जीवन में कुठाराघात कर रहीं हैं उनमें सबसे बड़ी कमी यह है कि आज नारी की अवहेलना की जा रही है। उसे उसके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। नारी ने गृहलक्ष्मी होने का जो भार अपने ऊपर लिया था उसके कारण घर से बाहर के कार्यों में उसका बहिष्कार होने लगा और धीरे-धीरे वह अबला बन गयी। जिस धर्म को नारी ने प्रेमवश अपने ऊपर धारण किया था वह पुरूषों की स्वार्थ परायणतावश उसके ऊपर लादा जाने लगा। स्त्रियों को जीवन गाड़ी के

दो चक्रों में से एक समझी जाती थी वह दासी व उपभोग की वस्तु बन गई स्त्रियों ने जिस प्रेम और आत्म बलिदान की भावना से पुरुषों का दासत्व स्वीकार्य किया था वही आज उनके लिए अभिशाप बन गयी। उसकी प्रतिभाओं पर कुठाराघात किया जाने लगा । आज हम 21वीं सदी की ओर आगे बढ़ रहें हैं। देश में यन्त्रीकरण व कम्प्यूटर का प्रयोग भी प्रारम्भ हो गया है, सर्वदा विकासात्मक लक्ष्य प्राप्ति हेतु होड़ लगी है किन्तु इस विकासात्मक युग में भारतीय महिलाओं की दशा पहले से बेहतर होने की अपेक्षा और भी खराब होती जा रही है अर्थात् हमारे देश की आधी जनसंख्या अपने अधिकारों का सदुपयोग न कर हीनावस्था में जीवन व्यतीत कर रही है। आज भी हम स्त्री जाति को नागरिक या मनुष्य की अपेक्षा मात्र अबला ही मानते हैं। नारी आज भी दूसरे दर्जे की नागरिक है। जन्म से ही उसे हम भार मानते हैं।

अन्ततः इसका कारण क्या है ?

क्या वह मनुष्य नहीं है ?

क्या उसके पास शक्ति व बुद्धि का अभाव है ?

जीवन के पहले कदम से ही स्त्रियों को संघर्ष का सामना करना पड़ता है, और आज जब यह महिला वर्ग शिक्षा प्राप्त कर पुरूषों की बराबरी में खड़ी होकर विभिन्न कार्यों की ओर अपना हाथ बढ़ा-ती है तो उसे अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस संघर्ष की भीड़ में ही उसकी प्रतिभा कुचल जाती है, वह योग्य होते हुए भी उस खुशहाली सुविधा व अधिकारों से वंचित रह जाती है जो उसे प्राप्त होनी चाहिए ।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि जहां कहीं भी इस प्रतिभा को पल्लवित व प्रफुल्लित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ उसने अपनी कला का समुचित सदुपयोग किया चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, क्रीडा का क्षेत्र हो, प्रशासनिक व न्याय सेवा का क्षेत्र हो, देश की रक्षा का प्रश्न हो या

साधारण गृहणी का, पत्थर तोड़ने का कार्य हो या फिर सिर पर बोझा ढोने का अथवा मशीनों पर तकनीकि देख रेख का कार्य हो, आधुनिक नारी ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन का कोई कार्य ऐसा नही है जो उसकी शक्ति व सामर्थ्य से बाहर हो, कर्तव्य परायणता व कर्मठता ने उसकी शारीरिक कमजोरियों पर भी विजय प्राप्त कर ली है। निश्चय ही उसमें शक्ति व सामर्थ्य का अभाव नहीं है वरन् आवश्यकता है बस उसे भी पुरूषों के समान अधिकार देने की, उसे भी समाज में समान दर्जा देकर अपनी विद्वता को मुखरित करने का अवसर प्रदान करने की। राष्ट्रीय उन्नति हेतु उसका सहयोग परम् आवश्यक है। मात्र आधी जनसंख्या के सहयोग से देश का आर्थिक विकास असम्भव है जैसा कि स्वामी विवेकानन्द के कथनानुसार --

"There is no chance for the welfare of the world unlex the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly on only one wing."

निश्चय ही राष्ट्रीय उन्नति के लिए सभी योग्य मानव जाति की योग्यता का सदुपयोग परम् आवश्यक है।

भारत में यद्यपि आजादी की चिनगारी एक महिला (लक्ष्मीबाई) नें ही दी और आजादी के उपरान्त एक महिला ने ही (श्रीमती इन्दिरा गांधी) राष्ट्रीय उन्नति में सर्वाधिक योगदान दिया किन्तु आज भी जागरूक महिला वर्ग को समाज से संघर्ष का सामना करना पड़ता हैं। जागरूक शिक्षित कार्यशील महिला को अनेक घरेलू जिम्मेदारी का पूर्णतः निर्वाह करना पड़ता है, हमारे समाज का स्वरूप आज भी पुरानी रूढ़िवादी भावनाओं से ग्रस्त है, शायद यही कारण रहा है कि शहरी क्षेत्र में महिला श्रम भागीदारी कम रही है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य श्रम क्षेत्र में महिलाओं की अल्प भागीदारी पर विचार करना, व कार्यशील महिलाओं की सामाजार्थिक

स्थिति का विश्लेषण करना है। विषय पर गूढ़तापूर्वक विचार करने हेतु, मात्र संगठित क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया है, अध्ययन का व्यष्टिभावी क्षेत्र मात्र इलाहाबाद नगर रहा है।

प्रस्तुत अध्ययन तीन भागों में विभक्त है, अध्ययन का प्रारम्भिक पक्ष ऐतिहासिक अवलोकन से सम्बद्ध है जिसके अन्तर्गत हमने वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक महिलाओं की स्थिति का अवलोकन किया है व आर्थिक परिपेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण किया है। द्वितीय भाग में सर्वेक्षण प्रक्रिया व सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों की विवेचना की है।

तृतीय भाग में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु कुछ सुझाव देने का प्रयत्न किया है।

भारतीय महिलाओं की स्थिति : एक ऐतिहासिक अवलोकन

वर्तमान परिपेक्ष्य में महिलाओं की अस्मिता भूमिका व महत्ता ज्ञात करने से पूर्व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर उसकी स्थिति का अवलोकन आवश्यक है।

ऐतिहासिक अवलोकन को हम मुख्यता तीन काल चरणों में विभाजित कर अध्ययन करेंगे ।

1- प्राचीन काल (पूर्ववैदिक काल से पूर्व मध्य काल 1200 ई0 तक)
2- मध्य काल (पूर्व मध्य काल से पूर्व आधुनिक काल 1200 ई -1756 ई0)
3- आधुनिक काल (पूर्व आधुनिक काल से अब तक)

प्राचीन काल में भारतीय नारी की स्थिति -

भारतीय इतिहास के अरूणोदय काल में स्त्री जाति का आदर होता था। वैदिक काल में प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्यों में वह पति के साथ नियुक्त होती थी। पति के साथ पत्नी के बैठे बिना कोई भी पूजन अथवा धार्मिक कृत्य पूर्णत्व को प्राप्त नही होता था। राज्य के कार्यों में राजा के साथ रानी ऐसी लगी रहती थी मानों वह एक अत्याज्य संगनी हो। सांसारिक कार्यों व घर के कार्यों में स्त्री का विशेषाधिकार होता था। अपने बच्चों की माँ के रूप में उसका आसन पति से ऊँचा ही रहता था। विद्वता व पाण्डित्य में भी वह अपने भाई या पति से पीछे नही रहती थी।

इस युग की महिलाएं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सार्थक भूमिका निभाती थीं। महिलाएं साहित्य, विज्ञान, कला, गणित, शास्त्रार्थ, ललित कला, नृत्य, गायन, चित्रकला, शस्त्र विद्या, सिलाई-कढ़ाई, राजनीति शास्त्र, प्रशासनिक कार्य कलाप, चिकित्सा, विज्ञान, धर्म दर्शन सभी विद्याओं से परिचित थी।

साहित्य के क्षेत्र में हमें अनेक ऐसी नारियाँ मिलतीं हैं जिन्होंने श्लोकों की रचना की जिसमें से प्रमुख हैं घोषा, विश्ववरा, गोधा, अपाला, उपनिषद् ब्रह्मजाया, इन्द्रमाता, उर्वशी, मेधा, इन्द्राणि आदि। अभिज्ञान शाकुन्तलम से ज्ञात होता है कि शकुन्तला को श्लोक की रचना का ज्ञान था। इन्दुलेखा व विकन्तिनितम्बा द्वारा रचित श्लोक भी शुभाषितावली में संग्रहित है। कवियित्री बाला सरस्वती और विमला सरस्वती द्वारा रचित पद शक्तिमुक्ता में संग्रहित हैं। हाले का गाथे में सात कवियित्रियों के नाम आते हैं ये हैं रेवा, रोहा, माधवी, अनुलक्ष्मी, पाहयि, वाधावही और श्री प्रभा ।

मात्र साहित्य ही नहीं वरन् गणित का भी महिलाओं को ज्ञान था, प्रसिद्ध गणितज्ञ भास्कराचार्य की पत्नी लीलावती गणितज्ञ थी।

शास्त्रार्थ में भी महिलाएं निपुण थीं जिसमें सुलभा, गार्गी, मैत्रीय प्रमुख हैं। मण्डन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में हराया था। प्रसिद्ध कवि राजशेखर की पत्नी अवन्ती सुन्दरी भी विदुषी थी।

यद्यपि वैदिक कालीन स्त्रियां राजनीति से दूर रहीं पर राजघरानों की स्त्रियाँ राजनीति में विशेष रूचि रखती थीं, जिनमें तारा, द्रौपदी, कुन्ती के नाम प्रमुख रूप से आते हैं। किन्तु उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को राजनीति व प्रशासन में अच्छा स्थान प्राप्त था और आवश्यकता पड़ने पर वह सत्ता सम्भालने से भी पीछे नहीं हटीं। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव की पत्नी शिलमहा देवी ने 786 ई० में सत्ता सम्भाली। कश्मीर में 10वीं शताब्दी में सुगन्धा व दिद्दा ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात सत्ता सम्भाली। राजपूत व मराठों में भी अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि महिलाओं को प्रशासनिक ज्ञान था।

स्त्रियां धर्म व दर्शन में भी रूचि रखतीं थीं बौद्ध व जैन मठों में भी महिलाएं कार्य करतीं थी। याज्ञवल्क की पत्नी मैत्रीय ने अनावरत व सांसारिक वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त किया था। ऐसा उल्लेख मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि सुक्का नामक भिक्षुणी को बौद्ध धर्म के सिद्धान्त में महारथ हासिल था और उन्होंने राजगृह की भीड़ में ओजस्वी भाषण दिया था।

चिकित्सा विज्ञान का भी महिलाओं को अच्छा ज्ञान प्राप्त था अपाला ने स्वयं कुष्ठ रोग का इलाज किया था।

प्राचीन भारत के कुछेक व्याख्यानों से ज्ञात होता है कि महिलाओं को सैन्य शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। राजपूत वंशीय महिलाएं शिकार खेलने व राष्ट्रीय प्रक्रिया में सृजनात्मक रूप से भाग लेतीं थीं।

आर्थिक क्षेत्र में पति पत्नी संयुक्त रूप से सम्पत्ति के अधिकारी थे। महिलाएं कृषि क्षेत्र में सार्थक भूमिका निभातीं थीं इसके अतिरिक्त युद्ध के अस्त-शस्त्र बनाना, टोकरी बनाना, सिलाई-कढ़ाई जैसे कार्यों में भी निपुण थीं। कुछ महिलाएं सशस्त्र रक्षक सेवक के रूप में भी पाई गई हैं। उत्तर वैदिक कालीन पुत्रियां सुशिक्षित था। भ्रातविहीन पुत्रियां शव दाह में भी भाग लेतीं थीं। इस काल में विधवा स्त्रियां पति के शव के साथ सती नहीं होतीं थीं (ऐसा उदाहरण नहीं मिला है।) विधवा महिलाएं अपने देवर के साथ विवाह कर रह सकतीं थीं। महिलाएं स्वतंत्र रूप से परिवार चलातीं थीं।

पर्दा प्रथा का विशेष प्रचलन नहीं था, महिलाएं स्वतंत्र रूप से समाज में विचरण करतीं थीं महिलाओं को समान धार्मिक स्थान प्राप्त था कुछ महिलाएं धर्म व ज्ञानार्जन हेतु अविवाहित रहतीं थीं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विभिन्न वर्ग की स्त्रियाँ अपनी आवश्यकता व योग्यतानुसार कार्यों में संलग्न रहीं व आवश्यकता पड़ने पर अपनी योग्यता व क्षमता का समयोचित प्रदर्शन भी किया। किन्तु जहाँ तक उसके अधिकारों का प्रश्न है वह पुरुष के पीछे या पुत्र के न होने पर पुत्री को सम्पत्ति का अधिकार था। जैसा कि मनु- स्मृति से स्पष्ट है कि स्त्रियां बचपन में पिता के नियन्त्रण में यौवन में पति के नियन्त्रण में व पति की मृत्यु पर पुत्र द्वारा नियन्त्रित थीं।

निश्चय ही वही स्त्रियां अपनी योग्यता का उपयोग कर सकतीं थीं जिनके पति या पिता उदारवादी विचार के थे वह पूर्णतः पुरुष प्रधान समाज से बंधी थीं।

निःसंदेह वैदिक कालीन युग में यद्यपि महिलाओं पर पर्दा प्रथा जैसा अंकुश नहीं था किन्तु वही महिलाएं अग्रणी व कार्यक्षम थीं जिन्हें पारिवारिक सदस्यों का पर्याप्त सहयोग प्राप्त था।

मध्यकाल में भारतीय नारी की स्थिति -

भारतीय इतिहास में मध्य काल विदेशी आक्रमण का काल था इस युग में हमारे देश हमारे जीवन हमारी प्रभुता और राजनीति सब ओर से पतन हो गया था स्त्री जाति भी अपने उच्चासन से नीचे हो गई।

ऐतिहासिक परिवेश में कुछेक ऐसी घटनाएं हुई युद्ध, लूट, अपहरण और क्योंकि विदेशी आक्रमणकर्ता यहीं बस गया अतः यहां की स्त्रियों को हरम व अन्य स्थानों में ले जाया गया अतः ऐसी स्थिति में भारतीय नारी असुरक्षित हो गई अब वह घर की चहारदीवारी तक सीमित हो गई शैक्षणिक संस्थाओं में उसका प्रवेश वर्जित हो गया। भारतीय स्त्रियों का आसन पीछे हो गया उसकी स्थिति घटते-घटते एक चल सम्पत्ति के समान हो गई स्त्रियों का क्षेत्र घर की चहारदीवारी तक सीमित हो गया और पर्दा प्रथा का अभ्युदय हुआ और साथ ही जौहर प्रथा व सती प्रथा का भी जन्म हुआ। इस सुप्तावस्था में भी वह प्राचीन ज्वाला कभी प्रस्फुटित हो पड़ती थी क्योंकि स्त्रियां मात्र घर के भीतर सीमित हो गई अतः वह धर्म की ओर अधिक आकृष्ट हुई। ऐसी ही स्त्रियों में मीराबाई जैसी संत व कवियित्री निकलीं। राजनीति के क्षेत्र में अकबर की रानी जोधपुरी बेगम और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया। मुस्लिम शासकों के बीच यद्यपि स्त्रियां उपेक्षित थीं फिर भी मरूभूमि में उद्यान की भांति रजिया बेगम और चाँदबीबी जैसी राज्य सत्ता सम्भालने वाली रानियाँ और औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा जैसी कवियित्रियां उत्पन्न हुईं।

राजघरानों की स्त्रियां राजनीति में भाग लेतीं थीं। रजिया ने अपने पिता इल्तुतमिश को इतना प्रभावित किया कि उसकी योग्यता से प्रभावित होकर अपने ज्येष्ठ पुत्र नसरूद्दीन महमूद की मृत्यु के उपरान्त रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया (1229 ई0) रजिया ने अपने प्रशासन से सबको प्रभावित भी किया पर सामाजिक प्रतिक्रिया इसके अनुकूल न रही, मुस्लिम पुरुषों को महिला के संरक्षण में कार्य करना अच्छा न लगा । मुगलकाल

में नूरजहां ने प्रशासन कार्य में सहभागिता की व प्रशासन की बागडोर भी सम्भाली। शाहजहाँ के समय मुमताज महल भी प्रशासन में दबाव डालतीं थीं। औरंगजेब की बहन रोशनआरा ने भी राजनीति में सार्थक भूमिका निभाई। मुगलों से अलग हिन्दू महिलाओं की भूमिका भी विशेष रहीं। मेवाड़ के राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने युद्ध भूमि में वीरता प्रदर्शित की। रानी दुर्गावती ने अपने पति दलपत की मृत्यु के उपरान्त 1548 ई0 में राज्य काज सम्भाला और वीरता के कारण प्रसिद्धी भी प्राप्त की।

यद्यपि मुगल कालीन नारियां शिक्षा से अछूती न रहीं वह पढ़ाई-लिखाई व रचनात्मक प्रक्रिया से निरन्तर जुड़ी रहीं। अकबर के शासन काल में राजमहल में नियमित पढ़ाई की व्यवस्था थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में लड़कियों की पाठशाला का भी निर्माण कराया। शाहजहाँ व औरंगजेब ने अपनी पुत्रियों को पढ़ाने हेतु अरबी फारसी की शिक्षिका नियुक्त की। जान बेगम, अब्दुल रहीम खान खाना की पुत्री को कुरान का अच्छा ज्ञान था और इसकी टिप्पणी के लिए उसे अकबर ने 30,000 दीनार का पुरस्कार भी प्रदान किया। नूरजहाँ ने जामा मस्जिद में एक मदरसे की भी स्थापना कराई। शिक्षा के साथ-साथ चित्रकला, नृत्य, गायन व सजावट से भी महिलाएं प्रभावित थीं। पूरण मानसिंह की पत्नी रत्नावली अच्छी गायिका थीं मानसिंह की रानी मृगनयनी भी गायिका की उस्ताद थी, मीराबाई अच्छी गायिका होने के साथ-साथ पदों की रचना स्वयं करतीं थीं।

किन्तु शिक्षा ज्ञान राजनीति व प्रशासन में सहभागिता मात्र उच्च वर्गीय महिलाओं तक ही सीमित रहा निम्न व मध्यम वर्गीय महिलाओं की स्थिति अधिक शोचनीय रही।

जन समाज में महिलाओं की स्थिति शोचनीय थी महिलाओं का आदरपूर्ण स्वरूप लुप्त प्राय सा हो गया। उनका कार्यक्षेत्र घरेलू आंचल तक सीमित रह गया नौ-दस वर्ष की आयु में विवाह अनिवार्य हो गया सती प्रथा ने जोर पकड़ा

पति की मृत्यु होने पर जबरदस्ती उनकी पत्नियों को जलाया जाने लगा पर्दा प्रथा का प्रचलन जो मात्र मुस्लिम सम्प्रदाय तक सीमित था हिन्दू महिलाओं में भी बढ़ने लगा। सामान्य वर्ग की बालिकाओं मे शिक्षण का प्रचलन कम हो गया। कभी-कभी उनके पिता शिक्षण का कार्य करते थे।

भक्ति मार्गी शाखा से प्रभावित कुछ नारियों नें साहित्य सृजन में भाग लिया व पदों की रचना की। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति से प्रभावित हो पदों की रचना की। गंगाबाई ने जो कि बिट्ठल दास की शिष्या थी व कृष्ण के बाल स्वरूप की उपासिका थी उन्होंने भी पदों की रचना की। 16वीं शताब्दी में बंगाल में चंद्रावती नामक कवियत्री ने रामायण की रचना की जो कि काव्य सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध हुई। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने दोहा, सोरठा की रचना की। 17वीं शताब्दी में खगनिया नें पहेली की रचना की जो बहुत प्रचलित हुई।

इस प्रकार यद्यपि अपवाद स्वरूप कुछ नारियों की प्रतिभा के दर्शन होतें है तथापि इस काल में महिलाएं अपनी स्थिति से नाखुश थीं। वह मात्र घरेलू काम काज को सेविका थी। पति की मृत्यु के पश्चात उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं था उसे जबरदस्ती आग की लपेटों में घर की मान-मर्यादा की रक्षा हेतु दफन कर दिया जाता था।

आधुनिक काल में भारतीय नारी की स्थिति -

भारतीय इतिहास में आधुनिक काल महिलाओं की स्थिति में पुनः उत्कर्ष का काल था। इस समय की महिलाओं की स्थिति को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं।

पहला : 19वीं शताब्दी के पूर्वान्ह का समय

दूसरा : 19वीं शताब्दी के अपराहन का समय

जहाँ 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध का समय महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों के शिखर का काल था वहीं 19वीं शताब्दी के अपराहन का काल पुर्न जागरण, राष्ट्रीय चेतना व समाज सुधार का काल था। बौद्धिक ज्ञान की प्रगति के साथ ही साथ स्वतंत्रता आन्दोलन हेतु समाज के समस्त सहयोग की भी आवश्यकता महसूस की गई। विश्व में हुई नारी मुक्ति आन्दोलन से भारतीय महिलाएं भी प्रभावित हुई। प्रबुद्ध नारी शक्ति ने नारियों के उत्कर्ष हेतु संगठन बनाए व नारी मुक्ति आन्दोलन तथा विभिन्न समाजार्थिक अधिकारों की माँग की गई।

19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में महिलाओं की स्थिति -

19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में महिलाओं का स्तर निम्न कोटि का था। सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नीवाद जैसी प्रथाएं प्रचलित थीं। ऊँची जाति की विधवाएं पुन: विवाह नहीं कर सकतीं थीं व उनकी दशा अत्यधिक दयनीय थी। महिला का स्थान मात्र घर परिवार तक सीमित था उसके ऊपर उसके पति बुजुर्गों व ससुराल जनों का लौह हस्त था। महिलाओं को शैक्षणिक व्यवसायिक सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकार प्रदान करने के बजाए उन्हें घर परिवार की चहारदीवारी तक सीमित रखा गया। उन्हें अपनी रूचि प्रदर्शित करने के मात्र दो साधन थे, पाक कला व सिलाई-कढ़ाई। कानून और धर्म दोनों ही स्त्री पुरूष को समान स्तर नहीं प्रदान करते थे। पुरूष अधिक शक्तिशाली व अधिकार युक्त थे पुरूषों के पास वे अधिकार व स्वतंत्रताएं थीं जिनकी स्त्रियों को मनाही थी।

गरीब परिवार की महिलाएं अधिक स्वतंत्र थीं, वह इसलिए नहीं कि उनके परिवार के पुरूष जन कहीं अधिक स्वतंत्र विचारों के थे वरन् इसलिए कि उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें घर तक सीमित रखने में सक्षम नहीं थीं।

गरीब परिवार की महिलाएं रोजमर्रा के कार्य जैसे लकड़ी लाना, पानी लाना सब्जी व फल इकट्ठा करना जैसे कार्य करतीं थीं। इसी प्रकार गरीब परिवार की महिलाएं घर से बाहर के कार्य करतीं थीं और ऊँची श्रेणी की महिलाओं की अपेक्षा कहीं अधिक स्वतंत्र थीं निम्न वर्ग की स्त्रियां शायद ही पर्दा रखतीं थीं और उनमें से कई स्त्रियां पुनर्विवाह का अधिकार रखतीं थीं।

एक स्त्री का माँ और बहन के रूप में समाज में बहुत सम्मान था किन्तु एक प्राणी के रूप में उनकी स्थिति बहुत निम्न थी। यह समझा जाता था कि औरतों के पास उनका कोई व्यक्तित्व नहीं है।

मध्य वर्गीय व उच्च वर्गीय महिलाएं अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अत्यधिक सामाजिक दबाव से ग्रसित थी। पर सामाजिक स्वरूप कुछ ऐसा था व यह बंधी हुई व्यवस्था कुछ इस प्रकार की थी कि महिलाओं ने इसे ही अपनी नियति समझकर उसे स्वीकार्य कर रखा था।

यह सत्य है कि इस काल में भी कुछ ऐसी स्त्रियों ने जन्म लिया जिन्हें साहित्य कला दर्शन प्रशासन और यहाँ तक कि कुछ कौशल तक का ज्ञान था। रानी लक्ष्मीबाई जैसी बालाओं का जन्म इसी काल में हुआ किन्तु यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो ज्ञात होगा कि यह स्त्रियां समाज के अधिकार युक्त वर्ग में जन्मीं थीं और इसलिए यह स्त्रियां उन स्त्रियों से भिन्न थीं जो समाज की प्रताड़ना सह रहीं थीं।

19वीं शताब्दी के आरम्भ काल में महिलाओं की स्थिति –

19वीं शताब्दी के आरम्भ के काल को हम सुधारवादी युग कह सकते हैं। इस शताब्दी में मानववादी व सामाजिक तथा धार्मिक समानता के सिद्धान्तों से प्रभावित होकर समाज सुधारकों ने स्त्रियों की दशा सुधारने हेतु एक शक्तिशाली आन्दोलन प्रारम्भ किया। पुरूष वर्ग के बुद्धिजीवियों ने ऐसे कानून और प्रथा

समाप्त करने हेतु प्रयास किए जिनके द्वारा स्त्रीत्व को दबाया गया कुचला जा रहा था।

महिलाओं के विरुद्ध धर्म व परम्परा के नाम पर होने वाले अन्याय के विरोध में सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने आवाज उठाई वह थे राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने सती प्रथा व बहुपत्नीवाद के विरुद्ध आवाज उठाई व महिलाओं के सम्पत्ति अधिकार के पक्ष में माँग की। राम मोहन रॉय ने दलित सामाजिक व्यवस्था का मुख्य कारण महिलाओं की घृणित व्यवस्था बताते हुए समाज के पुर्ननिर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। राम मोहन रॉय ने महिलाओं की निम्न स्थिति का मुख्य कारण कम आयु में विवाह शिक्षा की कमी बताया व इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न भी किया।

समाज सुधारकों की श्रेणी में ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, केशव चन्द्र सेन, बेहराम मालाबारी (गुजरात) महादेव गोविन्द रानाडे (बंगाल) बाल गंगाधर तिलक (महाराष्ट्र) प्रमुख थे। इसके साथ ही राष्ट्रीय चेतना की लहर में अनेक अन्य राजनीतिक नेताओं ने राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं की सहभागिता की आवश्यकता महसूस की साथ ही ईसाई मिशनरियों ने देश में शिक्षा प्रचार का जो रूख अपनाया उससे महिलाओं में प्रबुद्धता जागृत हुई। भारत में अंग्रेजों के आने के पूर्व कुछ अपवादों को छोड़कर स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए कोई प्रयत्न नही किया गया। समाज में अधिकांश स्त्रियां अशिक्षित थी। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी कि ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित होने से प्राचीन समाज का अन्त हुआ और एक नए समाज का निर्माण हुआ, इसके साथ ही भारतीय जनता में एक नए दृष्टिकोण का विकास हुआ। स्त्री शिक्षा की प्रगति के लिए मुख्य प्रयास ब्रह्म समाज, आर्य समाज, राम कृष्ण मिशन आदि संगठनों द्वारा किए गए। 1916 ई० में प्रोफेसर कार्वे द्वारा आरम्भ की गई "इण्डियन विमेन्स युनिवर्सिटी" उन संस्थानों में से एक थी जिन्होंने स्त्रियों को शिक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मुसलमानों में स्त्री का प्रसार काफी मन्द रहा यद्यपि 19वीं शदी के अन्त

में सर सैयद अहमद खाँ और अन्य व्यक्तियों ने स्त्रियों में शिक्षा प्रचार पर बल दिया। फिर भी शिक्षा का स्त्रियों के मध्य लगातार प्रसार हो रहा था इस बात का प्रमाण हमें इस तथ्य से मिलता है कि "लड़कियों की 1917 में स्कूल में संख्या 12,30,000 थी जो कि 1937 में बढ़कर 28,90,000 हो गई।"[1]

इस प्रकार शिक्षा प्रचार व राजनीतिक चेतना के प्रादुर्भाव के साथ ही साथ महिलाओं में चेतना का प्रादुर्भाव हुआ 19वीं शताब्दी के अन्त तक महिलाएं साहस बटोरकर समाज का मुकाबला करने हेतु आगे आई और जिन्होंने अपना संगठन बनाया। वास्तव में मूलतः महिला आन्दोलन भारत में इसी समय से प्रारम्भ हुआ ।

रवीन्द्र नाथ टैगोर की बहन स्वर्ण कुमारी देवी ने 1882 ई0 में "2" सखी समिति की स्थापना की इसी समय पूना में पण्डित रमाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाज की बम्बई में स्थापना की। इसी श्रृंखला में 1908 में गुजरात में, 1913 में मैसूर में, 1916 में पूना में महिला संगठनों का जन्म हुआ । किन्तु यह संगठन मुख्यतः किसी विशेष क्षेत्र से सम्बन्धित थे, सम्पूर्ण भारत में अखिल भारतीय स्तर महिला संगठन को शुरूआत करने का श्रेय भारत स्त्री महामण्डल की स्थापना 1901 ई0 में सरला देवी चौधरी ने की जो कि स्वर्ण कुमारी देवी की पुत्री थी किन्तु यह उपलब्धि अल्प कालिक थी।

---

1. एम0एस0 जैन " आधुनिक भारत का इतिहास"
मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड
नई दिल्ली 1982 - पृ0 सं0 183-184

2. Aparana Basu Bharti Roy "Womens struggle" A Histary of All India Womens Conference 1927-1990.
Manohar Publication New Delhi 1990.

महिलाओं हेतु आन्दोलन ने तीव्रता उस समय पकड़ी जबकि 1917 में "भारतीय महिला संगठन" का प्रारम्भ मद्रास शहर में एनीबेसेन्ट, डौरोथी जिन-राजादासा तथा मार्गेट कौसिन्स ने मिलकर की। इस महिलाओं ने क्रान्तिकारी रूप में महिलाओं हेतु राजनीतिक अधिकार की माँग की व संस्था के माध्यम से महिलाओं की शैक्षणिक व सामाजिक स्थिति सुधारने व कानूनी परिवर्तन कर अधिकार की माँग की। इसके सदस्यों की संख्या एक मिलियन थी तथा विभिन्न राज्यों में इसकी 500 शाखाएं थी व मुख्यालय दिल्ली था।

इस प्रकार भारत के क्षितिज पर महिला आन्दोलन का प्रादुर्भाव प्रारम्भ हुआ, किन्तु यह आन्दोलन अन्य देशों में हुए महिला आन्दोलनों से काफी भिन्न था। यह आन्दोलन इग्लैंड की भांति उग्र न था न ही इस आन्दोलन में हड़ताल जोर जबरदस्ती, भूख हड़ताल जैसी कोई बात थी। बल्कि यह आन्दोलन समाज सुधारकों द्वारा किया गया आन्दोलन था। आन्दोलन पुरूषों के विरूद्ध न होकर वरन् महिलाओं में उनकी अज्ञानता को अंकुश करने हेतु किया गया था। यह आन्दोलन पुरूषों द्वारा प्रोत्साहित किया गया आन्दोलन भी था। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की आत्मा को पुर्नजीवित करना था। परिणाम स्वरूप उन श्रेष्ठ महिलाओं ने जन्म लिया जिन्होंने अपरम्परारिक क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त की जिनमें प्रमुख थीं गवर्नर सरोजनी नायडू, कमला देवी चटोपाध्याय, विजय लक्ष्मी पण्डित, सुचिता कृपालनी, इन्दिरा गांधी, रमाबाई, अरूणा आसफ अली, एम०एस० सुब्ब लक्ष्मी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। साथ ही महिलाओं में स्वतंत्रता आन्दोलन में पुरूषों के साथ कदम मिलाकर भाग लिया। स्पष्ट रूप से इसी काल से पुनः प्रबुद्ध महिला जागृति का इतिहास प्रारम्भ हुआ ।

xxxxx

स्वतंत्रोपरान्त महिलाओं के उत्थान हेतु किए गए कार्य :-

यदि हम आधुनिक काल को सुधारवादी काल के रूप में देखे तो कोई अतिशयोक्ति न होगी भारत वर्ष में स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माण से लेकर विभिन्न पंचवर्षीय ववार्षिक योजनाओं में महिलाओं हेतु कल्याण कारी कदम उठाए गए ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था रखी गयी कि किसी भी नागरिक में धर्म, जाति, रंग, लिंग के कारण कोई प्रतिबन्ध या शर्त नही थोपी जाएगी न ही किसी कारण विमदात्मक व्यवहार किया जाऐगा।

कोई भी व्यवस्था राष्ट्र व राज्य को महिलाओं एवं बच्चो के लिए विशेष व्यवस्था करने से वंचित नहीं कर सकेगी।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में कहा गया कि किसी भी नागरिक को धर्म, रंग जाति, लिंग , जन्म स्थान, खानदान निवास स्थान अथवा इनमें से किसी एकके कारण राष्ट्र राज्य में किसी भी नौकरी या पद के लिए अयोग्य ना समझा जाएगा और न ही उससे कोई भेदभाव ही किया जाएगा।

अनुच्छेद 39 के अनुसार नागरिको को पुरूष व महिलाओं को समान रूप से जीवन यापन का अधिकार है ।

- पुरूषों और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन प्रदान किया जाएगा

अनुच्छेद 10 में व्यवस्था है कि ऐसा कोई भी कानून जो संविधान की इन धाराओं के विपरीत होगे स्वत: अवैध माने जाएगे ।

- सम्पूर्ण भारत को संविधान के लागू होने के तत्काल पूर्ण प्रभावी ऐसे सभी कानून जो इस भाग के प्रावधानों के विपरीत होंगे उस सीमा तक अवैध माने जाऐगे जिस सीमा तक वे इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन करें ।

उपर्युक्त समानता के अधिकार के अतिरिक्त महिलाओं के अधिकार की रक्षा हेतु अनेकानेक कानून बानाए गए जिनमें प्रमुख है।

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955ई0

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ई0

दहेज प्रतिबन्ध अधिनियम 1961 ई0

समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 ई0

अपराधी संशोधन अधिनियम 1983 ई0

इसके अतिरिक्त 1971 कोमहिला समिति का गठन किया गया। वर्ष 1988 में वर्ष 2000 तक विशेष योजनाएं कार्यान्वित की गयी। स्पष्टतः भारत के संविधान में न केवल महिलाओं को पुरूषों के समकक्ष अधिकार व सुविधाएं दी गयी परन्तु उनकी स्थिति उन्नत करने हेतु समय -समय पर सामाजिक कानून भी बनाए गए।।

प्रथम पंचवर्षीय योजना :-

प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह अनुभव किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में यद्यपि महिलाएं व पुरूष दोनो ही पिछड़े है किन्तु महिलाओं की स्थिति अधिक शोचनीय है। सामान्यतः महिलाओं को पुरूषों के समान संलग्नता से शिक्षा नही प्रदान की जाती है और घरेलू जिम्मेदारी का भार सौंपने हेतु उन्हें शिक्षण प्रदान करना बन्द कर दिया जाता है। अतः प्रथम योजना वर्षों में स्त्रियो की पुरूषों के सदृश शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया व इस योजना काल में विशेषतया मात्र बालिकाओं की शिक्षण समस्या पर ध्यान दिया गया।

इस योजना काल में स्त्रियों व बच्चो के कल्याणर्थ कार्य जन-संस्थानों के माध्यम से किए जाते रहे जिन्हें केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल से आर्थिक सहायता मिलती रही। 4करोड़ रूपया के खर्च का प्रावधान रखा गया। मद्रास और उत्तर प्रदेश सरकारो ने स्त्रियों के कल्याण के कार्यों के लिए विशेष विभाग बनाकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया जबकि राज्य सरकारो द्वारा क्रियान्वित की जा रही समाज कल्याण योजनाएं क्षेत्र से बाहर थी ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही महिलाओं की समस्याओं के प्रति सरकार सजग थी पर प्रारम्भिक रूप में मात्र शैक्षणिक विकास को ही ध्यानागत रखा गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना :-

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पहली बार सरकार नें कार्यशील महिलाओं की ओर ध्यान दिया। तथा यह अनुभव किया गया कि पुरूषों के मुकाबले महिलाएं मूलतः असंगठित क्षेत्र में कार्यशील है और उन्हें सामाजिक अन्यायपूर्ण अवधारणाओं व शारीरिक अक्षमताओं का सामना करना पडता है। क्योंकि वह भारी कार्य करने में असमर्थ है, अतः उन्हें कम मजदूरी प्रदान की जाती है। वह तथ्य प्रगट कियागया कि यद्यपि महिलाओं की क्षमता अलग है पर इसका अर्थ यह नही कि उन्हें निम्न श्रेणी के कार्यों में ही रखा जाए

अतः समानकार्य हेतु समान वेतन का अभियान प्रारम्भ हो गया।
महिलाओं को प्रशिक्षणात्मक सुविधाएं प्रदान की व्यवस्था पर ध्यानकृष्ट किया गया।

बालिकाओं की शिक्षा सम्बन्धित समस्या को भी क्षेत्रीयता के आधार पर अलग-अलग रूप से विचार किये जाने पर जोर दिया गया। अतः ग्रामीण स्तर पर अध्यापिकाओं के लिए क्वाटर व्यवस्था ग्रामप्रदेश में अध्यापिकाओं को विशेष भत्ता देने की व्यवस्था की गयी ।

इस योजना काल में यह व्यवस्था की गयी कि केन्द्रीय सामाजिक कल्याण विभाग राजकीय कल्याण विभाग के साथ मिलकर कार्य करेगा। केन्द्रीय विभाग ने 2128 इन्सटीट्यूट खोले जिसमें 660 महिला कल्याण से सम्बन्धित थे 591 बाल कल्याण से सम्बन्धित थे तथा 151 विकलांग वर्ग से सम्बन्धित थे। दूसरी योजनावधि में 3700 से भी अधिक स्वैच्छिक कल्याण संगठनों की 2.6करोड रूपया की राशि सहायता के रूप में दी गयी।

इस योजना में कुल समाज कल्याण कार्यक्रम हेतु 19 करोड़ रूपया के व्यय का प्रावधान रखा गया।

स्पष्टतः द्वितीय योजना काल में गरीब मजदूर वर्ग की समस्या पर विचार किया गया व समानता के अधिकार को कानूनी रूख प्रदान किया गया जो कि प्रथम योजना से एक पग आगे था।

तृतीय पंचवर्षीय योजना व वार्षिक योजना :-

इन योजना वर्षों में महिला शिक्षा को महत्त्व प्रदान की गयी। मातृ व शिशु कल्याण पर जोर दियागया । तीसरी योजना में केन्द्र व राज्यों में समाज कल्याण मण्डल द्वारा किए जानेवाले मुख्य कार्य क्रम थे।

1. लगभग 6000स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देना ।
2. महिला मण्डलो कोउन्हें सौंपी गयी कल्याण विस्तार परियोजनाओं के लगभग 1700केन्द्रो में सेवाए उपलब्ध करने हेतु सहायता देना।
3. व्यस्क महिलाओं कोव्यवसायिक प्रशिक्षण और नियोजन के योग्य बनाने हेतु संक्षिप्त शिक्षण पाठ्यक्रम व्यवस्था करना ।

4. बच्चो के लिए अवकाश गृह व रैन बसेरे गृहो की स्थापना ।

वार्षिक योजना :-

1966 की वार्षिक योजना के तहत 18-30 आयुवर्ग की व्यस्क महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें हस्त शिल्प, बाल विकास, ग्राम सेविका, नर्स मिडवाइफ, व परिवार नियोजन कार्य कर्ता के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगारोन्मुक्त बनाना प्रमुख उद्देश्य रहा इस हेतु 12.79 लाख रूपया व्यय करने का प्रावधान रहा है 73नए कोर्स चलाए गए।

अतः ई तृतीय योजना व उसके पश्चात अपनाई गयी वार्षिक योजना में ग्राम्य स्तर की महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु भी ध्यान दिया गया।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) :-

चतुर्थ योजना में प्रथम लक्ष्य लड़कियों के स्कूल दाखिले में वृद्धि करना था । जहां 1950-91 में पहली से पांचवी कक्षाओं में बालिकाओं का प्रतिशत 28 था 1968 -69 में बढ़कर 37% हो गया था उसे बढ़ाकर 39.9% रखने का लक्ष्य रखा गया। छठी से आठवी कक्षा में बालिकाओं का प्रवेश प्रतिशत 17 से बढ़कर 28% हो गया था उसे बढ़ाकर 32.7% रखने का लक्ष्य रखा गया। नवीं से ग्यारहवी कक्षाओं में 13 से 25% हो गया था उसे बढ़ाकर 27.8% रखने का लक्ष्य रखा गया।

अगले पांचवर्षों में और भी 181 परिवार एवं शिशु कल्याण परियोजना को शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया उसकी मुख्य गतिविधि बच्चों के लिए समेकित सेवाओं की व्यवस्था करना महिलाओं को गृह शिल्प मातृ शिल्प स्वास्थ्य शिक्षा व पोषण एवं शिशु सेवा के लिए बुनियादी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना सामुदायिक विकास खण्डों को मौजूदा कल्याण विकास परियोजनाओं को परिवार एवं शिशु कल्याण परियोजना में बदलना रहा ।

6करोड़ रूपया Central Social Welfare Board की
और मेVoluntary Organis-के लिए grant किए गए जो Women and Child
ation welfare
welfare education for adult Women and Child/से सम्बन्धित कार्य करेंगें ।

इस योजना काल में भी स्त्रियों की आर्थिक आवश्यकता को मान्यता दी गयी और यह अनुभव कियागया कि अनुरूप कार्य और आय की व्यवस्था ग्रामीण स्त्रियों को लाभ पहुंचाने तथा पारिवारिक आय और परिवार कल्याण को बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है अतः ग्राम्य व लघु उद्योगो, सहकारिता और ग्राम निर्माण कार्यों के अन्तर्गत शामिल किए गए कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामों कोस्त्रियों के लिए कार्य की व्यवस्था की सम्भावना रखी गयी ।

पांचवी पंचवर्षिय योजना :-

इस योजनामें आर्थिक विकास हेतुमहिलाओं के लिए रोजगार व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बल प्रदान कियागया। तथा पूर्व नियोजित योजनाओं को ही आगे बढ़ानेपर जोर दियागया।

महिला विकास आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशन के कारण इस काल में महिलाओं की समस्याओं को दृष्टिगत रखा रखा व विभिन्न कानूनी संरक्षण की व्यवस्था भी की गयी व महिला शोध अध्ययनो की प्रमुखता प्रदान किया गया व सामाजिक शोध , अध्ययन से सम्बन्धित संस्थानों को स्थापना भी इसी योजना काल में की गयी ।

छठीं पंचवर्षिय योजना=(1980-85) :-

इस योजना वर्ष में महिलाओं पर आधारित समिति ने शिक्षा , स्वास्थ्य व रोजगार को उनकी परिस्थिति सुधारने हेतु जोर दिया तथा राष्ट्रीय योजना में एक नया अध्याय महिलाओं का सामाजिक विकास जोड दिया गया।

इस योजना काल में भी मुख्य बल महिला प्रशिक्षण व रोजगार के अवसरों में उनके लिए उचित माग उपलब्ध करना था । लगभग 3000 महिलाएं प्रशिक्षित की गयी मुख्य रोजगारोन्मुख क्षेत्र जिन्हें महत्व दिया गया वह थे डेरी विकास, कताईबुनाई, दियासलाईबनाना, नारियलजटा, काजूउद्योग, कृषि, पशुपालन, मछली उद्योग जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित है साथ ही शिशु गृह व कर्मकर महिला: हेतु होस्टल सुविधा उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया गया। 1984-85 तक लगभग 344 होस्टल खोले गए तीन क्षेत्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गयी बंगलौर, बम्बई, व त्रिवेन्द्रम में और राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान की दिल्ली में स्थापना की गयी ।

144 आई. टी. आई. की स्थापना की गयी जिसमें प्रतिवर्ष 11200 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे ।

यह भी व्यवस्था की गयी जिसके अन्तर्गत ट्राईसम स्कीम में एक तिहाई सुविधा महिलाओं को प्राप्त है ।

एक अन्य योजना D.W.C.R.A. (Development of Women and Child
ural area 1982-83 में प्रारम्भ की गयी ।

महिलाओं को जागरूक बनाने हेतु समाज कल्याण मंत्रालय ने
Functional Literacy for Adult Women Programme.
प्रारम्भ किया । जिसके अन्तर्गत महिलाओं को उन्नत चूल्हे, कूकर के इस्तेमाल पानी, शुद्धीकरण प्रक्रिया शिशु की देखभाल जैसी जीवनोपयोगी वस्तु व आवश्यक तथ्यों से अवगत कराया गया जिससे स्वास्थ्य व सफाई पर प्रत्यक्ष प्रभाव पडे।

स्पष्टता इस योजना काल में महिलाओं की कार्यशीलता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यमो से उनमें आत्मनिर्भरता लाने पर जोर दिया गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना :-

इन योजना वर्षों में 217 ऐसी योजनाएं प्रारम्भ की गयी जो प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाए।

इसयोजना का मुख्य प्रावधानमहिलाओं की सामाजिक - आर्थिक स्थिति सुधारनेहेतु उनके कामकाज की दशा सुधारने को वरीयता प्रदान करना था। जिससे महिलाओं में आत्म विश्वास व आत्मबल को शक्ति प्रदान हो साथ ही अधिकार और समानता के बारे में उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकें। इस उद्देश्य की शर्त हेतु महिला विकास निगम का गठन कियागया जो गरीब और ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए आय बढ़ाने वाले कार्यक्रमो को विशेष राशि देगा साथ ही यह निगम नौकरी और आय बढ़ाने के साथ साथ कौन से व्यवसाय उचित है और लाभ कारी है। इस हेतु भी सुझाव व सहायता देगा। इसके अतिरिक्त इन महिलाओं द्वारा निर्मित सामान को बाजार में बेचने हेतु निर्देश व सहायता भी देगा।

1988- वर्ष 2000 तक National perspective plan for womens studies का गठन भी इसी काल में किया गया जो कि स्वयं में महिलाओं हेतु उठाएं गएमहत्वपूर्ण कदम व इस संदर्भ में सरकार की जागरूकता को परिलक्षित करता है।

वार्षिक योजनाएं (आठवीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व):-

इन वार्षिक योजना वर्ष में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि स्वरोजगार क्षेत्र में महिला रोजगार व प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाए जो महिलाओं की सृजनात्मक शक्ति को उभार कर उनकी स्थिति को सुधार करें।

1990ई0 में National Front Government राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में एक National Commission बैठाया जिसका राष्ट्रीय आयोग उद्देश्य उन कारणों को ज्ञात करना था जिसके द्वारा महिलाओं के कष्टो का निवारण हो सकें।

राष्ट्रीय आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वह दण्डनीय व्यक्ति या दोषी व्यक्ति से प्रश्न पूछकर उन पर लगाए गए आरोपो की जांच करे और सजा दें ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना :-

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक High Powered Interminial Coordination Committe. की स्थापना का प्रावधान रहा है जो अभी तक लागू की गयी योजनाओं की समीक्षा करेगी और उन परियोजनाओं को लागू करेगी जो अधिकाधिक रोजगार व ट्रेनिंग प्रदान करें। असंगठित क्षेत्र में लगी महिलाओं की श्रम शक्ति की पहचान करना उनको निखार लाना तथा घरेलू पारिश्रमिक जीवन से बाहर निकालने हेतु उन्हें कार्य कुशल बनाना प्रमुख उद्देश्यों में रहा है।

उपर्युक्त सरकारी प्रयासों पर दृष्टि डालने से एक तथ्य उभरकर जो समक्ष आता है वह यह कि जहाँ योजना वर्ष के प्रारम्भिक चरणों में मात्र महिला शिक्षा व समानता अधिकार सम्बन्धी कानूनों पर जोर दिया गया वहीं 1971 में स्थापित महिला आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशन के पश्चात 1975 के उपरान्त महिलाओं हेतु विकासात्मक व कल्याणकारी योजना पर बल दिया गया और यह समझा गया कि महिलाओं की स्थिति में सुधार उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार द्वारा ही सम्भव है।

साथ ही यह भी अनुभव किया गया कि महिलाओं के जीवकोपार्जन हेतु व्यवसाय आवश्यक हो जाता है जिससे वह कुछ आय प्राप्त कर सके पर स्वयं को इस योग्य नहीं बना पातीं। अतः महिलाओं हेतु प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए जिसमें प्रमुख योजनाएं थी।

वर्ष 1982 -83 में प्रारम्भ की गयी (Norwegion Agency for Inter-
onal Development . NORAD) योजना जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति से सम्बद्ध महिलाओं को प्रशिक्षण व आर्थिक सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई।

(STEP (योजना) Support to training and Employment Programme
or Women के माध्यम से प्राथमिक क्षेत्रों के उद्योग में संलग्न महिलाओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर बल दिया गया। प्राथमिक उद्योगों के अन्तर्गत डेरी, पशुपालन, मछली पालन, खादी व ग्रामोद्योग जैसे क्षेत्र प्रमुख थे।

वर्ष 1986-87 में (Womens Development Cooparation) की स्थापना की गई इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को "महिला प्रशिक्षण संस्थानों" के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना था।

Women

1975 में (Condensed Course of Education for Adult) का उद्देश्य 18-30 आयु की महिलाओं को प्रशिक्षण देना था यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिकाओं, नर्सों, मिडवाइफ को दिए गए।

इसके अतिरिक्त (IRDP (Intregrate Rural Development Programme.
NREP (National Rural Employment Programme)
RLEGP (Rural Labour Employment Guarantee Programme)

) तथा (TRYSEM) योजनाओं में भी महिलाओं पर ध्यान रखा गया।

निः सन्देह भारत सरकार ने अपने योजनागत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति सुधारने उन्हें आत्म निर्भर बनाने व उन्हें समानता के अधिकार प्रदान करने का सतत प्रयास किया ।

शायद यह सरकार के सतत प्रयासों का ही फल था कि जहाँ 1951 ई0 में भारतीय महिलाओं का दसवांश से भी कम भाग 7.9% साक्षर था वहीं 1991 ई0 (भारतीय जनगणना रिपोर्ट के अनुसार) में 40% भाग महिलाओं का वह है जो कि साक्षर है।

1971 ई0 में जहाँ महिलाओं का 14.22% भाग कार्यशील था 1991 ई0 में 22.73% भाग महिलाओं का कार्यरत हो गया । एक अध्ययन के अनुसार कार्यशील महिला जनसंख्या में 45% वृद्धि हुई है। जो कि कार्यशील पुरूष जनसंख्या की 22.13.% वृद्धि से 22.87% अंक अधिक है।[1]

किन्तु फिर भी जब हम आर्थिक व सामाजिक परिपेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति का अवलोकन करते है तो संतोष जनक स्थिति नहीं मुखरित होती है।

आज भी महिलाएं आर्थिक विभेदात्मक व सामाजिक उत्पीडन का शिकार है। अभी भी दहेज जैसी विसंगति की शिकार महिलाओं की होली जलाई जा रही है। आज भी बालिकाएं अल्पायु में विवाह जैसे बन्धन में बाँधी जा रही है। पुरूष हवश का शिकार महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जो हमें समाचार पत्रों में रोज ही बलात्कार जैसी घटनाओं के वर्णन से ज्ञात होता है।

यद्यपि सरकार ने पंचायती राज्य कानून के तहत महिलाओं को राजनीति में स्थान देने का प्रयास किया है राजनीति में भाग लेना तो दूर महिलाएं आज भी अपने मताधिकार का समुचित प्रयोग नही कर रही है। चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पुरूषों के मुकाबले 4 से 15% कम रही हैं अर्थात राजनीति में महिला भागीदारी व जागरूकता अत्यल्प रही है ।[2]

वर्तमान आर्थिक परिपेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति :-

जब हम आर्थिक परिपेक्ष्य में महिलाओं की स्थित पर ध्यानाकृष्ट करते है इस अवस्था में हम उन समस्त पहलुओं पर विचार करते है जिनसे उनकी आय प्रभावित होती है, चाहे उसका सम्बन्ध कार्य के स्वरूप व दशा से हो, शैक्षणिक अवस्था से हो या फिर कार्य कुशलता से हो ।

1991 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की संख्या 40,28,13,817 है जिसमें कार्यशील महिलाओं का प्रतिशत है 22.69% अर्थात 9,13,97,489 स्त्रियाँ कार्यशील है। जिसमें 81,50,7,087 स्त्रियां ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है अर्थात कुल कार्यशील महिला जनसंख्या का 89.18% गामीण क्षेत्र में कार्यरत है ।

यद्यपि ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे पुरूष व महिला जनसंख्या में अन्तर मात्र 1% का है तथापि ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत महिला जनसंख्या अधिक है।[3]

---

1. Census of India 1991 excluded Jammu and Kashmir.

2. Ibid

3. Ibid

कुल जनसंख्या का 74.26% भाग ग्रामों में निवास करता है ग्रामीण क्षेत्र में संलग्न कार्यशील जनसंख्या का 79.18% ,

- पुरूष जनसंख्या का 73.78% ग्रामों में निवास करता है ।
- ग्रामीण क्षेत्र में संलग्न पुरूष श्रम 75.99% है ।
- महिला जनसंख्या का 74.78% भाग ग्रामों में निवास करता है।
- ग्रामीण क्षेत्र में संलग्न महिला श्रम 89.18% है ।

उपर्युक्त तर्क से यह तथ्य स्पष्ट है कि कुल कार्यशील महिला वर्ग के 89% भाग का कार्यक्षेत्र ग्राम है जिसमें मुख्यत: वह कार्य आते है जिनसे कम आय प्राप्त होती है और जो कार्य का स्वरूप अकुशल व ग्राम बहुल्य है।

कृषिक्षेत्र में संलग्न कार्यशील महिलाओं के कार्य की विशेषता है कि वह मुख्यत: प्राथमिक कार्यों में संलग्न है। जैसा कि (S.K. Singh and Ram Iqbal Singh. "Impact of Rural Development on Economic Status of women in U.P." Kurukshetra May 1987 Page-3)

के एक अध्ययन से ज्ञात होता है कुल कृषि ग्राम का 83.0% भाग 1971 में, तथा 1981 में 81.59% भाग कृषि कार्य में संलग्न महिलाओं का प्राथमिक कार्यों में कार्यरत था नियमित महिला श्रमिकों का प्रतिशत कृषि क्षेत्र में 1971 में 1.4% व 1981 में 0.9% (15 से 59 आयु की) ही था 1991 में इस स्थिति में बहुत अन्तर की सम्भावना नहीं है।

ARTEP (Asian Regional Team for Employment Promotion). ILO

की ओर से किये गये सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि (तमिलनाडू, महाराष्ट्र, पंजाब तथा हरियाणा की कार्यशील महिलाओं के संदर्भ में) कार्यशील महिलाएँ मूलत: अक्षम प्राथमिक कार्यों में कार्यरत है जहाँ उत्पादन कम है फलत: कम आय आर्थिक स्तर निम्न है।[4]

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कुल महिला जनसंख्या का मात्र 27.6% भाग कार्यशील जन वर्ग है (Census of India 1991) इस कार्यशील जनसंख्या का 89% कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। इस 89% जनसंख्या में प्राथमिक कार्य व अनियमित कार्यों में संलग्न महिलाओं का प्रतिशत अधिक है।

---

4. Limited Options to women in Lubour Market. LIF Jan.10,1990

अर्थात कुल कार्यशील महिला वर्ग का एक बड़ा भाग कृषि क्षेत्र में उन कार्यों में संलग्न है जहां आय प्राप्ति कम है, कार्य की प्रवृति असंगठित है तथा कार्य का स्वरूप अनियमित है। निश्चय ही कार्यशील महिला वर्ग का 3/4 भाग उस स्थिति में है जहां आर्थिक स्थिति शोचनीय है।

1991 में भारत में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कार्यरत पुरूष व महिलाओं का प्रतिशत:-

	कार्यशील पुरूष	कार्यशील महिलाएं	कुल
ग्रामीण	52.43%	27.06%	40.13%
शहरी	48.96%	9.73%	30.45%
योग	51.52%	22.69%	37.65%

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्र में कार्यशील महिलाओं का प्रतिशत अत्यल्प है। मात्र लगभग 10% है।

1971से91 के मध्य महिलाओं की रोजगार में भागीदारी दर :-

वर्ष	कुल	ग्रामीण	शहरी
1971	14.22	15.92	7.18
1981	19.67	23.06	8.31
1991	22.73	27.20	9.74

शहरी कार्य क्षेत्र मे भी अकुशल श्रम का बहुल्य है। श्रमोत्पादक क्षेत्र के पश्चात शैक्षणिक कार्य, क्लर्क वर्ग तत्पश्चात सेवा (प्रशासनिक) सेवा आते है। (35.4) (13.2)

जब हम 1971 -1981 के मध्य महिला रोजगार में हुए परिवर्तनों पर दृष्टि डालते है तो ज्ञात होता है कि सर्वाधिक परिवर्तन अकुशल श्रम में हुआ है 259.39% वृद्वि हुई है।

कुल में महिला श्रम भागीदारी का प्रतिशतांक :-

विभिन्न आर्थिक क्षेत्र	1971	1981	वृद्वि
प्राथमिक क्षेत्र	19.8	23.7	20%
द्वितीयक क्षेत्र	12.4	14.1	13.7%
तृतीयक क्षेत्र	9.7	10.9	12.3%
योग	17.4	20.9	20.1%

जब हम कार्यशील महिलाओं की भागीदारी पर दृष्टिपात करते है तो ज्ञात होता है कि 1971 में प्राथमिक क्षेत्र में महिला श्रम भागीदारी भारत में 19.8% वृद्वि वह 1981 में बढकर 23.7% हो गयी । द्वितीयक क्षेत्र में जहां श्रम भागीदारी 1971 में 12.5% थी वह 1981 में बढकर 14.1% हो गयी व तृतीयक क्षेत्र में महिला श्रम भागीदारी 1971 में 9.8% थी जो बढकर 1981 में 10.9% हो गयी। 1991 के संदर्भ में अभी यह विवेचना

नही प्राप्त हुई है। पर यह स्पष्ट है कि महिला श्रम भागीदारी प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक रही है।

कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नही रही है ।

महिला श्रम एक सस्ता श्रम रहा है महिलाएं घरेलू उद्योगों में श्रमाधिक्य कार्य 12-16 घंटे करती है।

एशियाई महिलाएं पश्चिमी देशों की तुलना में 10 गुनी श्रम आय प्राप्त करती है ।[5]

एतरान के एक अध्ययन के अनुसार एशिया में एक तिहाई घर स्त्री प्रधान है जो सबसे गरीब है। स्त्री प्रधान घर होने का मुख्य कारण उनका विधवा होना, तलाक शुदा होना, अविवाहित होना व पुरूषों का बाहर जाना रहा है। क्यों कि इन महिलाओं की आय कम है अत: परिवार की दशा अत्यधिक खराब है।[6]

• महिलाओं की असमान स्थिति का मुख्य कारण है महिलाएं मूलत: श्रम प्रधान कार्यो में लगी है जैसे वृक्षारोपण अनाज साफ करना, छिलका निकालना बिनौला निकालना ।[8]

महिलाएं अशिक्षा अज्ञानता के ऐसे भंवर में फंस गयी है जिससे निकालने हेतु सतत प्रयास की आवश्यकता है।

---

5. Vibhuti Patel "Asian Women in the workforce. The Economics Times Aug.6 Page-8, 1988.
6. Asian womens Research and action Network Commission.AWRAN

7. Sarda Gopalan " why are women Lagging Behind." Kurukshetra Dec. 1987 Vol. XXXVI No.3.

अशिक्षा

कम जागरूकता　　　　　　　　अज्ञानता

कम लाभ　　　　　　　　कार्य के कम अवसर

महिलाओं की आर्थिक दशा अच्छी या बेहतर न होने का कारण उनकी कार्य की अवस्था व प्रकृति में निहित है। महिलाओं द्वारा कार्य करने का प्रमुख कारण आर्थिक आवश्यकता रही है। एक अध्ययन के अनुसार 58.5% महिलाएं कार्यआआर्थिक दबाव में आकर करती है। [8]

It has been reported that 58.5% Women opted for a Jøb out of economic pressure.

प्रो० पपोल के अनुसार 54% महिलाएं आर्थिक अनिवार्यता व पारिवारिक स्थिति के कारण कार्य करती है।[9] अतः आर्थिक आवश्यकता हेतु वह वे कार्य भी करने को मजबूर हो जाती है जिसके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा या विशेष आर्थिक लाभ नही है, कार्य की प्रकृति अकुशल परिणामतः कम आय, निम्न जीवन स्तर व पुनः आर्थिक आवश्यकता। जीवन की इस परिधि में घूमती भारतीय नारी उन सुविधाओं में वंचित रह जाती है जो सरकार उन्हें प्रदान करती है। समान कार्य हेतु समान आय की संवैधानिक रूप से व्यवस्था होने पर भी उनके प्रति विभेदात्मक नीति अपनाई जाती है।[9]

जैसा कि मद्रास शहर में किए गए एक अध्ययन के अनुसार शहरी कार्यशील श्रमिक महिलाएं विभेदात्मक नीति का शिकार है, महिलाएं औसत रूप से पुरूषों की अपेक्षा कम आय प्राप्त करती है यद्यपि उनकी उत्पादकता समान है। यह विभेद 21% है।[10]

---

8. Anindita Mukherji and Neelam Verma. "Socio Economic Backwar ess in women." Ashish Publishing House, 8/81 Punjabi Bagh New Delhi-110026.

9. T.S. Papola "women workers in an Urban Labour Market". study of regregation and discrimination in Employment in Lucknow. (INDIA) 1982 Page-137.

10. U.Usha-"Labour Market Discrimination Against women." Indian Journal of Industrial Relation. April 1983 Volume XV Page-569-5

महिलाएं आर्थिक आवश्यकता हेतु ही विशेषत: कार्य करती है यह इस विशेषत: कार्य करती है यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि पंजाब जहां आय अधिक है वहां महिलाओं की श्रम भागीदारी मात्र 6.78% है। व सिक्किम जहां प्रति व्यक्ति आय कम है वहां महिलाओं की कार्य में भागीदारी दर सर्वाधिक 52.74% है।

कम आय व निम्न आर्थिक अवस्था में रहने का दूसरा मुख्य कारण असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का बहुल्य होना है। एन0एस0एस0 के 32वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 90% महिलाएं असंगठित कार्यों से जुड़ी है जो मूलत: (low paid Job) या कम पारिश्रमिक वाले कार्य है। असंगठित क्षेत्र की महिलाएं संगठित क्षेत्र की महिलाओं से अधिक दु:खद स्थिति में है । 11
Labour Regulation Act 1970 maternity benefit act

के रहते वह अपने अधिकारों का उपयोग करने में असमर्थ है। पुरूषों के मुकाबले आय कम है क्यों कि कार्य की प्रवृति अकुशल है अतिरिक्त कार्य की भी सामान्य मजदूरी ही प्राप्त होती है । Social Security Benefit मात्र कानून तक ही सीमित है लम्बी अवधि तक कार्य होने पर भी त्योहारो के अवसर पर मजदूरी नहीं प्रदान की जाती है।बम्बई व दिल्ली में भवन निर्माण कार्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि रात में भी महिलाएं कार्य करती है (छत बनाने का कार्य रात दिन होता है।)

90% से अधिक महिलाएं असंगठित हैं व छोटे रूप में कार्य कर रही है जैसे हथकरघा, खादी ,ग्रामोद्योग, कुम्हारी, पशुपालन, आदि

---

11. Summary of the report on the result of the study of Socio economic condition of women workers in Building and constru ction Industry. Unorganised sector. Indian Labour Journal 30.Oct. 1989 Page 1616.

12. K. Saradamoni-"Women in Employment"low in profile high in scrimination Yojana 15th Aug. 1975.

महिलाओं की निम्न आर्थिक अवस्था का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है शिक्षा का रोजगार पर अत्यल्प प्रभाव है। कार्यशील महिला वर्ग का एक विशाल भाग अशिक्षित है। " अशिक्षित व कम शिक्षा प्राप्त स्त्रियों को रोजगार प्राप्ति के लिए कई तरह के पापड़ बेलने पड़ते है। पुरूष मजदूर के मुकाबले उन्हें वेतन कम मिलता है लघु उद्योग यथा बीड़ी अगरबत्ती बनाने की कार्यों में न तो उन्हें पूरा वेतन ही दिया जाता है और न ही भविष्य में उनकी नौकरी ही सुरक्षित रहती है ।[13]

कुल कार्यशील महिला का मात्र 2.5% भाग ही शिक्षित है। अर्थात शिक्षित महिला वर्ग का अत्यल्प भाग ही अपनी योग्यता का सदुपयोग कर रहा है इस 2.5% भाग का मात्र 1.5% ही 1000 से अधिक आय प्राप्त करता है जबकि पुरूषों में यह दर 5% है। 17% की आय 500- 1000 रू0 के मध्य है जबकि पुरूषों में यह 23% है। 62% महिलाओं (शिक्षित 2.5) की आय 500 से कम है जबकि पुरूषों में यह दर 50% है ।[14]

अर्थात शिक्षित महिला वर्ग का अत्यल्प भाग ही अपनी योग्यता का सदुपयोग कर रहा है जिसमें निम्न आय वर्ग की संख्या अधिक है। शिक्षित कार्यशी महिलाओं में अधिकांश प्राथमिक स्कूल की अध्यापिकाएं, मिडवाइफ, ग्राम्य सेविकाएं, क्लर्क, नर्स व टेलीफोन आपरेटर्स है ।[15]

बेरोजगार शिक्षित महिलाओं का 53% भाग रोजगार इच्छुक नहीं है जबकि पुरूषों में यह दर 9% ही है ।[16]

---

13. त्रिलोकी नाथ, " भारतीय महिलाएं रोजगार के आइने में ।" <u>कुरूक्षेत्र</u> 1990 जून

14. Kamal Bhasin-"Poor Status of working women."

15. Saxena Pradeep Kumar-" Profile of Urban Women Workers." <u>Manpower Journal</u> Vol-XXVII No.3 IAMR, New Delhi.

16. Salomon Savitri-" A study of the educated ladies in Greater Bombay.in respect to utilization of their talents in various walk of life on honourary basis" University of Bombay.

इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्यशील महिला वर्ग में अशिक्षित महिलाओं वर्ग का बाहुल्य उन्हें निम्न आर्थिक स्तर की ओर उन्मुख करता है । महिलाएं अशिक्षा अज्ञानता कार्य के कम अवसर कम लाभ कम जागरूकता के एक ऐसे भंवर में फंसी है । जहां से उबारने हेतु कठोर परिश्रम व निरन्तर प्रयास की आवश्यकता है। उपर्युक्त किए गए विश्लेषणों से स्पष्ट है कि हम आज जब 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे है उस अवस्था में भी भारतीय नारी की स्थिति संतोषजनक नहीं हैं हम स्त्रियों की शिक्षा का सदुपयोग नही कर पा रहे है इसका मुख्य कारण है कि आज भी हम म महिलाओं को उनकी घरेलू परिधि से निकाल नहीं पाएं है जहां पुरूष घरबार की चिन्ता किए बिना केवल अपने कैरियर व धन कमाने को ध्यान में रखता है पर स्त्री के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह पहले अपना घर बार देखें उससे तालमेल बिठाकर ही वह कोई अन्य कार्य कर सकती है । बाहरी कार्यों को भी अंकीकृत करके उन्हें दुगुना कार्य करना पड़ता है जो पूर्णतः दुःसाध्य, थकाने वाला व दुखद है।

सभी विकसित व विकासशील देशों में महिलाओं की भूमिका सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में शोचनीय रही है यद्यपि महिलाएं घर व बाहर अनेक कार्य करती है तथापि उन्हें पर्याप्त प्रतिफल नहीं प्राप्त होता है ।[17]

---

17. Sabita Guha -" Women in Indian Labour Force." State Plannin Board. Government of West Bengal IASP 12th Annual Confrence.

राष्ट्र के विकास में स्त्रियों का योगदान तो है पर इस बात को कितना स्वीकार्य किया गया है ? या कितनी मान्यता प्रदान की गयी है यह चिन्तन का विषय है । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गणना के अनुसार विकासशील देशों में अमूल्यांकित घरेलू कार्यों का योगदान सकल राष्ट्रीय उत्पादन में 25.39% है । स्त्रियों को किस प्रकार का काम दिया जाता है तथा उनकी काम करने की परिस्थितियाँ कितनी अनुकूल या प्रतिकूल है यह चिन्तन का विषय है इस समस्त पहलुओं पर गौर किया जाना तो आवश्यक है ही साथ ही क्रमबद्ध व नियोजित ढंग से इन बाधाओं को समाप्त करना भी आवश्यक है महिलाओं के उत्थान के लिए उन्हें शिक्षित तथा प्रशिक्षित करना आवश्यक है तभी वे अपना काम समझ सकेंगी तथा अपने कर्तव्य व अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकेंगीं । इसके अतिरिक्त घर गृहस्थी का बोझ भी उन पर पूरा न डाला जाए । इन सुविधाओं के होने पर ही महिलाएं अपना कैरियर बना पाएंगी तथा उनकी गतिशीलता बढ़ेगी उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा । और इस प्रकार के देश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगी । व समाज में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बन सकेगी ।

आज आवश्यकता है महिलाओं के पक्ष को मात्र कल्याणकारी रूप में न देखकर राष्ट्र के निर्माणकारी रूप में देखा जाय ।

उपर्युक्त अध्ययनों से यह तथ्य स्पष्ट रूप से समक्ष आता है कि यद्यपि संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की स्थिति असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं से आर्थिक समानता के रूप में कहीं अधिक बेहतर है तथापि इस क्षेत्र में महिला श्रम भागीदारी अत्यल्प है तथा इस विषय के संदर्भ में शोध कार्य भी अत्यल्प हुआ है। मुख्यतः शोध असंगठित क्षेत्र की महिलाओं से सम्बन्धित रहें हैं ।

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य शहरी संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के कार्य करने के कारणों को ज्ञात करना साथ ही उन कारकों का पता लगाना जो मुख्यतः महिलाओं के आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश के बाधक तत्व है ।

इसके अतिरिक्त कार्यशील महिलाओं पर पड़ने वाले दोहरे कार्यभार का आंकलन करना जो कि अप्रत्यक्ष रूप से महिला श्रम भागीदारी को प्रभावित करते हैं । महिलाओं द्वारा मूल्यांकित व अमूल्यांकित कार्यों का अर्थव्यवस्था में वृहत हस्त रहा है । जैसा कि Dr. Mathreyi Krishnraj के शब्दों में Dr. "Though women are producers, family maintainers, Child takers, health sustainess, Community level workders they are showns as dependents in our data system. By ignoring womens work and worth in the national economye we are killing the gold goose that lays the eggs.

निश्चय ही यदि हम महिलाओं के कार्य की पहचान न कर पाएं व उसके कार्यों का मूल्यांकन न कर सके तो निश्चय ही हम निरन्तर महिलाओं पर दोहरा कार्यभार डालते रहेंगे व महिला विकास के संदर्भ में समुचित प्रयत्न न कर सकेंगे । [18]

---

18. Vibhuti Patel-" working women :Don't count them out. The Economic Times .New Delhi, July 16 Page.3,1992.

कमला भसिन ने भी अपने अध्ययन में इस तथ्य पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है कि शहरी शिक्षित व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं के भी पुरूषों के समकक्ष स्थान नही मिल सका है। आपने अपने अध्ययन में यह स्पष्ट किया है कि यद्यपि पत्नी व बधू के प्रति रोजगार के संदर्भ में मनोभावना में बदलाव आया है पर उसके गृहणी रूप में किसी भी बदलाव की आशा नही है। पुरूष महिलाओं के घरेलू कार्यों में किसी भी प्रकार का सहयोग देने को तैयार नहीं है ।[19]

यही कारण रहा है कि आधुनिक आर्थिक आवश्यकता को देखते हुए पारिवारिक सदस्य स्त्री को घर के बाहर आयोपार्जन हेतु भेजने को तो राजी हो जाते है किन्तु पुरूष वर्ग का अहम् उन्हें महिलाओं की घरेलू जिम्मेदारी में हाथ बंटाने को तैयार नही करता है परिणामतः दोहरे कार्यभार से त्रसित महिलाओं का जीवन और अधिक कष्टप्रद हो जाता है कमला देवी चटोपाध्याय द्वारा कहे गए तीन दशक पूर्व के शब्द आज भी चरित्रार्थ है । " Man is still very much content to keep his wife a Domestic matron.

---

19. Kamla Bhasin-" Marriage and the working women in India- 1970.

अध्ययन का उद्देश्य :

संगठित क्षेत्र में कार्यरत कार्यशील महिलाओं की सामाजार्थिक स्थिति का अध्ययन निम्न पक्षों के रूप में करने का प्रयत्न किया है।

1.

1.1 - कार्यशील महिलाओं के कार्य करने के कारणों का अध्ययन वैवाहिक स्थिति, जाति व धर्म के आधार पर।

1.2 - कार्यशील महिलाओं के कार्य निरवृता में पारिवारिक परामर्श व इच्छा तथा सहयोगी सदस्यों का आंकलन करना विभिन्न जाति व धर्म तथा वैवाहिक स्थिति में वर्गीकरण के आधार पर

1.3 - कार्यरत महिलाओं में कार्य प्राप्ति प्रारम्भिक चरणों में हुई कठिनाइयों का अवलोकन करना विभिन्न जाति, धर्म वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण के रूप में वर्तमान संदर्भ में कार्यशील महिलाओं में कार्यरत रहते हुए असुविधाओं का अवलोकन करना।

2.

2.1 - कार्यरत महिलाओं की शैक्षणिक व व्यवसायिक योग्यता पर प्रकाश डालना। जाति, धर्म व शैक्षणिक स्थिति के अवलोकन के आधार पर।

2.2 - कार्यरत महिलाओं के व्यवसाय की प्रकृति व उस पर उनकी शैक्षणिक योग्यता का प्रभाव पर प्रकाश डालना।

2.3 - शैक्षणिक स्थिति व आर्थिक स्थिति आय के आधार पर अवलोकन करना । जाति व धर्म के वर्गीकरण को प्रमुखता देते हुए ।

2.4. - कार्यरत महिलाओं की व्यय में उनकी भूमिका के आधार पर आर्थिकक्षेत्र में उनके अधिकार पर ध्यानाकृष्ट करना ।

3.

3.1 - कार्यरत महिलाओं की घरेलू कार्यों में भागीदारी व घरेलू कार्यों में उनकी भूमिका पर जाति, धर्म, वैवाहिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति व आय वर्गीकरण के आधार पर अध्ययन करना ।

3.2 - कार्यशील महिलाओं के अमूल्यांकित कार्यों के प्रति परिवार के सदस्यों के दृष्टिकोण का अध्ययन

4.

4.1 - कार्यशील महिलाओं के परिवार की प्रकृति पर प्रकाश डालना ।

4.2 - कार्यशील महिलाओं के पारिवारिक स्वरूप का अवलोकन करना ।

4.3 - विभिन्न जाति धर्म व वैवाहिक स्थिति की महिलाओं में प्रवासीय क्षमता का अवलोकन करना ।

5.

5.1 - वर्तमान परिपेक्ष्य में कार्यशील महिलाओं द्वारा महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में विचारों व सुझावों को ज्ञात करना ।

5.2 - वर्तमान परिपेक्ष्य में सरकारी नौकरी में आरक्षण के संदर्भ में महिलाओं के विचारों को ज्ञात करना ।

अध्ययन का औचित्य :

यह एक सर्वमान्य सत्य है कि शहरी क्षेत्र में रह रही महिलाएं अधिक शिक्षित व कुशल हैं अपेक्षाकृत ग्रामीण क्षेत्र में निवासित महिलाओं के किन्तु फिर भी जब हम देश के नवोदित आंकड़ों पर दृष्टि डालते हैं तो स्पष्ट होता है कि शहरी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का भाग अत्यल्प है ।

(1) सारणी -(1)

1991 में भारत में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कार्यरत महिला व पुरुष की भागीदारी (W P R) (प्रतिशत में)

	कार्यशील पुरुष	कार्यशील महिला	कुल
ग्रामीण	52.43	27.06	40.13
शहरी	48.96	9.73	30.45
कुल	51.52	22.69	37.64

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट रूप से यह छवि मुखरित होती है कि शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा महिला श्रम भागीदारी मात्र एक तिहाई है । जहां ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशील महिला श्रम भागीदारी चतुर्थांश से अधिक है वहीं शहरी क्षेत्र में महिला श्रम भागीदारी दसवांश से भी कम है ।

---

(1) 1991 Census Report, Series-III, Paper 1
exclude Jammu & Kashmir

जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में महिला श्रम भागीदारी, पुरूष श्रम भागीदारी की लगभग आधी है वहीं शहरी क्षेत्र में महिला श्रम भागीदारी पुरूषों की भागीदारी का मात्र पाँचवा भाग है । और यदि हम इसी पक्ष का अध्ययन उत्तर प्रदेश को ध्यानागत रखकर करें तो स्पष्ट होता है कि यह प्रतिशतता (शहरी क्षेत्र में महिला श्रम भागीदारी) अत्यल्प है । (सारणी (2))

(2) सारणी - 2

1991 में शहरी क्षेत्र में श्रम भागीदारी डब्लू पी आर (प्रतिशत में)

	पुरूष	महिला	कुल
भारत	48.95	9.74	30.44
उत्तर प्रदेश	46.27	5.30	27.29

उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्र में कार्यशील महिलाओं का प्रतिशत पुरूषों के प्रतिशत का लगभग नवां भाग है ।

पिछले दो दशकों में कार्यशील महिलाओं का अनुपात निरन्तर बढ़ रहा है यह न केवल शहरी अपितु ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं पर भी लागू है ।

---

(2) Census of India, exclude J & K Assam
Series III Paper - 1

(3) सारणी - 3

1971-91 के मध्य भारत में महिला श्रम भागीदारी

वर्ष	1971	1981	1991
कुल	14.22	19.67	22.73
ग्रामीण	15.92	23.06	27.20
शहरी	7.18	8.31	9.74

पुनश्च सारणी से स्पष्ट है कि 1981 -91 के दशक में 1971-81 के दशक की तुलना में श्रम भागीदारी गति कम रही । जहाँ 1971-81 में श्रम भागीदारी दर 5.45 प्रतिशत बिन्दु की वृद्धि हुई वहाँ 1981-91 के दशक में यह मात्र 3.06 प्रतिशत बिन्दु थी । जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में 1971-81 में दशक में यह वृद्धि 7.14 थी 1981-91 के मध्यम घटकर 4.14 हो गई । शहरी क्षेत्र में यह वृद्धि 1971-81 के मध्य 1.13 प्रतिशत बिन्दु थी जो 1981-91 के मध्य बढ़कर 1.33 हो गई । किन्तु फिर भी शहरी क्षेत्र में महिला श्रम भागीदारी ग्रामीण क्षेत्र में महिला श्रम भागीदारी की मात्र एक तिहाई ही है ।

---

(3) Ibid.

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वतन्त्रोत्तर महिला श्रम भागीदारी में वृद्धि हुई तथापि शहरी क्षेत्र में यह वृद्धि दर अत्यल्प रही है । जब हम इसके कारकों पर ध्यानाकृष्ट करते हैं तो ज्ञात होता है कि हमारा समाज अब भी जड़त्व है । यहां अभी भी महिला को मात्र विशेष आर्थिक आवश्यकता होने पर ही कार्य करने दिया जाता है ।(4) जहां पुरूषों का मुख्य लक्ष्य रोज़गार के साथ- साथ अपना भविष्य (कैरियर) बनाना है वहीं महिलाएं अभी भी घर का देखभाल करने को सर्वाधिक प्राथमिकता देतीं है । ऐसी स्थिति में कार्यशील महिलाओं पर दोहरा दबाव पड़ता है, जो विशेष रूप से मध्यम वर्गीय महिलाओं पर अधिक होता है ।

ऐसे परिवारों के सदस्य आर्थिक लालचवश उसे नौकरी करने की स्वीकृति तो दे देते हैं परन्तु घरेलू कार्यों में उसे सहयोग देते समय अनुदार हो हो जाते हैं । पुरूषों की अहम् भावना भी उन्हें सह कार्यों में सहयोग करने से टोकती हैं ।

अतः प्रस्तुत अध्ययन में कार्यशील महिलाओं की सामाजार्थिक स्थिति के अध्ययन में जहां एक ओर उनके कार्य करने के कारणों, कार्य में पारिवारिक सहयोग के मूल्यों का अध्ययन किया है वहीं दूसरी ओर उसकी घरेलू जिम्मेदारी पर भी विचार किया है । कार्यरत महिलओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन मात्र उसके पारिश्रमिक से न कर व्यय संदर्भ में उसकी भूमिका से भी किया है ।

---

(4) "It has been reported that 58 % Women apad opted for a job out of ecconomic pressure"
Anindita Mukherjee and Neelam Verma socio Economi Backwardness in women Ashish Publishing house New Delhi."

इलाहाबाद नगर की 7% कार्यशील जनसंख्या में 81% कार्यशील जनसंख्या अन्य सेवा क्षेत्र में कार्यरत है जिसमें यद्यपि संगठित व असंगठित दोनों ही क्षेत्र सम्मिलित है किन्तु संगठित क्षेत्र की कार्यशील जनसंख्या चूंकि मात्र अन्य सेवा क्षेत्र में ही सम्मिलित है जिसमें कृषक, मजदूर {खेतिहर}, लघु उद्योग व फैक्ट्री से सम्बद्ध वर्ग का अवकलन नहीं है अतः यह सम्भावना की जाती है कि अन्य सेवा क्षेत्र से सम्बद्ध कार्यशील जनसंख्या में अधिकांश संगठित क्षेत्र से जुड़ी है ।

शहरी क्षेत्र से सम्बद्ध कार्यरत महिलाओं के अध्ययन के पीछे औचित्य है कि यदि हम कार्यरत महिलाओं की दशा के बारे में कुछ जानकारी ज्ञात कर पाये तो निश्चय ही उनकी कार्य करने की परेशानी कार्य न करने वालो महिलाओं के कार्यशील न होने का एक कारण हो सकती है ।

दूसरा प्रमुख पक्ष है कि यदि हम इन महिलाओं की कठिनाईयों को दूर कर सके तो भविष्य में महिलाओं की कार्य सहभागिता में वृद्धि कर सकते हैं ।

तीसरा पक्ष है महिलाओं के कार्य के कारण निश्चय ही आधुनिक परिवेश में महिलाओं के प्रति सामाजिक रूझान को स्पष्ट करेंगे । कि क्या महिला अपनी योग्यता के प्रति सचेष्ट होकर कार्य कर रही हैं या आर्थिक आवश्यकता वश । कार्यशील महिलाओं के प्रति उनका परिवार सहयोगी है या मूक दर्शक ? जो उनसे अर्थलाभ चाहता है व गृहणी के दायित्व की पूर्ति भी चाहता है ।

इन संदर्भों में अध्ययन, सामाजिक परिवेश में कार्यशील महिलाओं की स्थिति का प्रतिबिम्बन करायेगा । जो निश्चय ही आधुनिक सुधारवादी युग की आवश्यकता की पुकार है ।

उपकल्पना

यद्यपि सामाजिक समस्या के संदर्भ में किसी निश्चित उपकल्पना की संकल्पना नहीं की जा सकती है। किन्तु फिर भी साहित्यावलोकन, सामाजिक परिदृश्य के अध्ययन व वर्तमान अध्ययन की आवश्यकता के पीछे अदृश्य रूप से छुपे कारणों से हम कुछ कल्पना कर सकते हैं।

1. शिक्षा व व्यवसाय के स्वरूप व आय में अन्योयाश्रित सम्बन्ध है।
2. कार्य करने के कारणों में शैक्षणिक प्रभाव स्पष्ट रूप से मुखरित होता है।
3. शिक्षा स्तर व व्यवसाय के स्वरूप का परिवार में बच्चों की संख्या पर प्रभाव पड़ता है।
4. वर्तमान व्यवसाय हेतु संदर्भ में शैक्षणिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति व जाति धर्म का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है।
5. अधिकांश महिलाएं दोहरे कार्य भार से त्रस्त हैं यद्यपि इनमें जातिवाद, शैक्षणिक स्थिति व धार्मिक स्थिति का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है।

<u>अध्ययन क्षेत्र का चुनाव</u> इलाहाबाद नगर में संगठित क्षेत्र से सम्बद्ध कार्यशील महिलाओं के विशिष्ट अध्ययन हेतु निदर्शन का प्रतिचयन या दैव निदर्शन प्रणाली द्वारा किया, जो कि इलाहाबाद नगरीय क्षेत्र अन्य क्षेत्र से सम्बद्ध कार्यशील महिला वर्ग का । प्रतिशत था ।

कुल-225 कार्यशील महिला वर्ग का सर्वेक्षण किया जो कि विभिन्न जाति-धर्म व आयु वर्ग से सम्बद्ध थीं इन महिलाओं से अनुसूची द्वारा प्रश्न पूछकर उनकी सामाजार्थिक स्थिति का अवलोकन करे किया महिलाओं की दशा सुधारने के संदर्भ में उनके सुझावों को भी आत्मसात् करने का प्रयत्न किया है।

<u>अनुसूची का स्वरूप</u> अनुसूची मुख्यतः चार खण्डों में विभक्त थी ।

प्रथम खण्ड में उत्तर दाता का परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न किया जिसमें उसकानाम, पता, आयु, जाति, धर्म, वैवाहिक स्थिति, शैक्षणि स्थिति, परिवार का स्वरूप, बच्चों की संख्या, संरक्षक का व्यवसाय व आय ज्ञात करने का प्रयत्न किया है ।

द्वितीय खण्ड में उत्तरदाता का वर्तमान व पूर्व व्यवसाय, पद आय के अतिरिक्त उनके व्यवसाय से सम्बद्ध रहने के कारण, व्यवसाय से सन्तुष्टि, वर्तमान व्यवसाय हेतु संघर्ष, पारिवारिक सहयोग जैसे प्रश्नों के आधार पर उनकी सामाजिक अवस्था ज्ञात करने का प्रयत्न किया है । साथ ही व्यय प्रक्रिया में उनके योगदान के आधार पर उनकी आर्थिक महत्ता पर भी विचार करने का प्रयत्न किया है ।

तृतीय खण्ड में कार्यशील महिलाओं की घरेलू कार्यों में सहभागिता का अध्ययन तथा उनके अवैतनिक कार्यों की महत्ता को ध्यानागत रखने का प्रयत्न किया है

चतुर्थ खण्ड में महिलाओं की स्थिति व उनकी दशा में सुधार हेतु किए गए उपायों द्वारा महिलाओं की जागरूकता को भी ज्ञात करने का प्रयत्न किया है । इस खण्ड में आरक्षण के संदर्भ में भी महिलाओं के विचारों को ज्ञात करने का प्रयत्न किया है ।

अनुसूची निर्माण कार्य गुरूवर्य डा० प्रहलाद कुमार व श्री जगदीश नारायण के साथ एक लम्बी वार्ता के उपरान्त एक माह के पश्चात् तैयार हुआ ।

<u>पूर्व सर्वेक्षण</u> अनुसूची निर्माण के पश्चात् सर्वेक्षण प्रक्रिया के प्रारम्भ में 20 महिलाओं से प्रश्न पूछकर पूर्व सर्वेक्षण किया जिसमें कुछ भाषायिक क्लिष्टता सम्बन्धित त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न किया साथ ही सही उत्तर ज्ञात करने हेतु प्रश्न पूछने के तरीके में भी सुधार की आवश्यकता महसूस हुई ।

<u>सर्वेक्षण प्रक्रिया</u> सर्वेक्षण कार्य हेतु विभिन्न कार्यालयों व संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करने के उपरान्त उनके भोजनावकाश के समय ही महिलाओं से सम्पर्क स्थापित किए जा सके । प्रत्येक महिला को प्रश्न का उत्तर देने में कम से कम 15 मिनट का समय लगा अतः एक दिन में दो कार्यालयों से सम्पर्क स्थापित करने में अधिक से अधिक 10 महिलाओं का सर्वेक्षण सम्भव हो पाया । सर्वेक्षण कार्य 3 माह में पूर्ण हो पाया ।

<u>विश्लेषण प्रक्रिया</u> पूर्ण अनुसूची को सर्वप्रथम वैवाहिक स्थिति व जाति धर्म के आधार पर श्रेणी बद्ध कर कोड किया, तदोपरान्त एक सूची पुस्तिका तैयार की । सूची पुस्तिका के आधार पर प्राप्त कोड को चार्ट शीट पर अंकित किया क्योंकि यह कार्य हस्तलिपि में था अतः इसे चार्ट शीट पर अंकित करने में दो माह का समय लगा ।

विभिन्न प्रश्नों से निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु तालिकाओं का निर्माण किया जिनमें किसी भी प्रश्न के उत्तर को वैवाहिक स्थिति, जाति, धर्म व आय विभाजन के रूप में विभाजित किया । सर्वप्रथम इन तालिकाओं में बारम्बारता चिह्न के आधार पर संख्या ज्ञात की । इन पूर्व तालिकाओं के निर्माण में 4 माह का समय लगा ।

तत्पश्चात इन तालिकाओं का निर्माण कर प्रतिशतांक किया जिसे पूर्ण होने में एक माह का समय लगा ।

पुनः इन अंकात्मक प्रतिशतांक के रूप में उपलब्ध तालिकाओं का विश्लेषण गुरूवर्य से वार्तालाप के उपरान्त 4 माह में विश्लेषणात्मक रूप में अपनी सामर्थ्यानुसार महिलाओं की स्थिति का स्वरूप स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है ।

यथा सम्भव औसत, सहसम्बन्ध जैसी सांख्यिकी प्रक्रिया का प्रयोग करने का प्रयत्न किया । साथ ही आवश्यकतानुसार ग्राफ का भी प्रयोग करने का प्रयत्न किया है ।

कार्यशील महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति

इलाहाबाद नगर के संदर्भ में विशेष अध्ययन

प्रस्तुत प्रश्नों से प्राप्त सूचनाएँ पूर्णतः गोपनीय रहेंगी । अतः आप हमारे प्रश्नों का उत्तर बिना किसी संकोच व झिझक के दें । इन सूचनाओं का उद्देश्य भारतीय महिलाओं की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, स्थिति ज्ञात करना, उनकी स्थिति में सुधार लाने व उसे बेहतर बनाने हेतु दिशा निर्देश देना है ।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप प्रश्नों के यथासम्भव सही उत्तर देने का कष्ट करेंगी ।

सर्वेक्षण तिथि

I

§1§ उत्तरदाता का नाम :

§2§ 1-स्थायी पता :

2- स्थानीय पता :

§3§ जाति — अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति / सामान्य / अन्य कोई §उल्लेख करें§

§4§ धर्म — हिन्दू / मुस्लिम / सिक्ख ईसाई / अन्य कोई §उल्लेख करें§

§5§अ- जन्म तिथि — तिथि माह वर्ष

ब- आयु वर्ग §वर्षों में§

18 से कम	18-21	21-25
25-30	30-35	35-40
40-45	45-50	50-55
55-60	60 से अधिक	

§6§ 1- वैवाहिक स्थिति — विवाहित / अविवाहित

2- यदि विवाहित हैं तो विवाह का वर्ष ---

3- यदि विवाहित हैं, तो वर्तमान स्थिति - सधवा / विधवा /
तलाक शुदा / परित्यक्ता / अन्य

§7§ 1- यदि विवाहित हैं तो क्या बच्चे है ? हाँ / नहीं

2- आपके बच्चों को संख्या - पुत्र / पुत्री / कुल

3- आपके बच्चे किस आयु वर्ग में हैं ? कृपया विवरण दीजिए

आयु वर्ग §वर्ष में §	बच्चों को संख्या
0-6	......
6-12	....
12-18	....
18-30	....
30 से अधिक	.....

§8§ परिवार को प्रकृति - एकल / संयुक्त

§9§ परिवार में आश्रितों को कुल संख्या -

§10§ परिवार में आय उपार्जित करने वाले सदस्यों को संख्या -

§11§ वर्तमान समय में आप किसके साथ रह रहीं है ? -

§आप एक से अधिक विकल्पों को बता सकती हैं §

पति / बच्चे / सास श्वसुर

माता-पिता / ससुराल के परिवार जन्य

माता-पिता के परिवार जन / अकेले

मित्र / अन्य § उल्लेख करें §

§12§ आर्थिक स्थिति -

संरक्षक का व्यवसाय § उत्तरदाता से सम्बन्ध §

सरकारी नौकरी / अर्द्ध सरकारी नौकरी / निजी नौकरी / स्वरोजगार

कृषि / उद्योग-व्यवसाय / स्वायत संस्थाएं / अन्य

§13§ संरक्षक की मासिक आय § रूपयों में §

500 से कम	500-1000	1000-2000
2000-3000	3000-4000	4000-6000
6000 से अधिक		

§14§ परिवार के व्यय सम्बन्धी निर्णयों में क्या आपसे
परामर्श किया जाता है   हाँ / नहीं
सहमति की जाती है   हाँ / नहीं

§15§ क्या आप स्वतंत्र रूप से स्वयं व्यय करती हैं -   हाँ/नहीं
यदि हाँ तो किन मदों पर मुख्य रूप से व्यय करतीं हैं।
घरेलू आवश्यकता / चिकित्सा / शिक्षा / सामाजिक प्रतिष्ठा
सौन्दर्य प्रसाधन / सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यकलाप / यात्रा पर व्यय

§16§ उत्तरदाता को शैक्षणिक स्थिति -
1- निरक्षर / अक्षर ज्ञान / प्राथमिक
हाई स्कूल / इण्टरमीडिएट / स्नातक
स्नातोकत्तर / व्यवसायिक डिग्री/व्यवसाइक डिप्लोमा

2-

अन्तिम शिक्षा प्राप्तकरने वाली संस्था का नाम	संस्थागत व्यक्तिगत	शिक्षा का माध्यम	वर्ष	वर्ग कला/ विज्ञान/ वाणिज्य/विधि

§1§ उत्तरदाता का व्यवसाय / रोजगार
सरकारी व अर्द्ध सरकारी नौकरी / निजी नौकरी /स्वायत्त संस्थायें
स्वरोजगार / कृषि बागवानी / उद्योग –व्यापार /घरेलू उद्योग/
अन्य § उल्लेख करें §

§2§ 1–आप स्वयं को किस क्षेत्र में रखेंगी ? संगठित असंगठित

2– कृपया वर्तमान व पूर्व की नौकरी/ रोजगार के संदर्भ में निम्न विवरण दीजिए ।

	पद का नाम	कार्य स्थल कार्यालय पता	कब से कब तक	छोड़ने का कारण यदि हो	मासिक आय रुपयों में
वर्तमान					
पूर्व की					
§1§					
§2§					
§3§					

3– असंगठित कार्यशील महिलाओं हेतु

कार्य का नाम	प्रतिदिन कार्य घंटे	आय §रुपए में §

मासिक

आय– §रुपयों में§

500 से कम 500–1000 1000–2000 2000–3000
3000–4000 4000–6000 6000 से अधिक

§3§ आप कार्य किसकी इच्छा/ परामर्श से कर रही हैं ?

स्वयं अपनी इच्छा से -

माता पिता की इच्छा से -

पति की इच्छा से -

सास श्वसुर की इच्छा से -

अन्य किसी की इच्छा से -

§ उल्लेख करें §

§4§ आप कार्य क्यों कर रही हैं ? § आप एक से अधिक विकल्प बता सकती हैं §

आर्थिक आवश्यकता -

सामाजिक प्रतिष्ठा -

पारिवारिक तनाव -

जीवन स्तर को उन्नत करने हेतु -

समय व्यतीत करने हेतु -

योग्यता व क्षमता का उपयोग करने हेतु -

आत्म सन्तुष्टि हेतु

अन्य कारण -

§ उल्लेख करें §

§5§ आपके कार्य करने में परिवार के किन सदस्यों का सहयोग प्राप्त है ?

§ आप एक से अधिक विकल्प बता सकती हैं §

माता पिता -

सास-श्वसुर -

पति -

बच्चे -

परिवार के अन्य सदस्य

मित्र

किसी का नहीं -

अन्य

§उल्लेख करें§

III

§1§ अमूल्यांकित कार्यों का आकलन

कार्य का विवरण	स्वय	सामान्यत: स्वयं	परिवारके सहयोग से	नौकरी से या क्रय की गई सेवा
खाना बनाना				
घर को सफाई				
वर्तन साफ करना				
कपड़ा धोना				
बच्चों की देखभाल				
बच्चों को पढ़ाना				
बाजार का कार्य				
आचार/सॉस बनाना				
सिलाई				
बुनाई				
कढाई				
अन्य § §				

§2§ आपके अमूल्यांकित कार्यों को परिवार जन महत्व देते हैं ?

बहुत अधिक   सामान्य   उदासीन/तटस्थ   अन्यल्प

बिल्कुल नहीं

§3§ क्या आप महिलाओं की वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट हैं ?

बहुत अधिक सन्तुष्ट -

सन्तुष्ट -

न सन्तुष्ट न असन्तुष्ट-

असन्तुष्ट -

बहुत अधिक असन्तुष्ट -

§4§ इस स्थिति में सुधार लाने हेतु आप क्या सुझाव देंगी ?

§1§

§2§

§3§

§5§ आपके विचार में आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए ।

केवल आर्थिक आधार पर -

केवल जाति के आधार पर-

जाति व आर्थिक आधार पर -

जाति, आर्थिक व कुछ अन्य आधार पर -

अन्य आधार पर § उल्लेख करें §

§6§ क्या आप सरकारी नौकरी में आरक्षण के पक्ष में हैं ? हाँ नहीं

§7§ 1- क्या आप महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण के पक्ष में हैं ।

हाँ नहीं

2- कृपया कारण बताइए -

3- यदि हाँ, तो आप महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण के पक्ष में हैं ? .... प्रतिशत

§8§ महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में निम्न कारकों को उनके महत्त्व के अनुसार प्राथमिकता क्रम में दर्शाइए ।

शिक्षा	§ §
रोजगार	§ §
सामाजिक जागरूकता	§ §
सरकारी प्रयास	§ §
कानूनी संरक्षण	§ §

§9§ 1-आपके विचार में क्या सरकार महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है ? हाँ नहीं

2- यदि हाँ तो किस तरह कृपया सुझाव दीजिए ।

....

पर्यवेक्षक : डॉ0 प्रहलाद कुमार
रीडर
अर्थशास्त्र विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

शोधकर्त्री कु0 प्रीति मिश्रा
शोध छात्रा
अर्थशास्त्र विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

प्रतिदर्श का स्वरूप :-

इलाहाबाद नगर में कार्यशील महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक को ज्ञात करनेहेतु, व व्यष्टमणि रूप में तत्सम्बन्धी स्थिति के अध्ययन के संदर्भ में निदर्शन का प्रतिचयन इलाहाबाद नगर में कार्यशील महिलाओं के उससमूह से कियाहै जो कृषि व तत्सम्बन्धी क्षेत्र व घरेलू उद्योग को छोड़कर अन्य सेवा क्षेत्र में मुख्य कर्मकार के रूप में कार्यरत है। इन विभिन्न सेवा क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं कुशल व अकुशल दोनों ही रूपों में पायी जाती है।

कार्यशील महिला से हमारा तात्पर्य उस महिला वर्ग से है जो शारीरिक व मानसिक कार्य द्वारा अर्थोपार्जन कर रही है। अर्थात कार्यशील महिला वर्ग वह है जो कि शारीरिक व मानसिक श्रम करती है व जिन्हें प्रतिफल के रूप में आय, मजदूरी या वेतन प्राप्त होता है और जो कम से कम 6 माह से लगातार कार्यरत है।

प्रतिदर्श का चयन मात्र संगठित क्षेत्र की महिला कर्मकारों से लियागयाहै, जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सरकार के अधीन सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालयों व फैक्टरियों में कार्यरत महिलाएं विभिन्न स्वायत संस्थानों में कार्यरत महिलाएं सम्मिलित है। साथ ही निजी संस्थानों व स्वरोजगार महिलाओं का वह भाग भी सन्निहित है जो कि पंजीकृत है।

PLAN OF
NAGAR MAHAPALIKA
ALLAHABAD
SCALE 2½-1 MILE

इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के पूर्वी सम्भाग में स्थित है। तीन ओर नदियों से घिरा गंगा यमुना का संगम स्थलीय इस क्षेत्र के उत्तर में प्रतापगढ़ व जौनपुर जिले है। पूर्व में वाराणसी , दक्षिण पूर्व में मिर्जापुर , दक्षिण में मध्यप्रदेश (रीवां) और बांदा व फतेहपुर दक्षिण पश्चिम में और पश्चिम में स्थित है इलाहाबाद क्षेत्र की पूर्व से पश्चिम तक लम्बाई 117 कि॰मी॰व उत्तर से दक्षिण में चौडाई 111 कि॰मी॰ है।

इलाहाबाद नगरीय क्षेत्र की कुल जनसंख्या 8,58,213 है जिसमें पुरूष जनसंख्या 4,72,709 व महिला जनसंख्या 3,85,504 है। अर्थात प्रति हजार पुरूष पर 815 महिलाएं निवास करती है।

इलाहाबाद नगर में कुल कार्यशील व्यक्तियों की संख्या 2,25,811 है अर्थात कुल जनसंख्या का 26% भाग कार्यरत है या अर्थोपार्जन कार्यों में संलग्न है। जिसमें कुल पुरूष जनसंख्या का लगभग 42% भाग कार्यशील है व महिला जनसंख्या का मात्र 7% भाग कार्यरत है।

Census of India 1991.Series 1 Paper-3 table-2

Provisional Population Tables. workers and this distribution.

इलाहाबाद नगरीय क्षेत्र में कार्यरत पुरूष व महिलाओं का कार्यानुसार विवरण कुछ इस प्रकार है। "1"

इलाहाबाद नगरीय क्षेत्र में मुख्य कर्मकारों का विवरण "2"

	कुलमुख्य कर्मकार	कृषक	खेतिहर मजदूर	घरेलूउद्योग	अन्य कर्मकार
व्यक्ति	225802	4978	3390	25998	181436
	(100.0)	(2.2)	(1.5)	(11.5)	(84.8)
पुरूष	197871	4355	2748	27184	168581
	(100.0)	(2.2)	(1.4)	(13 .7)	(85.2)
महिला	27931	623	642	3814	22852
	(100.0)	(2.2)	(2.3)	(13.6)	81.8)

स्पष्टतः इलाहाबाद नगरीय क्षेत्र में व्यक्ति सर्वाधिक अन्य कार्यों में संलग्न है चाहे वह पुरूष हो या महिला। (प्रतिदर्श में प्रदत्त महिलाएं, कुंल कार्यशील महिलाओं का जो कि अन्य क्षेत्रों में कार्यरत है का है।

यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि इलाहाबाद नगरीय क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत पिछले दशक में तीव्र गति से बढा है। जो इस तथ्य को दर्शाता है कि पुरूष कर्मकारों के मुकाबले महिला कर्मकरों में तेजी से वृद्धि हुई है किन्तु ग्रामीण क्षेत्र में यह वृद्धि दर शहरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक है।

---

(1) सारिणी नं0 4

(2) नोट:- कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशतता दर्शाते है।

वर्ष 1981 व 91 में इलाहाबाद की कुल जनसंख्या में कार्यशील स्त्री व पुरूषों का अनुपात (प्रतिशत में)

			1981	1991
कुल	व्यक्ति		30.25	34.96
	स्त्री		10.02	21.16
	पुरूष		48.25	47.05
ग्रामीण	व्यक्ति		31.29	37.11
	स्त्री		11.46	24.49
	पुरूष		48.32	48.33
शहरी	कुल	26.16	26.16	26.92
	स्त्री		4.12	8.13
	पुरूष		44.27	42.41

यदि हम भारत व उत्तर प्रदेश में पिछले दशक के दौरान शहरी क्षेत्र में कार्यशील महिलाओं की दर से तुलनात्मक अध्ययन करे तो स्पष्ट होगा कि इस क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है।

सारिणी नं0 6

उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में कार्यशील स्त्री पुरूषों का प्रतिशत :-

		1981	1991
कुल	व्यक्ति	30.72	32.27
	पुरूष	50.76	49.37
	स्त्री	8.07	12.87
ग्रामीण	व्यक्ति	31.46	50.15
	पुरूष	51.49	50.15
	स्त्री	9.04	14.72
शहरी	व्यक्ति	27.29	27.31
	पुरूष	47.46	46.29
	स्त्री	3.46	5.30

भारत में कुल जनसंख्या में कार्यशील स्त्री व पुरूषों का प्रतिशत

		1981	1991
कुल	व्यक्ति	36.77	37.64
	पुरूष	52.65	51.52
	स्त्री	19.77	22.69
ग्रामीण	व्यक्ति	38.87	40.13
	पुरूष	53.86	52.43
	स्त्री	23.18	27.06
शहरी	व्यक्ति	30.00	3045
	पुरूष	49.07	48.96
	स्त्री	8.32	9.73

इलाहाबाद नगरीय क्षेत्र में साक्षरता

		1981	
व्यक्ति	जनसंख्या	साक्षर व्यक्ति	प्रतिशतता
पुरुष	338360	275017	81.3
स्त्री	277691	152335	54.8
कुल	616051	427352	69.4

जैसा कि उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है इलाहाबाद नगरीय को दो तिहाई जनसंख्या साक्षर है।

इलाहाबाद जनपद को तीन चौथाई जनसंख्या हिन्दू है एक चौथा से कुछ कम मुस्लिम व शेष अन्य धर्म से सम्बद्ध है।

इलाहाबाद जनपद में धर्मानुसार जनसंख्या 1981 प्रतिशत में:-

धर्म	कुल	ग्रामीण	नगरीय
हिन्दू	86.95%	89.70%	76.09%
मुस्लिम	12.77%	10.23%	22.71%
ईसाई	6.18%	0.03%	0.76%
सिक्ख	0.07%	0.01%	0.32%
अन्य	0.03%	0.02%	0.10%

स्रोत:- सांख्यिकी पत्रिका , इलाहाबाद मण्डल 1990
कार्यालय उपनिदेशक राज्य नियोजन संस्थान
अर्थ एवं सांख्यिकी प्रभाग
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।, उत्तर प्रदेश।

सारिणी नं0

नोट:- इलाहाबाद जनपद में 80% ग्रामीण व 20% शहरी जनसंख्या निवा[स]
करती है।

विश्लेषण का स्वरूप :-

कार्यशील महिलाओं की सामाजार्थिक स्तर को ज्ञात करने हेतु निम्न मापकों का प्रयोग किया है।

1. सामाजिक निदर्शक
2. शैक्षिणक निदर्शक
3. आर्थिक निदर्शक

यद्यपि यह तीनो ही निदर्शक एक दूसरे से एक कड़ी के रूप में जुड़े है तथापि इन तीनों चरों के माध्यम से हम सामाजार्थिक स्थिति पर प्रकाश डाल सकते है। उदाहरणार्थ किसी व्यक्ति की शैक्षणिक स्थिति उसकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है व आर्थिक स्थिति उसकी सामाजिक स्थिति को, यद्यपि अपवाद स्वरूप कभी-कभी इससे अलग भी स्थिति परिलक्षित हो सकती है पर इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यह सभी चर अन्योयाश्रित है तथा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में सामाजार्थिक स्थिति को परिलक्षित करते है।

इन चरों को मापने हेतु हमने कुछ उपचरो का चुनाव किया है जिसका विवरण कुछ इस प्रकार है:-

1. सामाजिक निदर्शक :-

1. जाति
2. धर्म
3. वैवाहिक स्थिति
4. परिवार का स्वरूप
5. कार्य करने के कारण
6. वर्तमान व्यवसाय हेतु संघर्ष
7. वर्तमान व्यवसाय से संतुष्टि
8. महिलाओं की घरेलू कार्यो में भागीदारी

9. कार्य में पारिवारिक सहयोग

10. परिवार में उनकी महत्ता

इसके अतिरिक्त व्यवसाय हेतु प्रवास की इच्छा बच्चो की संख्या विवाह के पूर्व या पश्चात व्यवसाय की इच्छा कुछ अन्य कारण उसकी सामाजिक स्थिति को आंचल में समेटे है जिन्हें ज्ञात करने को कोशिश की है।

2. शैक्षणिक निदर्शक:-

1. उत्तरदाता को शैक्षणिक स्थिति
2. शिक्षा का स्वरूप (कला/विज्ञान/वाणिज्य विधि)
3. व्यवसायिक डिग्री व डिप्लोमा
4. शिक्षा का माध्यम व स्थान
5. शिक्षा व्यवसाय के पूर्व व पश्चात

3. आर्थिक स्थिति :-

1. वर्तमान पद (उत्तरदाता)
2. वर्तमान आय (उत्तरदाता)
3. संरक्षण का व्यवसाय व आय
4. परिवार के आश्रित सदस्य
5. परिवार में आयोपार्जित करने वाले सदस्य
6. परिवार के व्यय सम्बन्धी निर्णयों में उत्तरदाता की भूमिका व व्यय स्वरूप
7.

महिलाओं के सुझाव:-

इसके अतिरिक्त महिलाओं के मनोभावो को भी छूने की

कोशिश की है जो कि विभिन्न विषयों में उनके सुझावों द्वारा मुखरित हुए। यह जानकारियां है।

1. वर्तमान परिपेक्ष्य में महिलाओं की संतुष्टि
2. महिलाओं की दशा सुधारने हेतु सुझाव
3. महिलाओं की दशा सुधारने हेत सरकार की भूमिका
4. आरक्षण के संदर्भ में महिलाओं के विचार

प्रतिदर्श का विशेषताएं व विश्लेषण:-

विशेषताएं:-

प्रस्तुत अध्ययन हेतु 225 महिलाओं का चुनाव किया गया है, प्रतिदर्श में तीन चौथाई भाग विवाहित महिलाओं का व एक चौथाई भाग अविवाहित महिलाओं का है।

धर्म:-

प्रतिदर्श में धर्म के अनुसार कार्यशील महिलाओं का वितरण इस प्रकार है। कुल कार्यशील महिलाओं में 85% महिलाएं हिन्दू हैं, 10% महिलाएं मुस्लिम है तथा सिक्ख, ईसाई व अन्य धर्म से सम्बन्धित महिलाओं की भागीदारी 5% है। प्रतिदर्श में अविवाहित हिन्दू महिलाओं का प्रतिशत (26.4%) अविवाहित मुस्लिम महिलाओं का प्रतिशत (8.69%) से अधिक है। प्रतिदर्श में विवाहित ईसाई महिलाएं अविवाहित ईसाई महिलाओं की आठ गुनी है। जबकि कोई भी सिक्ख महिला विवाहित नहीं है। (सारिणी -1)

विवाहित एवं अविवाहित महिलाओं का धर्म के
अनुसार वर्गीकरण
150
100
50
10
0
हिन्दू
मुस्लिम
अन्य
विवाहित
अविवाहित

सारिणी (1)

-:विवाहित व अविवाहित कार्यशील महिलाओं का धर्म के अनुसार वर्गीकरण:-

धर्म/वैवाहिक स्थिति	हिन्दू	मुस्लिम	अन्य	योग
विवाहित	141 (82.9)	21 (12.3)	8 (4.7)	170 (100.0)
अविवाहित	51 (92.7)	2 (3.6)	2 (3.6)	55 (100.0)
योग	192 (85.3)	23 (10.2)	10 (4.4)	225 (100.0)

जाति:-

प्रतिदर्श में 6.1% अनुसूचित जाति /जनजाति की महिलाएं है 4.4% महिलाएं पिछडी जाति की है तथा शेष89.3% महिलाएं सामान्य जाति से सम्बद्ध है। यह गौर करने की बात है कि प्रतिदर्श में कोई भी अविवाहित महिला अनुसूचित जाति व जनजाति की नही है, मात्र 1.8% अविवाहित महिला पिछडी जाति की है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवार सम्भवतः सांस्कृतिक व सामाजिक प्रतिबन्ध के कारण अपनी लड़कियों को विवाह से पूर्व कार्य के लिए नहीं भेजते है। कुल विवाहित महिलाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला का प्रतिशत8.15% पिछडी जाति की महिलाओं का प्रतिशत 5.2% तथा

सामान्य जाति की विवाहित महिलाओं का प्रतिशत 86.4% है। अविवाहित महिलाओं में सामान्य जाति की अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत 98.11% है। स्पष्टतः सामान्य जाति की अविवाहित महिलाएं आत्म निर्भरता की ओर उन्मुख है, निश्चय ही सामान्य जाति केपरिवारों में इस संदर्भ में धनात्मक व आशाजनक प्रतिक्रिया परिलक्षित हो रही है। (सारिणी -2)

सारिणी (2)

-: विवाहित व अविवाहित कार्यशील महिलाओं का जाति के अनुसार वर्गीकरण

जाति/वै. स्थिति	अनुजाति /जनजाति	पिछड़ीजाति	सामान्य जाति	योग
विवाहित	14	9	147	170
	(8.2)	(5.3)	(86.5)	(100.0)
अविवाहित	—	1	54	55
		(१.८)	(९८.२)	(100.0)
योग	14	10	201	255
	(६.२)	(४.४)	[illegible]	(100.0)

आयु वर्ग के अनुसार:-

विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार कार्यशील महिलाओं का वितरण कुछ इस प्रकार है। लगभग 60% महिलाएं 25-40 आयु वर्ग के अन्तर्गत पाई गयी जिसमें विवाहित महिलाओं की लगभग 55% व अविवाहित महिलाओं

विवाहित व अविवाहित महिलाओं का
आयु वर्ग के अनुसार वर्गीकरण

संख्या

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

32
16
6

0 10 20 30 40 50 60

← आयु वर्ग →

विवाहित अविवाहित

की लगभग 70% इस आयु वर्ग के अन्तर्गत पाई गयी। स्पष्टतः कुल प्रतिदर्श का आधे से अधिक भाग 25-40 आयु वर्ग के मध्य पाया गया। साथ ही यहां यह तथ्य भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि कोई भी महिला 21 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक नहीं पायी गयी। जिसका एक कारण प्रतिदर्श का चुनाव संगठित क्षेत्र से लिया जाना है।

अविवाहित महिलाओं में 40% महिलाएं 25-40 आयु वर्ग के मध्य पायी गयी पुनःश्च 30वर्ष आयु से अधिक अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः कम होता जाता है। जबकि विवाहित महिलाओं में सर्वाधिक 24% महिलाएं 35-40 आयु वर्ग की है व पुनश्चः 40 वर्ष से अधिक विवाहित आयु वर्ग में क्रमिक रूप से महिलाओं का प्रतिशत कम होता जाता है किन्तु यह संगत ठीक पहले वे अविवाहित आयु वर्ग के प्रतिशत से अधिक है। (सारिणी-3)

(सारिणी -3)

विवाहित व अविवाहित महिलाओं (कार्यशील) का आयुवर्ग के अनुसार विवरणः-

आयु वर्ग वै. स्थिति	21-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	
विवाहित	3 (1.8)	21 (12.4)	32 (18.8)	40 (23.5)	28 (16.5)	43 ~~25~~ (13.5)	17 (10.0)	6 (3.5)	1 (1
अविवाहित	10 (18.1)	22 (40.0)	12 (21.8)	4 (7.3)	4 (7.3)	2 (3.6)	1 (1.8)	— (0.0)	5 (
योग	13 (5.8)	43 (19.1)	44 (19.5)	44 (19.5)	32 (14.2)	45 (20.0)	18 (8.0)	6 (2.7)	 (

शैक्षणिक स्थिति:-

प्रतिदर्श में शिक्षा के अनुसार विवरण कुछ इस प्रकार पाया गया। कुल महिलाओं का 1/4 भाग इण्टरमीडिएट व उससे कम शिक्षित है तथा 2% महिलाएं अशिक्षित है तथा 3/4 भाग महिलाओं का वह है जो स्नातक व स्नातोक्तर स्तर तक शिक्षित है।

अविवाहित महिलाओं का 85% भाग उन महिलाओं का है जो स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षित है जबकि विवाहित महिलाओं में 70% से कुछ कम महिलाएं इस स्तर तक शिक्षित है। स्पष्टतः अविवाहित महिलाओं का अधिक भाग उच्च शिक्षा प्राप्त है अपेक्षाकृत विवाहित महिलाओं के निश्चय ही शैक्षणिक स्तर उच्च होने का कारण प्रतिदर्श का चयन मात्र संगठित क्षेत्र से लिया जाना है।

कोई भी अविवाहित महिला अशिक्षित नही है जबकि 2% विवाहित महिलाएं अशिक्षित है।

अविवाहित महिलाओं का 4% भाग मात्र प्राथमिक स्तर तक शिक्षित है जबकि विवाहित महिलाओं में 3% महिलाएं प्राथमिक स्तर तक शिक्षित है।

विवाहित महिलाओं का चौथा भाग इण्टरमीडिएट स्तर तक शिक्षित है जबकि अविवाहित महिलाओं का दसवां भाग ही इण्टरमीडिएट स्तर तक शिक्षित है। (सारिणी -4)

अविवाहित
विवाहित
निरक्षर
अक्षर ज्ञान
प्राथमिक
माध्यमिक
उच्च माध्यमिक
स्नातक
स्नातोकत्तर

सारिणी (4)

विवाहित व अविवाहित महिलाओं का शैक्षणिक स्थिति के अनुसार विवरण :-

स्थिति i. स्थिति	निरक्षर	अक्षरज्ञान	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	स्नातक	स्नातकोत्तर	योग
विवाहित	4 (2.4)	1 (.6)	4 (2.4)	11 (6.5)	33 (19.4)	41 (24.1)	76 (44.7)	170 (100.0)
अविवाहित	0 (0.0)	1 (1.8)	1 (1.8)	0 (0.0)	6 (10.9)	19 (34.5)	28 (50.9)	55 (100.0)
योग	4 (1.8)	2 (0.9)	5 (2.2)	11 (4.9)	39 (17.3)	60 (26.7)	104 (46.2)	225 (100.0

व्यवसायिक योग्यता :-

जब हम प्रतिदर्श में प्रतिचयित कार्यशील महिलाओंमें तकनीकी ज्ञान का अध्ययन करते है तो स्पष्ट होता है कि दो तिहाई महिलाओं को तकनीकी ज्ञान प्राप्त हैं व एक तिहाई महिलाएं वह है जिन्हें किसी भी प्रकार का व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं प्राप्त है।

विवाहित महिलाओं में लगभग 60% महिलाएं वह है जिन्हें व्यवसा प्रशिक्षण प्राप्त हैव, 40% गैर व्यवसायिक योग्यता प्राप्त महिलाएं है। अविवाहि महिलाओं का 70% से कुछ अधिक भाग व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त है व 30%

से कुछ कम गैर व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं है। सारिणी 5ख

यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि कुछ व्यवसायिक योग्यता प्राप्त महिलाएं का 72% भाग डिप्लोमा सर्टीफिकेट प्राप्त है जो मूलतः नर्स व शैक्षणिक प्रशिक्षण से सम्बद्ध है। शेष 28% महिलाएं पी.एच.डी. डिग्री अन्य व्यवसायिक डिग्री डाक्टर, इंजीनियर व अन्य तकनीकि ज्ञान टंकण, कम्प्यूटर टेलीफोन, आपरेटर में . समान रूप से विभक्त है।

साथ ही यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि डिप्लोमा सर्टीफिकेट प्राप्त विवाहित महिलाएं जहां 80% है वही अविवाहित महिलाओं में 50% के लगभग महिलाएं इस श्रेणी के अन्तर्गत आती है। निश्चय ही अविवाहित महिलाओं की अपेक्षा विवाहित महिलाएं शैक्षणिक प्रशिक्षण को अधिक वरीयता प्रदान करती है।

शायद यही कारण पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त महिलाओं पर भी लागू होता है जहां 11% विवाहित महिलाएं पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त है वही अविवाहित महिलाओं का 5% भाग इस डिग्री से सम्बद्ध है।

किन्तु जब हम व्यवसायिक डिग्री की ओर ध्यानाकृष्ट करते है तो स्पष्ट होता है कि जहां अविवाहित महिलाओं में 20% इसके अन्तर्गत आताहै वहीं विवाहित महिलाओं में मात्र 5% इस श्रेणी के अन्तर्गत आता है।

लगभग यही स्वरूप हमें अन्य तकनीकि ज्ञान में भी प्राप्त होता है। विवाहित महिलाओं के 5% के अनुपात में अविवाहित महिलाओं का 23% भाग कुछ विशेष तकनीकि ज्ञान प्राप्त है। सारिणी 5ब

निश्चय ही विभिन्न व्यवसायिक योग्यताओं में यह विभिन्नता इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि अब महिलाएं तकनीकि कुशलता व विभिन्न व्यवसायिक डिग्री प्राप्त कर सेवा क्षेत्र में आ रही है। जहां पहले शैक्षणिक

प्रशिक्षण व डिग्री को अहमियत प्रदान कर मात्र शैक्षणिक संस्थानों में ही रोजगार को महत्ता प्रदान करती थी। वही अब उनका झुकाव विभिन्न व्यवसायों में बढ़ रहा है।

सारिणी §5.1§

कार्यशील महिलाओं में व्यवसायिक योग्यता :-

व्यवसायिक योग्यता /वै. स्थिति	तकनीकि योग्यता	गैरतकनीकि योग्यता	योग
विवाहित	1016	69	170
	§59.4§	§40.6§	§100.0§
अविवाहित	40	15	55
	§72.7§	§27.3§	§100.0§
योग	141	84	225
	§62.7§	§37.3§	§100.0§

सारिणी (6.1)

विभिन्न कार्यशील महिलाओं के पदो के अनुसार विवरण :-

	अकुशल महिलाएं		कुशल महिलाएं					
	प्रशासनिक सेवा	अन्य सेवा	नर्स	डाक्टर	प्रवक्ता स्तर शिक्षिका	अन्य शिक्षिक	तकनीकि ज्ञान प्राप्त महिला	यो
विवाहित	64	9	5	5	21	59	7	171
	(37.6)	(5.3)	(2.9)	(2.9)	(12.4)	(34.7)	(4.1)	(100
अविवाहित	21	3	2	1	5	8	15	55
	(38.1)	(4.5)	(3.6)	(1.8)	(9.1)	(14.5)	(27.3)	(100
योग	85	12	7	6	26	67	22	225
	(37.8)	(5.3)	(3.1)	(2.7)	(11.5)	(29.8)	(9.8)	(100

कार्यक्षेत्र :-

प्रतिदर्श में ली गयी महिलाओं का आधा भाग सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालयों में कार्यरत है। एक तिहाई महिलाएं स्वायत्त संस्थानों में कार्यशील है तथा शेष 1/6 महिलाएं या तो स्वरोजगार है अथवा गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत है।

विवाहित महिलाओं में जहाँ लगभग 50%:भाग वह है जो सरकारी व अर्द्धसरकारी संस्थानों में कार्यरत है वही अविवाहित महिलाओं का 60% से कही अधिक भाग इस क्षेत्र में कार्यशील है।

जबकि स्वायत संस्थाओं में अविवाहित महिलाओं §18% § की तुलना में विवाहित महिलाएं अधिक§44%§ कार्यरत है। किन्तु गैर सरकारी निजी संस्थानों व स्वरोजगार अविवाहित महिलाएं §20%§ विवाहित महिलाओं§6%§ की तुलना में तीन गुनी से अधिक है।

सारिणी §6.2§

विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत महिलाएं :-

व्यवसाय /वै. स्थित	सरकारी	अर्द्धसरकारी	निजी क्षेत्र	स्वायत संस्थान	स्वरोजगार	यो
विवाहित	53	31	7	75	4	170
	§31.2§	§18.2§	§4.1§	§33.1§	§2.4§	§100.
अविवाहित	27	38	10	10	1	55
	§49.1§	§ 12.7§	§18.2§	§ 18.2§	2.4§	§ 10
योग	80	38	17	85	5	22
	§35.6§	§16.9§	§7.6§	§37.8§	§2.2 §	§ 100

आय वर्ग:-

प्रदत्त प्रतिदर्श की महिलाओं की मासिक आय का विवरण कुछ इस प्रकार है। प्रतिदर्श की लगभग 60% महिलाएं मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत आती है। 8% महिलाएं निम्न आय वर्ग की है तथा एक तिहाई महिलाएं वह है जो कि उच्च आय वर्ग की श्रेणी के अन्तर्गत आती है।

यहां यह स्पष्ट करना अत्यावश्यक है कि विवाहित महिलाओं के 55% अनुपात में अविवाहित महिलाओं का 65% भाग वह है जो कि मध्यम आय वर्ग को श्रेणी के अन्तर्गत आता है अर्थात विवाहित महिलाओं के अनुपात में अधिक अविवाहित महिलाएं मध्यम आय वर्ग की है। किन्तु निम्न आय वर्ग की 8% विवाहित महिलाओं की तुलना में अविवाहित महिलाओं की 5% महिलाएं ही है तथा उच्च आय वर्ग की 36% विवाहित महिलाओं की तुलना में अविवाहित महिलाओं की 29% महिलाएं है। सारिणी (7)

सारिणी (7)

विवाहित व अविवाहित महिलाओं का आय वर्ग के आधार पर वर्गीकरण

आयवर्ग /वै. स्थिति	निम्नआय वर्ग	मध्यम आय वर्ग	उच्चआय वर्ग	योग
विवाहित	13	96	16	170
	(7.6)	(56.5)	(35.9)	(100.0)
अविवाहित	3	36	16	55
7	(5.5)	(65.5)	(29.1)	(100.0)
योग	16	132	77	225
	(7.1)	(58.7)	(34.2)	(100.0

नोट -

निम्न आय :- 1000 रूपया से कम मासिक आय प्राप्त महिलाएं ।

मध्यम आय :- 1000 रूपया से 3000 तक मासिक आय प्राप्त महिलाएं ।

उच्च आय :- 3000 रूपया से अधिक मासिक आय प्राप्त महिलाएं।

प्रवास की इच्छा -

इलाहाबाद नगर में कार्यरत् महिलायें या तो इसी जिले की रहने वाली हैं अथवा उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से आई हैं अथवा उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त भारत के अन्य राज्यों से कार्य हेतु आई हैं । प्रतिदर्श की 84% महिलायें इलाहाबाद जिले की ही रहने वाली हैं 9% अन्य जिलों (उ0प्र0) से कार्य हेतु आई महिलायें हैं व 7% अन्य राज्यों से कार्य हेतु आई हैं ।

जब हम इस तथ्य पर विवाहित व अविवाहित रूप में वर्गीकृत कर अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि जहाँ 90% लगभग विवाहित महिलायें इलाहाबाद जिले की हैं वहाँ दो तिहाई (67%) अविवाहित महिलायें अन्य जिलों व राज्यों की हैं स्पष्टतः विवाहित महिलाओं की तुलना में (10%) अविवाहित महिलाओं (33%) में प्रवासी महिलाओं की संख्या अधिक है और यह समस्त अविवाहित प्रवासी महिलायें सामान्य जाति की ही हैं । सभी 20% अनुसूचित जाति व जनजाति की प्रवासी महिलायें विवाहित हैं । यह गौर करने की बात है कि अनुसूचित जाति जनजाति की प्रवासी महिलायें अधिकांशतः अन्य राज्यों से व्यवसाय हेतु आई हैं ।

(सारणी (8.1)(8.2))

(सारणी(8.1))

कार्यशील विवाहित महिलाओं का प्रवास के के आधार पर वर्गीकरण :-

स्थाई निवास वै. स्थिति	इला. जिले की कार्यशील महि.	उ.प्र. के अन्य अन्य जिलो से का. महि.	अन्य राज्यों से आई का. महि.	योग
विवाहित	152 (89.4)	9 (5.3)	9 (5.3.)	170 (100.0)
अविवाहित	37 (67.3)	11 (20.0)	7 (12.7)	55 (100.0)
योग	189 (84.0)	20 (8.9)	16 (7.1)	225 (100.0)

§ सारणी §8.2§ §

विभिन्न जाति की महिलाओं का प्रवास के आधार पर वर्गीकरण -

स्थाई निवास जाति	इला. जिलेकी का. महि.	उ.प्र. के अन्य जिलों से आई का. महि.	अन्य राज्यों से आई का. महि.	योग
अनु. जाति/अनु. जनजाति	11 §78.6§	1 §7.1§	2 §14.3§	14 §100.0§
पि. जाति	10 §100.0§	-	-	10 §100.0§
सामान्य	168 §83.6§	19 §9.5§	14 §6.96§	201 §100.0§
योग	189 §89.0§	20 §8.9§	16 §7.1§	225 §100.0§

विभिन्न धर्म की प्रवासी महिलाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कुल प्रवासी महिलाओं में कोई भी मुस्लिम महिला प्रवासी नहीं है अर्थात् सभी मुस्लिम महिलायें इलाहाबाद जिले की ही रहने वाली हैं व अन्य धर्म §हिन्दू, मुस्लिम के अतिरिक्त§ की 30% महिलायें प्रवासी हैं व सभी अन्य राज्यों से आई महिलायें हैं । हिन्दू महिलाओं में 17% महिलायें प्रवासी हैं जिसमें 10% उ.प्र. के अन्य जिलों से आई व 7% अन्य राज्यों से आई हैं । हिन्दू महिलाओं की जहां 35% अविवाहित महिलायें प्रवासी हैं वहीं विवाहित हिन्दू महिलाओं की 11% महिलायें ही प्रवासी है।

§सारणी§8.3§ §

सारणी (8.3)

विभिन्न धर्म की महिलाओं का वर्गीकरण प्रवास आधार पर-

स्थाई निवास धर्म	इलाहाबाद जिले की का. महि.	उ.प्र. के अन्य जिलों से आई का. महि.	अन्य राज्यों से आई का. महि.	योग
हिन्दू	159	20	13	192
	(82.8)	(10.4)	(6.8)	(100.0)
मुस्लिम	23	-	-	23
	(100.0)			(100.0)
अन्य	7	-	3	10
	(70.0)		(30.0)	(100.0)
योग	189	20	16	225
	(84.0)	(8.9)	(7.1)	(100.0)

विभिन्न आय वर्ग की महिलाओं का प्रवास के आधार पर अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि निम्न आय वर्ग की कोई महिला प्रवासी नहीं है मध्यम आय वर्ग की लगभग 20% महिलाएं प्रवासी हैं व उच्च आय वर्ग की 15% महिलाएँ प्रवासी हैं । (सारणी(8.4))

सारणी (8.4)

विभिन्न आय वर्ग की महिलाओं का प्रवास आधार पर वर्गीकरण -

सारणी (8.4)

स्थाई निवास आय वर्ग	इला. जिला	उ.प्र. के अन्य जिले	अन्य राज्य	योग
निम्न	16 (100.0)	-	-	16 (100.0)
मध्यम	107 (81.1)	14 (10.6)	11 (8.3)	132 (100.0)
उच्च	66 (85.7)	6 (7.8)	5 (6.5)	77 (100.0)
योग	189 (84.0)	20 (8.9)	16 (7.1)	225 (100.0)

प्रवास के आधार पर किए गए उपर्युक्त विश्लेषणों से स्पष्ट है कि अविवाहित महिलाओं में विवाहित महिलाओं की अपेक्षा प्रवासीय क्षमता अधिक है । जहाँ निम्न आय वर्ग की महिलाओं में प्रवासीय क्षमता शून्य है मध्यम आय वर्ग की महिलाओं में उच्च आय वर्ग की महिलाओं की तुलना में प्रवासी क्षमता अधिक है ।

जहाँ पिछड़ी जाति की महिलाओं में प्रवासीय क्षमता शून्य है वहीं अनु जाति /जनजातीय महिलाओं में प्रवासी महिलाओं की प्रतिशतता सामान्य जाति की महिलाओं की तुलना में अधिक है ।

मुस्लिम महिलाओं में प्रवासीय क्षमता शून्य है तथा अन्य धर्म से सम्बद्ध महिलाओं में प्रवासी क्षमता हिन्दू महिलाओं की तुलना में अधिक है ।

कार्य करने के कारण -

विभिन्न कार्यशील महिलाओं के कार्य करने के कारणों में मुख्य रूप से जो कारण प्रकाश में आये तदनुसार निम्न कारणों को ध्यान में रखकर अध्ययन करने का प्रयत्न किया । ये कारण हैं -

1. आर्थिक दबाव
2. पारिवारिक स्तर उच्च करना
3. समय व्यतीत हेतु
4. योग्यता का सदुपयोग करने हेतु
5. आत्म निर्भरता हेतु
6. आत्म सन्तुष्टि हेतु
7. पारिवारिक तनाव से मुक्ति हेतु

कुल महिलाओं का एक बड़ा भाग आर्थिक आवश्यकता को कार्य करने को प्रमुख कारण मानते हैं । योग्यता के सदुपयोग को भी लगभग 50% महिलाएँ महत्ता प्रदान करतीं हैं तथा एक तिहाई महिलाएँ आत्म सन्तुष्टि को कार्य से संलग्न रहने का कारण मानती हैं ।

किन्तु जब हम इस पक्ष का अध्ययन विवाहित व अविवाहित महिलाओं के रूप में करते हैं तो स्पष्ट होता है कि जहां विवाहित महिलाएँ आर्थिक दबाव, योग्यता का सदुपयोग व पारिवारिक स्तर को उच्च करना कार्य करने का प्रमुख कारण मानतीं हैं वहीं अविवाहित महिलाएँ क्रमशः आत्म निर्भरता, आत्म सन्तुष्टि, योग्यता का सदुपयोग व आर्थिक आवश्यकता को कार्य करने का प्रमुख कारण मानतीं हैं ।

(सारणी(9.1क) से (9.7क) ( )

सारणा §9.1§ क
===

कार्य करने का कारण - आर्थिक दबाव बनाम विवाहित व अविवाहित महिलाएँ

महत्व सकारात्मक नकारात्मक वै. स्थिति	हाँ	नहीं	योग
विवाहित	121 §71.2§	49 §28.8§	170 §100.0§
अविवाहित	33 §60.0§	22 §40.0§	55 §100.0§
योग	154 §68.4§	71 §31.6§	225 §100.0§

कुल कार्यशील महिला §प्रतिदर्श की§ का दो तिहाई भाग आर्थिक दबाव को कार्य करने के कारक के रूप में स्वीकार्य करता है किन्तु अविवाहित महिलाओं के अनुपात में विवाहित महिलाओं का एक बड़ा भाग इसे कार्य करने का प्रमुख कारक मानता है । § सारणी§9.1§ $_{क}$ ।§

विभिन्न जाति वर्ग की महिलाओं में सभी अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाएँ आर्थिक आवश्यकता को प्रमुख कारण मानती है । §व्यवसाय में संलग्नता का§ पिछड़ी जाति का भी दसवांश छोड़कर शेष

सभी आर्थिक कारण को महत्व प्रदान करते हैं व सामान्य जाति वर्ग की दो तिहाई से कुछ कम महिलाएँ कार्य करने का कारण आर्थिक आवश्यकता मानती हैं । (सारणी (9.1)ख)

सारण 9.1ख

कार्य करने का कारण - आर्थिक दबाव विभिन्न जाति वर्ग की महिलाओं के संदर्भ में -

महत्व / जाति	हाँ	नहीं	योग
अनुजाति/ जनजाति	14 (100.0)	-	14 (100.0)
पि. जाति	9 (90.0)	1 (10.0)	10 (100.0)
सामान्य जाति	131 (65.2)	70 (34.8)	201 (100.0)
योग	154 (68.4)	71 (31.6)	225 (100.0)

जहाँ तक कि धर्म के आधार पर इस पक्ष पर अवलोकन करने का प्रश्न है सभी धर्म की दो तिहाई महिलायें इस पक्ष को महत्व देतीं हैं किन्तु अन्य धर्म की महिलाएँ हिन्दू महिलाओं की अपेक्षा 2% अधिक महत्व देती हैं । (सारणी 9.1 ग)

सारणी (9.1)(ग)

कार्य करने का कारण - आर्थिक दबाव -

विभिन्न धर्म से सम्बद्ध -

महत्त्व धर्म	हाँ	नहीं	योग
हिन्दू	131 (68.2)	61 (31.8)	192 (100.0)
मुस्लिम	16 (69.6)	7 (30.4)	23 (100.0)
अन्य	7 (70.0)	3 (30.0)	10 (100.0)
योग	154 (68.4)	71 (31.6)	225 (100.0)

स्पष्टतः अविवाहित महिलाओं की तुलना में विवाहित महिलाएँ अधिक आर्थिक दबाव से प्रभावित होकर कार्य करती हैं ।

सामान्य जाति की तुलना में अनु जाति/जनजाति व पिछड़ी जाति की अधिक महिलाएँ आर्थिक आवश्यकता हेतु कार्य करती हैं ।

हिन्दू महिलाओं की तुलना में गैर हिन्दू महिलाएँ अधिक आर्थिक दबाव से प्रभावित होकर कार्य करती हैं ।

जहाँ तक जीवन स्तर उच्च करना कार्य करने के कारण के रूप में देखना है मात्र एकतिहाई महिलाएँ इस पक्ष को अहमियत प्रदान करती हैं जिसमें विवाहित महिलाएँ (39%) अविवाहित महिलाओं (22%) की तुलना में अधिक महत्ता देतीं हैं। (सारणी 9.2 क)

(सारणी (9.2) क)

<u>कार्य करने का कारण</u> - जीवन स्तर उच्च करना -

<u>वि. व अवि. महिलाओं के संदर्भ में -</u>

महत्व वै. स्थिति	हाँ	नहीं	योग
विवाहित	67 (39.4)	103 (60.6)	170 (100.0)
अविवाहित	12 (21.8)	43 (78.2)	55 (100.0)
योग	79 (35.1)	146 (64.9)	225 (100.0)

विभिन्न जाति वर्ग में पिछड़ी जाति को कोई भी महिला जीवन स्तर उच्च करने हेतु कार्य नहीं कर रही है जबकि अनुसूचित जाति व जनजाति की 28% महिलाएँ कार्य करने का कारण जीवन स्तर उच्च करना मानती हैं

किन्तु यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति व जनजाति की कोई भी अविवाहित महिला इस परिदृश्य में नहीं है । सामान्य जाति की एक तिहाई से कुछ अधिक महिलाएं कार्य करने का एक कारण जीवन स्तर में सुधार लाना मानती हैं ।

(सारणी (9.2) ख)

सारणी 9.2 ख

कार्य करने का कारण - जीवन स्तर ऊंचा उठाना

विभिन्न जाति की महिलाओं के संदर्भ में -

महत्व / जाति	हाँ	नहीं	योग
अनु जाति/ जनजाति	4 (28.6)	10 (71.4)	14 (100.0)
पि.जाति	-	10 (100.0)	10 (100.0)
सामान्य जाति	75 (33.3)	126 (62.7)	201 (100.0)
योग	79 (35.1)	146 (64.9)	225 (100.0)

यद्यपि विभिन्न धर्म की लगभग एक तिहाई महिलाएँ कार्य करने का एक कारण जीवन स्तर उच्च करना मानती हैं तथापि मुस्लिम महिलाओं का प्रतिशत हिन्दू व अन्य महिलाओं की तुलना में कम है तथा समस्त मुस्लिम महिलाएँ जो इसे कार्य करने का कारण मानतीं हैं विवाहित हैं । हिन्दू महिलाओं का अनुपात गैर हिन्दू महिलाओं से कहीं अधिक हैं जो जीवन स्तर उठाने हेतु कार्य कर रहीं हों । (सारणी (9.2ग))

(सारणी (9.2ग))

कार्य करने का कारण - जीवन स्तर उच्च करना

विभिन्न धर्म की महिलाओं के संदर्भ में ।

महत्त्व धर्म	हाँ	नहीं	योग
हिन्दू	70 (36.5)	122 (63.5)	192 (100.0)
मुस्लिम	6 (26.1.)	17 (73.9)	23 (100.0)
अन्य	3 (30.0)	7 (70.0)	10 (100.0)
योग	79 (35.1)	146 (64.9)	225 (100.0)

उपर्युक्त विभिन्न पक्षों के आधार पर जब हम परिवार के जीवन स्तर को महिलाओं के कार्य के कारण के रूप में अंकित करते हैं तो स्पष्ट होता है कि ।

अविवाहित महिलाओं की तुलना में विवाहित महिलाएँ अधिक इस कारक को महत्व देती हैं ।

अनु जाति / जनजाति व पिछड़ी जाति की तुलना में सामान्य जाति की महिलाएँ अधिक इस काकर से प्रभावी रहीं हैं । गैर हिन्दू महिलाओं की तुलना में हिन्दू महिलाओं ने अधिक इस कारक को प्रभावी माना है ।

ऐसी महिलाएँ जो समय व्यतीत करने को कार्य करने के एक कारण के रूप में मानतीं हैं मात्र 13% हैं । सर्वेक्षण के दौरान ऐसा प्रतीत हुआ कि जिन महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं मिला या जिन्हें पर्याप्त अर्थलाभ नहीं हो रहा है उन्होंने ही इस कारण को कार्य करने के अन्य कारणों में स्थान दिया है । (सारणी(9.3क)(9.3ख) (9.3ग))

सारणी 9.3क

कार्य करने का कारण - समय व्यतीत करना-

विवाहित व अविवाहित महिलाओं के संदर्भ में -

§ सारणी 9.3क §

महत्व वै. स्थिति	हाँ	नहीं	योग
विवाहित	21	149	170
	§12.4§	§87.6§	§100.0§
अविवाहित	8	47	55
	§14.5§	§85.5§	§100.0§
योग	20	196	225
	§12.9§	§87.1§	§100.0§

सारणी 9.3ख

कार्य करने का कारण - समय व्यतीत करना -

जाति आधार पर विवरण -

महत्व जाति	हाँ	नहीं	योग
अनु जाति/ जन जाति	3 §21.4§	11 §78.6§	14 §100.0§
पिछड़ी जाति		10 §100.0§	10 §100.0§
सामान्य जाति	26 §12.9§	175 §87.1§	201 §100.0§
योग	29 §12.9§	196 §87.1§	225 §100.0§

सारणी 9.3ग

कार्य करने का कारण - समय व्यतीत करना

धर्म आधार पर विवरण -

महत्व धर्म	हाँ	नहीं	योग
हिन्दू	20	172	192
	§10.4§	§89.6§	§100.0§
मुस्लिम	7	16	23
	§30.4§	§69.6§	§100.0§
अन्य	2	8	10
	§20.0§	§80.0§	§100.0§
योग	29	196	225
	§12.9§	§87.1§	§100.0§

जहाँ तक योग्यता का सदुपयोग हेतु कार्य में संलग्न रहने का प्रश्न है 45% महिलाओं ने इस कारक को स्वीकार्य किया है । यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विवाहित महिलाओं के 40% के अनुपात में 60% अविवाहित महिलाओं ने योग्यता के सदुपयोग हेतु कार्यशील होना स्वीकार्य किया है अर्थात् अधिकांश अविवाहित महिलाएँ अपनी योग्यता के सदुपयोग हेतुकार्य करती हैं उपेक्षाकृत विवाहित महिलाओं के ।§सारणी§9.4§क §

सारणी 9.4क

कार्य करने का कारण - योग्यता का सदुपयोग

विवाहित व अविवाहित महिलाओं के संदर्भ में -

महत्व वै. स्थिति	हाँ	नहीं	योग
विवाहित	70	100	170
	§41.2§	§58.8§	§100.0§
अविवाहित	33	22	55
	§60.0§	§40.0§	§100.0§
योग	103	122	225
	§45.8§	§54.2§	§100.0§

विभिन्न जाति वर्ग की महिलाओं में सामान्य जाति की जहाँ आधी महिलाएँ योग्यता के उपयोग को कार्य करने का कारण मानतीं हैं वहीं पिछड़ी जाति की महिलाओं का दसवाँश व अनु जाति/ जन जाति का पंचमांश योग्यता के सदुपयोग हेतु कार्य करता है ।§सारणी 9.4ख §

सारणी 9.4ख

कार्य करने का कारण - योग्यता का सदुपयोग

(सारणी 9.4ख)

जाति अनुसार विवरण -

महत्व / जाति	हाँ	नहीं	योग
अनुजाति/ जनजाति	3 (21.4)	11 (78.6)	14 (100.0)
पिछड़ी जाति	1 (10.0)	9 (90.0)	10 (100.0)
सामान्य	99 (49.3)	102 (50.7)	201 (100.0)
योग	103 (45.8)	122 (54.2)	225 (100.0)

विभिन्न धर्म की महिलाओं में जहां हिन्दुओं की 50% महिलाएँ इस तथ्य को स्वीकार्य करती हैं कि वह योग्यता का सदुपयोग करने हेतु कार्य कर रही हैं वहीं मुस्लिम महिलाओं का चौथा भाग व अन्य धर्म से सम्बन्धित महिलाओं का पाँचवा भाग योग्यता के सदुपयोग हेतु कार्य करती हैं । (सारणी (9.4ग))

सारणी (9.4ग)

कार्य करने का कारण - समय व्यतीत करना

सारणी (9.4ग)

<u>धर्म अनुसार विवरण -</u>

महत्व धर्म	हाँ	नहीं	योग
हिन्दू	95 (49.5)	97 (50.5)	192 (100.0)
मुस्लिम	6 (20.1)	17 (73.9)	23 (100.0)
अन्य	2 (20.0)	8 (80.0)	10 (100.0)
योग	103 (45.8)	122 (54.2)	225 (100.0)

स्पष्टतः विवाहित महिलाओं की तुलना में अविवाहित महिलाएँ अधिक योग्यता के सदुपयोग हेतु कार्य करती हैं ।

अनुसूचित जाति व जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाओं की तुलना में सामान्य जाति की अधिक महिलाएँ योग्यता के उपयोग हेतु कार्य करती हैं । गैर हिन्दू महिलाओं की तुलना में अधिक हिन्दू महिलाएँ योग्यता के प्रयोग हेतु कार्य करतीं हैं ।

जब हम आत्म निर्भरता हेतु कार्य करने के पक्ष में विचार ज्ञात करते हैं तो स्पष्ट होता है कि यद्यपि कुल कार्यशील महिला का 1/4 भाग

से कुछ अधिक व 1/3 भाग से कुछ कम भाग ही आत्मनिर्भता कार्य करने का एक उद्देश्य मानता है तथापि अविवाहित महिलाएँ ही मूलतः इस हेतु कार्य करती हैं । अविवाहित महिलाओं की जहाँ 69% महिलाएँ आत्म-निर्भरता हेतु कार्यरत हैं वहाँ विवाहित महिलाओंकी मात्र 14% महिलाएँ आत्म निर्भरता हेतु कार्य करती हैं निश्चय ही विवाहित महिलाओं की तुलना में अविवाहित महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता अधिक आवश्यक व महत्वपूर्ण परिलक्षित होती हैं । (सारणी (9.5क))

सारणी(9.5क)

कार्य करने का कारण - आत्म निर्भरता

विवाहित व अविवाहित महिलाओं के संदर्भ में -

महत्व वैवस्थिति	हाँ	नहीं	योग
विवाहित	24 (14.1)	146 (85.9)	170 (100.0)
अविवाहित	38 (69.1)	17 (30.9)	55 (100.0)
योग	62 (27.6)	163 (72.4)	225 (100.0)

विभिन्न जाति की महिलाओं के संदर्भ में इस लक्ष्य पर विचार करने से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि जहाँ पिछड़ी जाति की कोई महिला आत्म निर्भरता को ध्यान में रखते हुए कार्यरत नहीं हैं वहीं अनु जाति/ जनजाति की तुलना में सामान्य जाति की अधिक महिलाएँ इस उद्देश्य से कार्यरत हैं । अनुसूचित जाति की महिलाओं का जो पाँचवा भाग आत्म-निर्भरता हेतु कार्यरत हैं वह सभी विवाहित है जबकि विवाहित सामान्य जाति की मात्र 14% महिलाएँ ही आत्मनिर्भर होने के लिए कार्यरत हैं । स्पष्टतः अनुसूचित जाति / जन जाति की विवाहित महिलाएँ जितना अधिक आत्मनिर्भरता को महत्व देतीं हैं उतना सामान्य जाति की महिलाएँ नहीं । सर्वेक्षण के दौरान इस तथ्य पर ध्यान देने से ऐसा प्रतीत हुआ कि अनुसूचित जाति / जनजाति में महिलाओं की जिम्मेदारी पुरूषों से कहीं अधिक है तथा पारिवारिक खर्च के वहन हेतु आत्मनिर्भर होना महिलाएँ अवश्य चाहतीं हैं । यदि हम सभी क्षेत्रों में कार्यरत अनुसूचित जाति / जन जाति की कार्यशील महिलाओं का विशेष रूप से अध्ययन करें तों यह तथ्य पर अवश्य ही प्रकाश डाल सकते हैं । जबकि सामान्य जाति की विवाहित महिलाओं में पति पत्नी दोनों का सहयोग है अतः इस तथ्य को कम महिलाएँ ही महसूस करतीं है । जबकि सामान्य जाति की दो तिहाई से कहीं अधिक अविवाहित महिलाएँ आत्मनिर्भर होने के लिए कार्यरत हैं । (सारणी (9.5 ब))

सारणी (9.5 ब)

कार्यशीलता का कारण - आत्म निर्भरता

विविभन्न जाति वर्ग की महिलाओं के संदर्भ में-

सारणी (9.5ख)

महत्व / जाति	हाँ	नहीं	योग
अनु जाति/ जनजाति	3 (21.4)	11 (78.6)	14 (100.0)
पिछड़ी जाति	-	10 (100.0)	10 (100.0)
सामान्य जाति	59 (29.4)	142 (70.6)	201 (100.0)
योग	62 (27.6)	160 (72.4)	225 (100.0)

विभिन्न धर्म की महिलाओं में हिन्दू महिलाएँ गैर हिन्दू महिलाओं की अपेक्षाकृत आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व देते हैं जहाँ हिन्दू महिलाओं का चतुर्थांश से कही अधिक भाग आत्मनिर्भर होने हेतु कार्यरत है वहीं अन्य धर्म से सम्बन्धित महिलाओं का पंचमांश ही आत्मनिर्भर होने हेतु कार्यरत है । किन्तु जब हमइनको वैवाहिक स्थिति को भी ध्यानागत रखकर विचार करते हैं तो स्पष्ट होता है कि मुस्लिम व अन्य धर्म से सम्बन्धित महिलाओं की तुलना में विवाहित हिन्दू महिलाएं कम है जो कि आत्म निर्भरता हेतु कार्यरत हैं निश्चय ही हिन्दू महिलाओं में कम विवाहित महिलाएँ ऐसी प्राप्त हुई जो कि आत्म निर्भर होने हेतु कार्यरत है जब कि अविवाहित हिन्दू महिलाओं का तीन चौथाई भाग आत्मनिर्भर होने के लिए कार्यरत हैं । (सारणी 9.5ग)

सारणी (9.5) ग

कार्य करने का कारण - आत्म निर्भरता

धर्म अनुसार विवरण

महत्व / धर्म	हाँ	नहीं	योग
हिन्दू	55	137	192
	(28.7)	(71.3)	(100.0)
मुस्लिम	5	18	23
	(21.7)	(78.3)	(100.0)
अन्य	2	8	10
	(20.0)	(80.0)	(100.0)
योग	62	163	225
	(27.6)	(72.4)	(100.0)

यद्यपि आत्म सन्तुष्टि एक मनोवैज्ञानिक कारण है तथापि एक तिहाई महिलाओं ने इस तथ्य के पक्ष में विचार व्यक्त किए जिसमें अधिकांश भाग अविवाहित महिलाओं का था जबकि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत अविवाहित महिलाओं के प्रतिशत का आधा से भी कम था ।

(सारणी 9.6 क)

सारणी 9.6क

कार्य करने का कारण - आत्म सन्तुष्टि

विवाहित व अविवाहित महिलाओं के संदर्भ में ।

महत्व वै. स्थिति	हाँ	नहीं	योग
विवाहित	44	126	170
	(25.9)	(74.1)	(100.0)
अविवाहित	37	18	55
	(67.3)	(32.7)	(100.0)
योग	81	144	225
	(36.0)	(64.0)	(100.0)

विभिन्न जाति वर्ग क्रम में इस संदर्भ में अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सामान्य जाति की लगभग 40% महिलाएँ आत्म सन्तुष्टि का अनुभव भी कुछेक अन्य कारकों के साथ करतीं हैं जबकि अनु जाति /जनजाति की 14% महिलाएँ इसका अनुभव करती हैं व पिछड़ी जाति की किसी भी महिला ने इस पक्ष में उत्तर नहीं दिया । (सारणी 9.6ख)

सारणी 9.6ख

सारणी (9.6ख)

कार्य करने का कारण - आत्म सन्तुष्टि

जाति अनुसार वर्गीकरण

महत्व / जाति	हाँ	नहीं	योग
अनुजाति, जनजाति	2 (14.3)	12 (85.7)	14 (100.0)
पिछड़ी जाति	-	10 (100.0)	10 (100.0)
सामान्य	79 (39.3)	122 (60.7)	201 (100.0)
योग	81 (36.0	144 (64.0)	225 (100.0)

विभिन्न धर्म की महिलाओं में यद्यपि 20-40 प्रतिशत के मध्य महिलाओं के आत्म सन्तुष्टि के समर्थन में विचार आए तथापि हिन्दू महिलाओं का प्रतिशत गैर हिन्दू महिलाओं के प्रतिशत से कहीं अधिक था। (सारणी 9.6ग)

सारणी 9.6ग

कार्य करने का कारण - आत्म सन्तुष्टि

सारणी (9.6ग)

धर्म अनुसार वर्गीकरण -

महत्त्व / धर्म	हाँ	नहीं	योग
हिन्दू	73	119	192
	(38.0)	(62.0)	(100.0)
मुस्लिम	5	18	23
	(21.7)	(78.3)	(100.0)
अन्य	3	7	10
	(30.0)	(70.0)	(100.0)
योग	81	144	225
	(36.8)	(64.0)	(100.0)

जब हम पारिवारिक तनाव से मुक्ति पाने हेतु कार्यरत महिलाओं का अध्ययन करते हैं तो कुल महिलाओं का दसवांश ऐसा प्राप्त हुआ जिनके कार्यशील होने का एक कारण तनाव में मुक्ति पाना था । और यह देखने में आया कि अविवाहित महिलाओं में इसकी प्रतिशतता (20%) विवाहित महिलाओं की तुलना में (7%) अधिक थी । (सारणी 9.7क)

सारणी 9.7क

कार्य करने का कारण - पारिवारिक तनाव से मुक्ति

सारणी (9.7क)

विवाहित व अविवाहित महिलाओं के संदर्भ में -

महत्व वै. स्थिति	हाँ	नहीं	योग
विवाहित	12 (7.1)	158 (92.9)	170 (100.0)
अविवाहित	11 (20.0)	44 (80.0)	55 (100.0)
योग	23 (10.2)	202 (89.8)	225 (100.0)

उपर्युक्त विश्लेषणों से जो महत्त्वपूर्ण तथ्य सामने आता है वह यह कि महिलाएं चाहें किसी भी जाति व धर्म से सम्बन्धित हों सभी मूलतः आर्थिक आवश्यकता हेतु ही कार्य कर रहीं हैं ।

कार्य किसकी इच्छा से कर रहीं हैं -

महिलाओं के कार्य करने के कारण चाहें जो भी हों अधिकांशतः महिलाएँ कार्य स्वयं अपनी इच्छा से कर रही हैं चाहे वह विवाहित हों या अविवाहित किसी भी जाति अथवा धर्म से सम्बन्धित हों । कार्यरत महिलाओं का दसवांश ऐसा प्राप्त हुआ जो कि यद्यपि कार्य अपनी इच्छा से तो कर रहा है किन्तु इसके कार्य करने का कारण कुछ विशेष मजबूरी जैसे पति की मृत्यु हो जाना या फिर पिता की मृत्यु के कारण उनके स्थान पर कार्य करना है । तथा दसवांश वह प्राप्त हुआ है जो कि अपने माता- पिता या पति की इच्छा से कार्य कर रहा हो ।(सारणी)(10.1) (10.2)) यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जहाँ विवाहित महिलायें पति की इच्छा से कार्य कर रहीं (12%) अविवाहित महिलाएँ पिता की इच्छा से कार्य कर रही हैं ।

इसी तथ्य का जाति व धर्म के आधार पर अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि -

अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ी जाति की कोई भी महिला अन्य किसी की इच्छा से कार्यरत नहीं हैं । अन्य किसी की इच्छा का प्रभाव मात्र सामान्य जाति की महिलाओं पर हैं ।

विभिन्न धर्म से सम्बन्धित 75-90 % महिलाएँ स्वयं अपनी इच्छा से ही कार्य कर रहीं हैं ।

सारणी §10.1§

कार्यशील महिलाएं कार्य किसकी इच्छा से करती हैं।

§जाति के अनुसार वर्गीकरण§

	जाति कारण	स्वंय अपनी इच्छा से	माता पिता की इच्छा से	पति की इच्छा से	ससुराल वालों की इच्छा	परिस्थितिवश	अन्य कारण	योग
		1	2	3	4	5	6	
विवाहित महिलाऐं	अनु0जाति व अनु0जनजाति 1, 2	13 §92.85§	-	-	-	1 §7.14§	-	14 § 100§
	पिछड़ीजाति 3	6 §66.66§	- -	- -	- -	3 §33.33§	-	9 §100§
	सामान्यजाति 4	109 §74.14§	5 §3.40§	17 §11.56§	-	16 §10.88§	-	147 §100§
	योग	128 §75.29§	5 §2.94§	17 §10.0§	-	20 §11.76§	-	170 §100§
अविवाहित महिलाऐं	अनु0जाति व अनु0जनजाति 1, 2	-	-	-	-	-	-	-
	पिछड़ी जाति 3	-	-	-	-	1 §100§	-	1 §100§

वि. + अवि. +2

	1	2	3	4	5	6	
सामान्य जाति 4	42 §77.77§	7 §12.96§	-	-	4 §7.40§	1 §1.85§	54 §100§
योग	42 §76.36§	7 §12.72§	-	-	5 §9.09§	1 §1.81§	55 §100§
अनु0जाति अनु0जनजाति 1, 2	13 §92.85§	-	-	-	1 §7.14§	-	14 §100§
पिछड़ी जाति 3	6 §60.0§	-	-	-	4 §40.0§	-	10 §100§
सामान्य जाति .4	151 §75.12§	12 §5.97§	17 §8.45§	-	20 §9.95§	1 §0.49§	201 §100§
योग	170 §75.55§	12 §5.53§	17 §7.55§	-	25 §11.11§	1 §0.44§	225 §100§

§ सारणी 10.2 §

कार्यशील महिलाएं कार्य किसकी इच्छा से करती हैं -

§धर्म के अनुसार वर्गीकरण§

	कारण धर्म	स्वयं अपनी इच्छा से 1	माता-पिता की इच्छा से 2	पति की इच्छा से 3	ससुराल वालों की इच्छा से 4	परिस्थिति वश 5	अन्य कारण 6	योग
विवाहित महिलाएं	हिन्दू	102 §72.34§	4 §2.83§	15 §10.63§	-	20 §14.18§	-	141 §100§
	मुस्लिम	18 §85.71§	1 §4.76§	2 §9.52§	5	-	-	21 §100§
	अन्य	8 §100§						8 §100§
	योग	128 §75.29§	5 §2.94§	17 §10.0§	-	20 §11.76§	-	170 §100§
विवाहित महिलाएं	हिन्दू	40 §75.43§	6 §11.76§	-	-	4 §7.84§	1 §1.96§	51 §100§
	मुस्लिम	1 §50.0§	-	-	-	1 §50.0§	-	2 §100§
		1	1	-	-	-	-	2

वि + अवि•महिलाएं

योग	42 (76.36)	7 (12.72)	-	-	5 (9.09)	1 (1.81)	55 (100
हिन्दू	142 (73.95)	10 (5.20)	15 (7.81)	-	24 (12.5)	1 (0.52)	192 (100)
मुस्लिम	19 (82.60)	1 (4.34)	2 (8.69)	-	24 (12.5)	1 (0.52)	192 (100)
अन्य	9 (90.0)	1 (10.0)	-	-	-	-	10 (100)
योग	170 (75.55)	12 (5.33)	17 (7.55)	-	25 (11.11)	1 (0.4)	225 (100)

सामान्य जाति 4	42 §77.77§	7 §12.96§	- §	-	§7.40§	1 §1.85§	54 §100§
योग	42 §76.36§	7 §12.72§	-	-	5 §89.09§	1 §1.81§	55 §100§
अनुजाति व अनुजनजाति 12	13 §92.85§	-	-	-	1 §7.14§	-	14 §100§
पिछड़ीजाति 4	6 §60.0§	-	-	-	4 §40.0§	-	10 §100§
सामान्यजाति 3	151 §75.12§	12 §5.79§	17 §6.45§	-	20 §9.95§	1 §0.49§	201 §100§
योग	170 §75.55§	12 §5.33§	17 §7.55§	-	25 §11.11§	1 §0.44§	225 §100§

वर्तमान व्यवसाय हेतु संघर्ष.-

कार्यशील महिलाओं की सामाजिक स्थिति व समाज का उसके प्रति दृष्टिकोण हमें कही न कही महिलाओं का कार्य में संलग्नता हेतु संघर्ष से ज्ञात होता है। व्यवसाय प्राप्ति हेतु संघर्ष के कारणों में हमने कुछ कारण इस प्रकार रखें है:-

1. व्यवसाय प्राप्ति हेतु प्रतियोगिता ।
2. आर्थिक समस्या ।
3. परिवार के रूढ़िवादी विचार ।
4. समाज के प्रतिबन्धित विचारों से संघर्ष ।
5. शिक्षा सम्बन्धी कठिनाइयाँ व अन्य कारण ।

यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रतिदर्श में ली गयी महिलाओं वह है जो कि इन संघर्षों के बावजूद कार्य में संलग्न है। किन्तु सर्वेक्षण के दौरान यह ज्ञात हुआ कि कुछ महिलाएं जो कि वर्तमान कार्य में संलग्न है उस हेतु तो संघर्ष का सामना नही करना पड़ा किन्तु वह प्रस्तुत व्यवसाय न कर अलग अन्य कोई व्यवसाय करना चाहती थी जो कि उन महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त व योग्यतानुरूप था किन्तु यहाँ वह उस कार्य में इसलिए न जा सकी क्योंकि वह पारिवारिक विचारों से संघर्ष नही कर सकी।

कुल महिला वर्ग का 45% वह भाग है जिन्हें वर्तमान व्यवसाय व पद प्राप्ति हेतु संघर्षों का सामना करना पड़ा। संघर्ष के कारणों में सर्व प्रमुख है। प्रतियोगिता तथा अन्य कारण है, पारिवारिक व सामाजिक बन्धन (सारिणी 11.0)

यद्यपि व्यवसाय हेतु प्रतियोगिता का सामना विवाहित व

अविवाहित अभी महिलाओं को करना पड़ा तथापि यह प्रतिशत विवाहित महिलाओं की अपेक्षा अविवाहित महिलाओं में अधिक है। जबकि सामाजिक व पारिवारिक बन्धन का सामना एक तिहाई विवाहित व अविवाहित दोनों ही प्रकार की महिलाओं को करना पडता है। सर्वेक्षण के दौरान कुछ ऐसी विवाहित महिलाएं 13% प्राप्त हुई जो कि पति की मृत्यु होने पर आर्थिक जिम्मेदारी निभाने हेतु उनके स्थान पर कार्य अपनी शैक्षणिक योग्यता में कमी के कारण असमर्थ होने पर शिक्षा ग्रहण करने को अग्रसर हुई ।

(तालिका 11.1)

§तालिका 11.0§
वर्तमान व्यवसाय हेतु संघर्ष

प्रभावित		हां	नहीं	योग
जातिवार विवरण	अनुजाति वजनजाति	6 §42.86§	8 §57.14§	14 § 100.0§
	पिछडी जाति	4 §44.78§	6 §60.0§	10 §100.0§
	सामान्य जाति	90 §44.78§	111 §55.22§	201 §100.0§
	योग	100 §44.44§	125 § 55.55§	225 §100.0§
धर्मवार विवरण	हिन्दू	89 §46.35§	103 §53.65§	2 25 §100.0§
	मुस्लिम	7 §30.43§	16 §69.57§	23 §100.0§
	अन्य	4 §40§	6 §60§	10 §100§
	योग	100 §44.44§	125 §55.55§7	225 §100.0§

क्रमशः ...

वैवाहिक स्थिति	विवाहित	75 (44.11)	95 (55.88)	170
	अविवाहित	25 (45.45)	30 (54.55)	55
	योग	100 (44.44)	125 (55.55)	225 (100.0)

(सारिणी 11.1)

वर्तमान व्यवसाय हेतु संघर्ष के कारण :-

विवाहित व अविवाहित महिलाओं के संदर्भ में:-

संघर्ष के कारण / वै. स्थि.	प्रतियोगिता	आर्थिक कठिनाइयां	सामाजिक पारिवारिक प्रतिबंध	शिक्षा	अन्य	योग
विवाहित	35 (46.7)	3 (4.0)	23 (30.7)	10 (13.3)	4 (5.3)	75 (100.0)
अविवाहित	15 (60.0)	—	8 (32.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	25 (100.0)
योग	50 (50.0)	3 (3.0)	31 (31.0)	11 (11.0)	5 (5.0)	100 (100.0)

विभिन्न जाति वर्ग की महिलाओं में सामान्य जाति की महिलाओं के आधे से अधिक महिलाओं के संघर्ष का प्रमुख कारण व्यवसाय प्राप्ति के प्रतियोगिता रही वही अनुसूचित जाति:जनजाति व पिछड़ी जाति की 1/5 महिलाएं संघर्ष का कारण प्रतियोगिता मानती है। समाज के प्रतिबन्धित विचारों से सभी जाति वर्ग की एक तिहाई जनसंख्या प्रभावी रही है। किन्तु शिक्षा सम्बन्धी कठिनाइयों से जहां अनुसूचित जाति:जनजाति व पिछड़ी जाति की महिलाएं प्रभावित वही सामान्य जाति की महिलाओं का दसवां भाग इससे प्रभावित रहा§

§ सारिणी 11.2§

वर्तमान व्यवसाय हेतु संघर्ष के कारण विभिन्न जाति की महिलाओं के संदर्भ में ।

संघर्ष के कारण / जाति	प्रतियोगिता	आर्थिक कठिनाइयां	सामाजिक परिवारिक प्रतिबन्ध	शिक्षा	अन्य	योग
अनु.जा./जनजाति पि.जाति	2 §20.0§	---	3 § 30.0§	3 § 30.0§	2 §20.0§	10 §100.0§
सामान्य जाति	48 §53.3§	3 §3.3§	28 §31.1§	8 §8.9§	3 §3.3§	90 §100.0§
योग	50 §50.0§	3 §3.0§	31 §31.0§	11 §11.0§	5 §5.0§	100 §100.0§

विभिन्न धर्म की महिलाओं में प्रतियोगिता को हिन्दुओं की अपेक्षा अ गैर हिन्दू महिलाओं ने अधिक संघर्ष का कारण बताया जबकि प्रतिबन्धित विचारों से संघर्ष जहां हिन्दुओं की एक तिहाई महिलाओ ने कारण माना वही और हिन्दू महिलाओं का पंचमांश ही इसे संघर्ष का कारण मानता है ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दूमहिलाओं को अधिक समाज के प्रतिबन्धित विचारों से संघर्ष करना पड़ता है। जबकि शिक्षा सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना हिन्दू व गैर हिन्दू दोनों ही प्रकार की दसवांश महिलाओं को करना पड़ता है।

(सारिणी 11.3)

वर्तमान व्यवसाय हेतु संघर्ष के कारण धर्म अनुसार विवरण :-

संघर्ष के कारण धर्म	प्रतियोगिता	आर्थिक समस्या	परिवार समाज के प्रतिबंधित विचार	शिक्षा सम्बंधी	अन्य	योग
हिन्दू	43 (47.8)	3 (3.3)	29 (32.2)	10 (11.1)	5 (5.6)	90 (100.0)
गैर हिन्दू	7 (70.0)	3	2 (20.0)	1 (10.0)	–	103 (100.0)
योग	50 (50.0)	3 (3.0)	30 (30.0)	11 (11.0)	5 (5.0)	100 (100.

स्पष्टतः समाज व परिवार के प्रतिबन्धित विचारों का सामना विभिन्न जाति वर्ग की विवाहित व अविवाहित महिलाओं के लगभग समान 30% रूप में करना पड़ता है तथा धर्म अनुसार वर्गीकरण करने पर यह

यह स्पष्ट होता है कि हिन्दू महिलाओं का प्रतिशत गैर हिन्दू महिलाओं से अधिक है जिन्हें परिवार व समाज के प्रतिबन्धित विचारों से संघर्ष करना पड़ता है।

वर्तमान व्यवसाय से सन्तुष्टि :-

सर्वेक्षण के आधार पर यह पाया गया कि प्रस्तुत निदर्शन की 48% महिलाएं पूर्णत: अपने वर्तमान व्यवसाय से संतुष्ट है व 20% महिलाएं पूर्णत: असंतुष्ट है जबकि कुछ महिलाएं ऐसी भी प्राप्त हुईं जो कि यद्यपि कुछ न मिलने से कहीं अधिक कुछ मिलने को संतुष्टि मानते हुए संतुष्टि का प्रदर्शन तो करती है पर असंतुष्टि मानते हुए संतुष्टि का प्रदर्शन तो करती है असंतुष्टि के कारणों में कुछ ऐसे कारण है जो उन्हें प्रभावित करते है अत: यह पाया गया कि वह कुछ हद तक असंतुष्ट है और ऐसी महिलाओं का प्रतिशत32% है।

यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विवाहित महिलाओं की अपेक्षा अविवाहित महिलाओं की संख्या अधिक है जो कि वर्तमान व्यवसाय से असंतुष्ट है । जहां विवाहित महिलाओं को आधे से अधिक महिलाएं वर्तमान व्यवसाय से संतुष्ट है वहीं अविवाहित महिलाओं में एक तिहाई से कुछ कम महिलाएं ही वर्तमान व्यवसाय से संतुष्ट है।

§सारिणी 12.1§

वर्तमान व्यवसाय से संतुष्टि :-

संतुष्टि दे. स्थिति	पूर्णतः संतुष्ट	असंतुष्ट	पूर्णतः असंतुष्ट	योग
विवाहित	91 §53.5§	56 §32.9§	23 §13.5§	170 §100.0§
अविवाहित	17 §30.9§	17 §30.9§	21 §38.2§	55 §100.0§
योग	108 §48.0§	73 §32.4§	44 §19.6§	225 §100.0§

इसी पक्ष का अध्ययन जाति वर्ग विभेद करने पर स्पष्ट होता है कि कुल कार्यशील महिलाओं में पूर्णतः संतुष्ट महिलाओं में सर्वाधिक प्रतिशत 70% अनुसूचित जाति:जनजाति की महिलाओं का है तत्पश्चात पिछड़ी जाति का 60% जबकि सामान्य जाति की महिलाओं में आधे से भी कम 45% महिलाएं पूर्णतः संतुष्ट है। स्पष्टतः अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ी जाति की महिलाओं के अनुपात में सामान्य जाति की महिलाएं कम है जो अपने वर्तमानव्यवसाय से पूर्णतः संतुष्ट है।

§सारिणी 12.2§

सारिणी 12.2

वर्तमान व्यवसाय से संतुष्टि जाति अनुसार विवरण

संतुष्टि जाति	पूर्णतःसंतुष्ट	असंतुष्ट	पूर्णतः असंतुष्ट	योग
अनुजाति/ जनजाति	10 (71.4)	2 (14.3)	2 (14.3)	14 (100.0)
पिछडी जाति	6 (60.0)	3 (30.0)	1 (10.0)	10 (100.0)
सामान्य जाति	92 (45.8)	68 (33.8)	41 (20.8)	201 (100.0)
योग	108 (48.0)	73 (32.4)	44 (19.6)	225 (100.0)

विभिन्न धर्मों को ध्यानागत रखते हुए कार्यशील महिलाओं का धर्मानुसार वर्गीकरण कर जब हम वर्तमान व्यवसाय से संतुष्टि की ओर ध्यान आकृष्ट करते है तो स्पष्ट होता है कि गैर हिन्दू महिलाओं की जहां तीन चौथाई से अधिक महिलाएं वर्तमान व्यवसाय से संतुष्ट है वही हिन्दू कार्यशील महिलाओं का आधे से भी कम भाग अपने वर्तमान व्यवसाय से संतुष्ट है।

सारिणी 12.3

वर्तमान व्यवसाय से संतुष्टि धर्म अनुसार विवरण

संतुष्टि धर्म	पूर्णतः संतुष्ट	असंतुष्ट	पूर्णतः असंतुष्ट	योग
हिन्दू	82 (42.7)	70 (36.5)	40 (20.8)	192 (100.0)
मुस्लिम	17 (73.9)	2 (8.7)	4 (17.4)	23 (100.0)
अन्य	9 (90.0)	1 (10.0)		10 (100.0)
योग	108 (48.0)	73 (32.4)	44 (19.6)	225 (100.0)

स्पष्टतः सामान्य जाति की हिन्दू महिलाओं में असंतुष्ट महिलाओं का प्रतिशत सर्वाधिक है।

असंतुष्टि के कारण :-

वर्तमान व्यवसाय से असंतुष्टि के प्रमुख कारण निम्न है।

1. पर्याप्त आय का न होना ।
2. व्यवसाय का योग्यतानुसार न होना ।
3. समय का यथासम्भव न होना ।
4. पारिवारिक सहयोग का अभाव ।
5. कर्मचारियों के सहयोग का अभाव ।
6. कार्य स्थल का दूर होना ।
7. परिवार से अलग रहना ।
8. दोहरा कार्य भार पडना ।
9. व्यवसाय का रुचि अनुसार न होना ।

क्योंकि एक से अधिक चर भी प्रभावी रहे हैं अतः इस विषय का प्रतिशत के रूप में अध्ययन न कर श्रेणी क्रम के रूप में समान रूप से देखने से यह स्पष्ट होता है कि कुछ असंतुष्ट महिलाओं में वहां विवाहित महिलाओं को असंतुष्टि का प्रमुख कारण क्रमशः दोहरा कार्यभार बढ जाना, कार्यस्थल का दूर होना , पर्याप्त आय का न होना, योग्यतानुसार कार्य का न होना व समय का अनुकूल न होना है वहीं अविवाहित महिलाओं में असंतुष्टि का प्रमुख कारण क्रमशः योग्यतानुसार कार्य का न होना व कार्यस्थल का दूर होना , परिवार से अलग रहना ,अपर्याप्त आय व रूचि अनुसार कार्य का न होना है।

इसे यदि हम कुल असंतुष्ट महिलाओं से प्रतिशत के रूप में देखने का प्रयास करे तो स्पष्ट होता है कि कुल महिलाओं (असंतुष्ट) में कार्य स्थल का घर से दूर होना व दोहरा कार्य भार को लगभग एक तिहाई महिलाएं असंतुष्टि का कारण मानती है। जबकि एक तिहाई से कुछ कम महिलाएं अपर्याप्त आय व योग्यतानुसार कार्य का न होना असंतुष्टि का

कारण मानती है। तथा समस्त की लगभग 20% महिलाओं की असंतुष्टि का कारण कर्मचारियों का सहयोग न मिलना व परिवार से अलग रहना मानती है। तथा शेष 10-15 प्रतिशत महिलाएं असंतुष्टि का मुख्य कारण समय का सुविधाजनक न होना पारिवारिक सहयोग का न होना तथा रुचि अनुसार कार्य का न होना असंतुष्टि का कारण मानती है।

(सारिणी 13)

जब हम इस पक्ष का अध्ययन वैवाहिक स्थिति में विभेद द्वारा करते है तो स्पष्ट होता है कि विवाहित महिलाओं में लगभग 50% महिलाएं दोहरे कार्यभार को असंतुष्टि का कारण मानती है। (कुल असंतुष्ट महिला) कार्य स्थल का घर से दूर होना, कर्मचारियों व उच्चाधिकारियों का सहयोग न मिलना, पर्याप्त आय का न होना, रुचि अनुसार कार्य का न होना 20-30 प्रतिशत महिलाओं की असंतुष्टि का कारण है।

समय का सुविधाजनक न होना, परिवार से सहयोग न मिलना व परिवार से अलग रहना 10-20 प्रतिशत विवाहित महिलाओं की असंतुष्टि का कारण है। तथा 6% महिलाएं (विवाहित) वह असंतुष्ट है जिन्हें सब कार्य उनकी रुचि के अनुरूप नही प्राप्त है।

अविवाहित महिलाओं में 40% से कही अधिक असंतुष्ट महिलाओं की असंतुष्टि का मुख्य कारण योग्यतानुरूप कार्य का न होना व कार्यस्थल का घर से दूर होना है।

लगभग एक तिहाई महिलाओं (अविवाहित) की असंतुष्टि का कारण परिवार से अलग रहना है।

एक चौथाई से कहीं अधिक अविवाहित महिलाओं की असंतुष्टि का कारण पर्याप्त आय का न होना व रुचि के अनुरूप कार्य का न होना है।
10% से कहीं अधिक महिलाओं की असंतुष्टि का कारण समय का सुविधाजनक न होना कर्मचारियों व उच्चाधिकारियों का सहयोग न मिलना तथा दोहरा कार्य भार होना है।
तथा 5% अविवाहित महिलाएं पारिवारिक सहयोग न मिलने के कारण असंतुष्ट है।

§सारिणी §13§

जहां तक अनुसूचित जाति /जनजाति व पिछड़ी जाति की महिलाओं में प्रमुख रूपसे असंतुष्टि अपर्याप्त आय व दोहरा कार्यभार के रूप में स्पष्ट होता है।

fक यदपि इनमें धनात्मक सम्बन्ध है पर सार्थकता परीक्षण से स्पष्ट होता है यह सम्बन्ध सार्थक नहीं है अर्थात यद्यपि विवाहित व अविवाहित महिलाओं के असंतुष्टि के कारणों में धनात्मक सम्बन्ध है तथापि यह सम्बन्ध सार्थक नहीं है। calculated value +.1167 <0.600 spearmn's rank correlation critical value at 5% level of significance

और जब हम समग्र के असंतुष्टि के कारणों का सम्बन्ध विवाहित महिलाओं के मध्य निकालते है तो - Calculated value +.89>0.600 spearmn's rank correlation critical value at 5% level of significance and at also 1% level of significance +.89>.783

जबकि समग्र का अविवाहित महिलाओं में भी सार्थक सम्बन्ध दृष्टिगोचर नहो होता है। calculated value +.4417<.600 Spearmn's rank correlation critical value at 5% level of significance.

(सारिणी 13)

वर्तमान व्यवसाय में असंतुष्टि के कारण

असंतुष्टि कारण वै. स्थिति	अपर्याप्त आय	योग्यतानुसार कार्य का न होना	समय का सुविधाजनक न होना	पारिवारिक सहयोग अभाव	कर्मचारी सहयोग अभाव	कार्य स्थल का दूर	परिवार अलग रहना	दुहरा कार्य-भार	रुचि अनुसार कार्य का न होना
विवाहित	22 (27.8)	17 (21.5)	14 (17.7)	9 (11.4)	17 (21.5)	24 (30.4)	8 (10.1)	39 (49.4)	5 (6.3)
कुल असंतु. वि. महि.	79 (100.0)	79 (100.0)	79 (100.0)	79 (100.0)	79 (100.0)	79 (100.0)	79 (100.0)	79 (100.0)	79 (100.0)
अविवाहित महिलाएं	10 (26.3)	16 (42.1)	4 (10.5)	2 (5.3)	6 (15.8)	16 (42.1)	13 (34.2)	4 (10.5)	10 (26.3)
कुल संतुष्ट	38 (100.0)	38 (100.0)	38 (100.0)	38 (100.0)	38 (100.0)	38 (100.0)	38 (100.0)	38 (100.0)	38 (100.0)
विवाहित अविवाहित	32 (27.4)	33 (28.2)	18 (15.4)	11 (2.4)	23 (19.7)	40 (34.2)	21 (17.9)	43 (36.8)	15 (12.8)
कुल असंतुष्ट महिलाएं	117 (100.0)	117 (100.0)	117 (100.0)	117 (100.0)	117 (100.0)	117 (100.0)	117 (100.0)	117 (100.0)	117 (100.0)

विभिन्न कार्यशील महिलाओं में विवाहित व अविवाहित महिलाओं की असंतुष्टि के कारणों में श्रेणीबद्ध सहसम्बन्ध ज्ञात करने पर स्पष्ट होता है।

कि यद्यपि इनमें धनात्मक सम्बन्ध है पर सार्थकता परीक्षण से स्पष्ट होता है यह सम्बन्ध सार्थक नहीं है अर्थात यद्यपि विवाहित व अविवाहित महिलाओं के असंतुष्टि के कारणों में धनात्मक सम्बन्ध है तथापि यह सम्बन्ध सार्थक नहीं है। calculated value +.1167 < 0.600 spearmn's rank correlation critical value at 5% level of significance

और जब हम समग्र के असंतुष्टि के कारणों का सम्बन्ध विवाहित महिलाओं के मध्य निकालते है तो - calculated value +.89 > 0.600 spearmn's rank correlation critical value at 5% level of significance and at also 1% level of significance +.89 > .783

जबकि समग्र का अविवाहित महिलाओं में भी सार्थक सम्बन्ध दृष्टिगोचर नही होता है। calculated value +.4417 < .600 spearmn's rank correlation critical value at 5% level of significance.

§ सारिणी 14.1 §

विभिन्न व्यवसायों में संलग्न महिलाओं में संतुष्टि :-

विभिन्न पदों में कार्यरत महिलाओं में संतुष्टि :-

संतुष्टि सेवास्वरूप	पूर्णतः संतुष्ट	असंतुष्ट	पूर्णतः असंतुष्ट	योग
प्रशासनिक	28	42	15	85
	§32.9§	§49.4§	§17.6§	§100.0§
नर्स	5	1	1	7
	§71.4§	§14.3§	§14.3§	§100.0§
डाक्टर	4	1	1	6
	§66.7§	§16.7§	§16.7§	§100.0§
शिक्षिकाएं	62	18	13	93
	§66.7§	§19.4§	§13.9§	§100.0§
तकनीकी कार्य	3	8	11	22
	§13.6§	§36.4§	§50.0§	§100.0§
लेखाकार्य	6	3	3	12
	§50.0§	§25.0§	§25.0§	§100.0§
योग	108	73	44	225
	§48.0§	§32.4§	§19.6§	§100.0§

जब हम विभिन्न व्यवसायों में संलग्न महिलाओं में असंतुष्ट के कारणों व असंतुष्ट महिलाओं का अध्ययन करते है तो स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक असंतुष्ट महिलाएं वह है जो कि कुछ तकनीकि कार्य में संलग्न है86% जिसमें 50% महिलाएं वह है जो कि पूर्णतः असंतुष्ट ,है जबकि शिक्षण कार्य में संलग्न महिलाएं ,डाक्टर तथा नर्स दो तिहाई से अधिक है जो कि अपने व्यवसाय से पूर्णतः संतुष्ट है प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत दो तिहाई महिलाएं अपने वर्तमान व्यवसाय से संतुष्ट नहीं है । सेवाकार्य मे कार्यरत आधी महिलाएं ऐसी प्राप्त हुई है जो कि अपने वर्तमान व्यवसाय से पूर्णतः संतुष्ट है व 50% असंतुष्ट है। स्पष्टतः विभिन्न पदो में आसीन महिलाओं में सर्वाधिक असंतुष्ट महिलाएं तकनीकि क्षेत्र में संलग्न है तत्पश्चात उससे कुछ कम प्रशासनिक क्षेत्र की महिलाओं में असंतुष्टि है तत्पश्चात सेवा क्षेत्र की महिलाएं असंतुष्ट है व सबसे कम असंतुष्ट महिलाएं नर्स,डाक्टर व शिक्षण कार्य में संलग्न महिलाएं है।

{सारिणी 14.1}

जब हम इस आशय पर विभिन्न विभागों के महिलाओं का वर्गीकरण कर अध्ययन करते है तो स्पष्ट होता है कि स्वरोजगार महिलाओं में कोई भी महिला पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। तथा स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत दो तिहाई महिलाएं पूर्णतः संतुष्ट है व एकतिहाई महिलाएं वह प्राप्त हुई है जो कि अपने वर्तमानव्यवसाय से संतुष्टनहीं है। सरकारी व अर्द्धसरकारी क्षेत्रों की तुलना में गैर सरकारी सेवा क्षेत्र में संलग्न महिलाएं अधिक ऐसी प्राप्त हुई जो कि अपने वर्तमान व्यवसाय से संतुष्ट नही है। जहां सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्य में संलग्न 55 से 60 प्रतिशत महिलाएं अपने वर्तमान व्यवसाय से पूर्णतः संतुष्ट नहीं है वहां गैर सरकारी कार्यालयों में कार्यरत 76.5% महिलाएं अपनेवर्तमान व्यवसाय से पूर्णतः संतुष्ट नही है।

{सारिणी 14.2}

(सारिणी 14.2)

विभिन्न विभागों में कार्यरत महिलाओं में संतुष्टि:-

संतुष्टि सेवा क्षेत्र	पूर्णतः संतुष्ट	असंतुष्ट	पूर्णतः असंतुष्ट	योग
सरकारी	32 (40.0)	38 (47.5)	10 (12.5)	80 (100.0)
अर्द्धसरकारी	17 (44.7)	14 (36.8)	7 (18.4)	38 (100.0)
व्यक्तिगत सेवा गैर सरकारी।	4 (23.5)	3 (17.6)	10 (58.8)	17 (100.0)
स्वायत्त संस्थान	55 (64.7)	14 (16.5)	16 (18.8)	85 (100.0)
स्वरोजगार व अन्य		4 (80.0)	1 (20.0)	5 (100.0)
योग	108 (48.0)	73 (32.4)	44 (19.6)	225 (100.0)

विभिन्न व्यवसायों व विभागों में कार्यरत असंतुष्ट कार्यशील महिलाओं की असंतुष्टि के कारणों का अध्ययन करने से जो मुख्य तथ्य स्पष्ट होता है वह यह है कि जहां सरकारी व अर्द्धसरकारी विभागों में कार्यरत महिलाओं की असंतुष्टि का मुख्य कारण दोहरा कार्यभार व कार्यस्थल का घर से दूर होना है वहीं गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत महिलाओं की असंतुष्टि का मुख्य कारण अपर्याप्त आय व योग्यतानुसार कार्य का न होना है। स्वायत संस्थानों में कार्यरत महिलाओं की असंतुष्टि का मुख्य कारण योग्यतानुसार कार्य का न होना व दोहरा कार्य भार का होना है।

यदि हम असंतुष्टि के विभिन्न कारणों का अध्ययन विभिन्न विभागों में कार्यरत महिलाओं के रूप में करे तो निम्नवत सामने आते है।

असंतुष्टि का कारण अपर्याप्त आय को ध्यान में रखकर करने से, स्पष्ट होता है कि इससे सर्वाधिक गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत महिलाएं असंतुष्ट है। 70% तथा 20-30 प्रतिशत सरकारी, अर्द्धसरकारी व स्वरोजगार महिलाएं असंतुष्टि का कारण अपर्याप्त आय पाती है जबकि स्वायत संस्थान की सबसे कम 13% महिलाएं अपर्याप्त आय को असंतुष्टि का कारण मानती है।

लगभग एक तिहाई महिलाएं जो कि गैर सरकारी व स्वायत संस्थानों में कार्यरत है की असंतुष्टि का कारण योग्यतानुसार कार्य का न होना मानती है। तथा सरकारी व अर्द्धसरकारी संस्थानों को कार्यरत लगभग एक चौथाई महिलाएं असंतुष्टि का कारण योग्यतानुसार कार्य का न होना मानती है। कोई भी स्वरोजगार महिला असंतुष्टि का कारण यह नहीं मानती है।

अर्द्धसरकारी संस्थानों में कार्यरत 40 प्रतिशत महिलाएं समय के सुविधा जनक न होने के कारण असंतुष्ट है गैर सरकारी संस्थानों में निरत लगभग एक चौथाई महिलाएं सुविधाजनक समय न होने के कारण असंतुष्ट है। सरकारी संस्थानों में कार्यरत महिलाओं का दसवां भाग सुविधाजनक समय न होने के कारण असंतुष्ट है। स्वायत संस्थानों में कार्यरत महिलाओं में इस रूप में असंतुष्टि अत्यल्प (मात्रएक) महिलाओं में पायी गयी तथा स्वरोजगार वाली किसी भी महिला ने इसे असंतुष्टि का कारण नहीं बताया है।

लगभग 10-12 प्रतिशत महिलाओं ने असंतुष्टि के कारणों में पारिवारिक सहयोग न मिलने को मान्यता दी। जहां तक कर्मचारियों के सहयोग के अभाव को असंतुष्टि का कारण 20-30 प्रतिशत के मध्य लगभग सभी क्षेत्रों में संलग्न महिलाओं ने असंतुष्टि का कारण माना है।

कार्यस्थल का घर से दूर होना अर्द्धसरकारी संस्थानों ने कार्यरत 50प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने असंतुष्टि के रूप में माना है तथा सरकारी संस्थानों में कार्यरत 40प्रतिशत महिलाओं ने इसे असंतुष्टि का कारण माना है तथा एक चौथाई गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत महिलाओं इसे असंतुष्टि के कारण के रूप में बताया है तथा स्वायत संस्थान व स्वरोजगार महिलाओं में 20प्रतिशत महिलाओं में इसे असंतुष्टि के कारणों में एक माना है।

परिवार से अलग रहने को जहां सरकारी व अर्द्धसरकारी संस्थानों में कार्यरत एक चौथाई महिलाओं ने असंतुष्टि के कारणों में एक माना है।

दोहरा कार्यभार सरकारी व अर्द्धसरकारी संस्थानों में कार्यरत महिलाओं ने अधिक महसूस किया है। 45प्रतिशत जबकि स्वात संस्थानों में कार्यरत एक तिहाई महिलाओं ने इसे असंतुष्टि के कारण माना है।

रूचि अनुसार कार्य का न होना सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों

में कार्यरत महिलाएं स्वायत संस्थानों में कार्यरत महिलाओं की अपेक्षा अधिक महसूस करती है।

यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यद्यपि स्वायत्त संस्थानों में कुछ चिकित्सालय व अन्य संस्थानों की महिलाओं भी सम्मिलित है तथापि शिक्षण प्रक्रिया से जुडी महिलाएं कहीं अधिक है। और यह पाया गया कि शिक्षण संस्थानों में कार्यरत महिलाएं अधिक असंतुष्ट है उनका कार्य रूचिपूर्ण है तथा सरकारी व अर्द्धसरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत होकर महिलाओं की अपेक्षा कम दोहरा भार महसूस करती है।

कार्यशील महिलाओं को घरेलू कार्यों में सहभागिता :-

कार्यशील महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन अधूरा हो रहेगा यदि हम उन पर पड रहे गृहणी व कामकाजी औरत की द्वैध भूमिका को नजर अन्दाज कर दें क्योंकि आधुनिक परिवेश में जब महिलाएं जागृत हो घर की चहार दीवारी से अलग कहीं अपनी योग्यता व क्षमता का उपयोग करने लगती है तो हम उन्हें घरेलू जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर पाते न हो उसके परिवार के सदस्य ही उसके कार्यों में हाथ बंटाते है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव उसकी शारीरिक व मानसिक स्थिति पर पडता है। ऐसी अवस्था में हमारी कार्य मुक्ति व जागरण का प्रतिद्वंद्वात्मक प्रभाव प्रतिद्वंदी बन जाता है फलतः जहां हम उसकी सामाजिक स्थिति को उज्जवल करने का प्रयत्न कर रहे थे वहां वह दोहरे कार्य भार से दब कर और अधिक अंधेरे गर्त पर जा गिरता है ।

महिलाओं द्वारा किए जा रहे घरेलू व अवैतनिक कार्यों में हमने उन कार्यों का अध्ययन करने का प्रयत्न किया है जो कि हमारी रोजमर्रा जिन्दगी से ताल्लुक रखते है ये कार्य है ।

1. खाना बनाना ।
2. घर की सफाई करना।
3. बर्तन साफ करना ।
4. कपडा धोना ।
5. बच्चो की देखभाल व पढाना ।
6. बाजार का कार्य ।
7. आचार सॉस बनाना ।
8. सिलाई बुनाई व अन्य ।

यह कार्य महिलाएँ या तो स्वयं करती है या पारिवारिक सहयोग से करती है अथवा नौकर से करवाती है। इस सेवा का क्रय करती है प्राप्त सूचना के आधार पर विभिन्न कार्यों का वैवाहिक स्थिति, जाति धर्म, शिक्षा व आय के रूप में अध्ययन के पश्चात प्राप्त निष्कर्ष कुछ इस प्रकार है।

जब हम घरेलू कार्यों में सर्वमहत्त्वपूर्ण कार्य खाना बनाने की प्रक्रिया पर दृष्टि डालते है तो ज्ञात होता है कि 75प्रतिशत महिलाएं यह कार्य स्वयं करती है मात्र 20 प्रतिशत महिलाओं को पारिवारिक सहयोग मिलता है व केवल 5 प्रतिशत महिलाएं नौकर से प्राप्त सेवा का लाभ उठा पाती है।

जब खाना बनाने के कार्य का विश्लेषण विवाह के आधार पर किया जाताहै तो यह स्पष्ट होता है कि जिस परिवार में अविवाहित कार्यशील महिला है वहां नौकर को इस कार्य के लिए नहीं रखा जाता है चाहे वह महिला किसी भी धर्म हिन्दू या मुस्लिम किसी भी जाति अनुजाति /जनजाति /पिछडी जाति या सामान्य जाति की हो शिक्षित अथवा अशिक्षित हो। निम्न आय वर्ग की हो या मध्यम व उच्च आय वर्ग की हो ।

विवाहित महिलाओं में 7 प्रतिशत महिलाएं खाने बनाने का कार्य नौकर से करवाती है तथाशेष महिलाओं में लगभग 15 प्रतिशत महिलाओं को पारिवारिक सहयोग प्राप्त होता है यह जरूर है कि अविवाहित महिलाओं में परिवार से प्राप्त होने वाले सहयोग का अनुपात अधिक है(लगभग एक तिहाई)

यदि हम धर्म के आधार पर इस कार्य का विश्लेषण करे तो हम पाते है कि हिन्दू परिवार, मुस्लिम परिवारों की अपेक्षा अधिक रूढिवादी है क्योंकि जहां नौकर द्वारा खाना बनाने का कार्य 2% हिन्दू परिवारों में किया जाता है वही मुस्लिम परिवारों में एक तिहाई ऐसे परिवार है

जहां यह कार्य नौकरों द्वारा किया जाता है। एक अन्य बात जो गौर करने की है वह यह है कि मुस्लिम कार्यशील महिलाओं को हिन्दू कार्यशील महिलाओं की अपेक्षा परिवार के सदस्यों से इस कार्य में कम सहयोग मिलता है।

जाति के आधार पर विश्लेषण करने से यह बात स्पष्ट होती है कि किसी भी अनुसूचित जाति/जनजाति या पिछडी जाति की महिलाओं के घरों में इस कार्य को नौकर द्वारा नही कराया जाता है। मात्र सामान्य जाति की महिलाएं ही यह कार्य नौकरों से करवाती है। एक अन्य बात ध्यान देने योग्य यह है कि पिछडी व सामान्य जाति की महिलाओं ही यह कार्य नौकरों से करवाती है। एक अन्य बात ध्यानदेने योग्य यह है कि पिछडी व सामान्य जाति की महिलाओं के पाचवें भाग को पारिवारिक सहयोग प्राप्त होता है जबकि अनु. जाति व जनजाति की महिलाओं के मात्र 7प्रतिशत भाग को ही पारिवारिक सहयोग प्राप्त होता है।

जो महिलाएं अधिक शिक्षित है ही नौकर के द्वारा खाना बनाने का कार्य कराती है। शिक्षा व आय में धनात्मक सम्बन्ध महिलाएं उच्च आय वर्ग की होगी और वह ही नौकर द्वारा इस सेवा का लाभप्राप्त करेगी। यह बात सारणी से भी स्पष्ट है कि निम्न आय वर्ग की कार्यशील महिला परिवारों में खाना बनाने का कार्य स्वयं ही किया जाता है। कुछ मध्ययम वर्गीय परिवारों में यह कार्य नौकर द्वारा ही कराया जाता है। यह अवश्य है कि मध्यम वर्गीय परिवारों में परिवार का अधिक सक्रिय सहयोग प्राप्त होता है। (सारिणी 15.1)

﴾सारिणी 15.1﴿

कार्यशील महिला का घरेलू कार्यों में योगदान खाना बनाना:-

		स्वयं	पारिवारिक सहयोग	नौकरसे	योग
स्थिति	विवाहित	132	26	12	170
		﴾77.64﴿	﴾15.3﴿	﴾7.1﴿	﴾100.0﴿
	अविवाहित	38	17	-	55
		﴾69.1﴿	﴾30.9﴿		﴾100.0﴿
	योग	170	43	12	225
		﴾75.5﴿	﴾19.1﴿	﴾5.3﴿	﴾100.0﴿
	जनुजाति/	13	1	-	14
	जनजाति	﴾92.8﴿	﴾ 7.1﴿		﴾100.0﴿
जाति	पिछड़ी	8	2	-	10
	जाति	﴾80.0﴿	﴾20.0﴿		﴾100.0﴿
	सामान्य	146	40	12	201
	जाति	﴾ 74.1﴿	﴾19.9﴿	﴾5.9﴿	﴾100.0﴿
	सामान्य जाति	146	40	12	201
		﴾74.1﴿	﴾19.9﴿	﴾5.9﴿	﴾100.0﴿
	योग	170	43	12	225
		﴾75.5﴿	﴾19.1﴿	﴾5.3﴿	﴾100.0﴿
हिन्दू	हिन्दू	149	39	4	192
		﴾77.5﴿	﴾20.3﴿	﴾200﴿	﴾100.0﴿
	मुस्लिम	12	3	8	23
		﴾52.0﴿	﴾13.0﴿	﴾34.7﴿	﴾100.0﴿

क्रमशः ...

धर्म	अन्य	9 (90.0)	1 (10.0)		10 (100.0)
	योग	170 (75.5)	43 (19.1)	12 (5.3)	225 (100.0)
आय	निम्न	15 (93.7)	1 6.2)		16 (100.0)
	मध्यम अन्य	94 (71.2)	34 (25.8)	4 (3.0)	132 (100.0)
	उच्च	61 (79.2)	8 (10.3)	8 (10.3)	77 (100.0)
	योग	170 (75.5)	43 (19.1)	12 (5.3)	225 (100.0)
शिक्षा	प्राथमिक	9 (81.8)	2 (18.2)		11 (100.0)
	इण्टरमीडिएट	44 (88.0)	5 (21.9)	1 (6.7)	50 (100.0)
	स्नातक	77 (71.2)	36 (21.9)	11 (6.7)	164 (100.0)
	योग	170 (75.5)	43 (19.1)	12 (5.3)	225 (100.0)

एक अन्य आवश्यक कार्य घर की सफाई यह भी लगभग 60% महिलाएं स्वयं ही करती है मात्र 20प्रतिशत महिलाओं को इस कार्य में पारिवारिक सहयोग प्राप्त होता है व शेष 20% महिलाएं यह कार्य नौकरों द्वारा करवाती है।

यह कार्य भी विवाहित व अविवाहित महिलाओं में लगभग 60% स्वयं करती है किन्तु अविवाहित कार्यशील महिलाओं का जहां मात्र दसवां भाग ही यह सेवा नौकरो से कराती है विवाहित महिलाओं में पांचवा भाग से अधिक यह सेवा नौकरो से करवाती है। अविवाहित कार्यशील महिलाओं को विवाहित कार्यशील महिलाओं की अपेक्षा अधिक पारिवारिक सहयोग प्राप्त होता है। (लगभग दुगुना)

यदि हम इस कार्य का जाति के आधार पर विश्लेषण करे तो स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति व जनजाति व पिछडी जाति की कोई भी महिला यह कार्य नौकरो से नही कराती। सामान्य जाति की महिलाओं का पांचवा भाग नौकर द्वारा इस सेवा का लाभ प्राप्त करता है। इस कार्य हेतु पिछडी जाति की महिलाओं को सर्वाधिक पारिवारिक सहयोग प्राप्त होता है। अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं में 85प्रतिशत महिलाएं यह कार्य स्वयं करती है। पिछडी जाति की महिलाओं में भी 70प्रतिशत महिलाएं यह कार्य स्वयं करती है।

धर्म के अनुसार इस तथ्य पर ध्यानाकृष्ट करने से यह ज्ञात होता है कि यह कार्य मुस्लिम महिलाएं हिन्दू व अन्य धर्म की महिलाओं की अपेक्षा अधिकांशतः नौकर द्वारा करवाती है।

निम्न आय वर्ग की कोई भी महिला यह कार्य नौकर द्वारा नही करवाती है। जबकि उच्च आय वर्ग की एक तिहाई महिलाएं यह कार्य नौकर द्वारा करवाती है। मध्यम आय वर्ग की 12 प्रतिशत महिलाएं वह है जो कि यह कार्य सेवको द्वारा करवाती है। यहां यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है जो कि

मध्यम आय वर्ग की महिलाओं का चौथा भाग वह है जो कि इस कार्य में पारिवारिक सहयोग प्राप्त करता है । जबकि उच्च व मध्यम आय वर्ग की महिलाओं में क्रमशः 15% व 12% महिलाओं को पारिवारिक सहयोग प्राप्त होता है ।

और यदि हम इसी तथ्य पर शैक्षणिक स्थिति को ध्यान में रखकर देखें तो स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्तर तक शिक्षित 80% से अधिक महिलाएं यह कार्य स्वयं करती हैं । व 20% से कुछ कम वह महिलाएं हैं जिन्हें पारिवारिक सहयोग प्राप्त है ।

इण्टर मीडिएट स्तर तक शिक्षित महिलाओं में तीन चौथाई महिलाएं स्वयं करती हैं । 12% को पारिवारिक सहयोग प्राप्त है व 14% नौकर द्वारा सेवा प्राप्त करती हैं तथा उच्च स्तर तक शिक्षित महिलाओं में आधी से कुछ अधिक महिलाएं सहयोग से यह कार्य करती हैं तथा शेष एक चौथाई से कुछ कम सेवकों द्वारा यह सेवा लेती हैं ।

स्पष्टतः अधिक शिक्षित महिलाओं पर कम शिक्षित महिलाओं की अपेक्षा कम कार्य भार है ।

(सारणी 15.2)

(सारणी 15.2)

महिलाओं का घरेलू कार्य में योगदान : घर की सफाई

		स्वयं	पारिवारिक सहयोग	नौकर से	योग
वैवाहिक स्थिति	विवाहित	102 (60.0)	29 (71.1)	39 (22.9)	170 (100.0)
	अविवाहित	32 (58.2)	18 (32.7)	5 (9.1)	55 (100.0)
	योग	134 (59.6)	47 (20.9)	44 (19.5)	225 (100.0)
जाति	अनुजाति जनजाति	12 (85.7)	2 (14.3)	—	14 (100.0)
	पिछड़ी जाति	7 (70.0)	3 (30.0)	—	10 (100.0)
	सा.जाति	115 (57.2)	42 (20.9)	44 (21.9)	201 (100.0)
	योग	134 (59.6)	47 (20.9)	44 (19.5)	225 (100.0)
धर्म	हिन्दू	118 (61.5)	40 (20.8)	34 (17.7)	192 (100.0)
	मुस्लिम	9 (39.1)	4 (17.4)	10 (43.5)	23 (100.0)
	अन्य	7 (70.0)	3 (30.0)	—	10 (100.0)
आय	निम्न	14 (87.5)	2 (12.5)	—	16 (100.0)
	मध्यम	82 (62.1)	33 (25.0)	17 (12.9)	132 (100.0)

क्रमशः ...

	उच्च	38	12	27	77
		§49.4§	§15.6§	§35.9§	§100.0§
	योग	134	47	44	225
		§59.6§	§20.9§	§19.5§	§100.0§
शिक्षा	प्राथमिक	9	2	--	11
		§81.8§	§18.2§	—	§100.0§
	इण्टर मीडिएट	37	6	7	50
		§74.0§	§12.0§	§14.0§	§100.0§
	स्नातक	68	39	37	164
		§53.7§	§23.8§	§22.6§	§10..0§
	योग	134	47	44	225
		§59.6§	§20.9§	§19.5§	§100.0§

§15.3§

एक अन्य आवश्यक कार्य बर्तन साफ करने की प्रक्रिया में 43% महिलाएं नौकरों की मदद लेती हैं। किन्तु यहाँ भी विवाहित महिलाओं में आधे से अधिक नौकर द्वारा यह कार्य करवाती हैं। जबकि अविवाहित महिलाओं का मात्र पाँचवाँ भाग ऐसा है जहां इस कार्य हेतु सेवकों की मदद ली जाती है।

पिछड़ी जाति की कोई भी महिला ऐसी नहीं प्राप्त हुई है जो कि इस कार्य हेतु सेवकों की मदद ले। सामान्य जाति की आधी से कुछ कम महिलाएं यह कार्य सेवकों द्वारा कराती हैं। यह कार्य यद्यपि हिन्दू व मुस्लिम दोनों ही प्रकार की महिलाएं लगभग समान अनुपात में कराती हैं किन्तु यहाँ भी मुस्लिम महिलाओं का प्रतिशत अधिक है जो यह कार्य सेवकों द्वारा कराएँ।

उच्च आय वर्ग की दो तिहाई महिलाएँ यह कार्य सेवकों द्वारा कराती हैं मध्यम आय वर्ग की एक तिहाई महिलाएं यह कार्य सेवकों द्वारा कराती हैं । मध्यम आय वर्ग की एक तिहाई व निम्न आय वर्ग की महिलाएं का पांचवां भाग इस कार्य हेतु सेवकों की मदद लेता है । निश्चय ही उच्च आय वर्ग की महिलाओं की अपेक्षा निम्न आय वर्ग की महिलाएँ अधिकांशत: स्वयं कार्य करती हैं । ठीक यही स्थिति शैक्षिक स्तर पर भी दर्शित होता है जो कि निश्चय ही आय व शैक्षिक स्तर में सह सम्बन्ध के कारण प्रदर्शित होता है । प्राथमिक स्तर तक शिक्षित कोई भी महिला सेवक की मदद नहीं लेती है जबकि इण्टर मीडिएट स्तर तक शिक्षित एक तिहाई से अधिक महिलाएं नौकरों द्वारा यह कार्य कराती हैं ।

इस कार्य हेतु जहाँ तक पारिवारिक सहयोग का प्रश्न है अविवाहित महिलाओं को विवाहित महिलाओं के अनुपात में लगभग तीन गुना अधिक पारिवारिक सहयोग प्राप्त होता है । उच्च आय वर्ग की महिलाओं को पारिवारिक सहयोग कम मिलने का कारण अधिकांशत: महिलाओं का स्पष्टत: यद्यपि यह कार्य कुल मिलाकर आधे से कम महिलाएं ही स्वयं करती हैं तथापि अनु जाति/जनजाति व पिछड़ी जाति की अल्प शिक्षित निम्न आय वर्गीय महिलाओं पर अधिकांशत: कार्य भार पड़ता है ।

§ सारणी 15.3 §

सारणी §15.3§

कार्यशील महिलाओं के घरेलू कार्यों की सहभागिता

: बर्तन साफ करना –

तालिका (15.5)

		स्वयं	पारिवारिक सहयोग से	नौकर से	योग
वैवाहिक स्थिति	विवाहित	69	15	86	170
		(40.6)	(8 .8)	(21.8)	(100.0)
	अविवाहित	27	16	12	55
		(49.1)	(29.1)	(21.8)	(100.0)
	योग	96	31	98	225
		(42.7)	(13.6)	(43.5)	(100.0)
जाति	अनुजाति/ जनजाति	12	--	2	14
		(85.7)	—	(14.3)	(100.0)
	पिछड़ी जाति	7	3	--	10
		(70.0)	(3 0.0)	--	(100.0)
	सामान्य जाति	77	28	96	201
		(38.3)	(13.9)	(47.8)	(100.0)
	योग	96	31	98	192
		(42.7)	(13.8)	(43.5)	(100.0)
हिन्दू	हिन्दू	84	26	82	192
		(42.8)	(13.5)	(42.7)	(100.0)
	मुस्लिम	8	4	11	23
		(34.8)	(17.4)	(47.8)	(100.0)
	अन्य	4	1	5	10
		(40.0)	(10.0)	(50.0)	(100.0)
आय	निम्न	10	3	3	16
		(62.5)	(18.8)	(18.8)	(100.0)
	मध्यम	65	22	45	132
		(49.2)	(1 6.7)	(34.1)	(100.0)
	उच्च	21	6	50	77
		(27.3)	(7.8)	(64.9)	(100.0)
	योग	96	31	98	225

क्रमशः ...

		(42.7)	(13.8)	(43.5)	(100.0)
	प्राथमिक	9	2	—	11
शिक्षा		(81.8)	(18.2)	—	(100.0)
	इण्टर	28	4	18	50
	मीडियट	(56.0)	(8.0)	(36.0)	(100.0)
	स्नातक	59	25	0	164
		(36.0)	(15.2)	(48.8)	(100.0)
	योग	96	31	98	2
		(42.7)	(13.8)	(43.5)	(100.0)

15.4

घर के कार्यों में एक अनिवार्य कार्य है कपड़ा धोना यह कार्य 15% महिलाएं सेवकों द्वारा कराती हैं।
महिलाओं का पाँचवा भाग वह है जो कि यह कार्य पारिवारिक सहयोग से करती हैं तथा दो तिहाई महिलाएँ यह कार्य स्वयं करती हैं।

यहाँ भी विवाहित महिलाओं की जहां लगभग 20% महिलाएं यह कार्य सेवकों द्वारा सम्पन्न कराती हैं अविवाहित महिलाओं में मात्र एक महिला ऐसी पाई गई जो कि सेवकों द्वारा यह कार्य कराए। यद्यपि अविवाहित महिलाओं में जहां 40% महिलाओं को पारिवारिक सहयोग प्राप्त होता है वहीं विवाहित महिलाओं की 17% महिलाओं को ही पारिवारिक सहयोग प्राप्त है।

अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति की कोई भी महिला इस कार्य में सेवक की मदद नहीं लेती। मात्र सामान्य जाति की 17% महिलाएं सेवकों की मदद लेती हैं। जहां तक पारिवारिक सहयोग का प्रश्न है सामान्य पिछड़ी जाति की महिलाओं को क्रमशः 20-30 प्रतिशत को पारिवारिक सहयोग प्राप्त होता है। जबकि अनु जाति /जन जाति की महिलाओं को सबसे कम लगभग 14% को ही सहयोग प्राप्त होता है।

अर्थात अनु. जाति/जनजाति की महिलाओं पर विशेष रूप से भार अधिक है ।

विभिन्न धर्म अनुसार अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि मुस्लिम महिलाएं अधिक वह हैं जो कि सेवकों द्वारा यह कार्य करायें । यह निश्चित है कि अन्य धर्म की महिलाओं की अपेक्षा मुस्लिम महिलाओं पर कम कार्य भार है ।

यह कार्य भी उच्च आय वर्ग की महिलाएं अधिक ऐसी हैं जो सेवकों द्वारा यह कार्य करायें (मध्यम आय वर्ग की लगभग तिगुनी) निम्न आय वर्ग की कोई महिला यह कार्य सेवकों द्वारा नहीं कराती हैं । न ही अधिकांश (80%) निम्न आय वर्गीय महिलाओं को पारिवारिक सहयोग ही प्राप्त होता है । संगत स्थिति विभिन्न शैक्षणिक स्तर की महिलाओं की है । प्राथमिक स्तर तक शिक्षित कोई भी महिला सेवक का लाभ नहीं उठा पाती जबकि अधिक शिक्षित महिलाएं अधिक सेवक का लाभ उठाती हैं ।

(सारणी 15.4)

सारणी (15.4)

कार्यशील महिलाओं द्वारा घरेलू कार्यों में योगदान : कपड़ा धोना

		स्वयं	पारिवारिक सहयोग	नौकर से	योग
वैवाहिक स्थिति	विवाहित	108 (6 .5)	29 (17.1)	33 (19.4)	170 (100.0)
	अविवाहित	38 (69.1)	16 (29.1)	1 (1.8)	170 (100.0)
	योग	146 (64.9)	45 (20.0)	34 (15.1)	225 (100.0)

क्रमशः ...

	अनु.जाति जनजाति	12 (85.7)	2 (14.3)	—	14 (100.0)
जाति	पि.जाति	7 (70.0)	3 (30.0)	—	10 (100.0)
	सामान्य	127 (63.2)	40 (19.9)	34 (16.9)	201 (100.0)
	योग	146 (64.9)	45 (20.0)	34 (15.1)	225 (100.0)
	हिन्दू	127 (66.1)	40 (20.8)	25 (13.0)	192 (100.0)
धर्म	मुस्लिम	12 (52.2)	4 (17.4)	7 (30.4)	23 (100.0)
	अन्य	7 (70.0)	1 (10.0)	2 (20.0)	10 (100.0)
	योग	146 (64.9)	45 (20.0)	34 (15.1)	225 (100.0)
	निम्न	13 (81.3)	3 (18.7)	—	16 (100.0)
आय	मध्यम	87 (65.9)	32 (24.2)	13 (9.8)	132 (100.0)
	उच्च	46 (59.7)	10 (13.0)	21 (27.3)	77 (100.0)
	योग	146 (64.9)	45 (20.0)	34 (15.1)	225 (100.0)
	प्राथमिक	9 (81.8)	2 (18.2)	—	11 (100.0)
शिक्षा	इण्टर मीडिएट	37 (74.0)	10 (20.0)	3 (6.0)	50 (100.0)

स्नातक	100	33	31	225
	(60.9)	(20.1)	(18.9)	(100.0)
योग	146	45	34	225
	(64.9)	(20.0)	(15.1)	(100.0)

15.5

जहाँ तक बच्चों की देखभाल का प्रश्न है हमने यह प्रश्न मात्र विवाहित महिलाओं तक ही सीमित रखा है । यह कार्य लगभग सभी महिलाएं स्वयं करना चाहती हैं नौकरों पर निर्भर महिलाओं का प्रतिशत लगभग नगण्य है । 80% महिलाएं यह जिम्मेदारी स्वयं निभाती हैं व 20% महिलाओं को पारिवारिक सहयोग प्राप्त है ।

अनुसूचित जाति जन जाति व पिछड़ी जाति की महिलाओं को सामान्यजाति की महिलाओं की अपेक्षा कम पारिवारिक सहयोग प्राप्त है । जहाँ सामान्य जाति की एक चौथाई महिलाओंको पारिवारिक सहयोग प्राप्त है वहीं अनुसूचित जाति व जन जाति की महिलाओं के दसवें भाग को पारिवारिक सहयोग प्राप्त है । पिछड़ी जाति की कोई भी महिला ऐसी नहीं प्राप्त हुई है जिसे इस कार्य हेतु पारिवारिक सहयोग प्राप्त हो ।

विभिन्न धर्म की महिलाओं में इस स्थिति पर विचार करने से लगभग समान स्थिति दृष्टिगोच्य होती है । सभी धर्म की महिलाओं में 20% वह पाई गई जिन्हें पारिवारिक सहयोग प्राप्त थो व 80% महिलाएं अधिकांशतः यह जिम्मेदारी स्वयं निभाती हैं । स्पष्टतः बच्चों की जिम्मेदारी पूर्णतः माँ पर ही निर्भर है । जबकि कुल कामकाजी महिलाओं का पंचतांश वह है जो कि पारिवारिक सहयोग से बच्चों की देखभाल करती हैं ।

अब हम इस पहलू पर आय वितरण के अनुसार अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि मध्यम आय वर्ग की महिलाओं को इस कार्य में सर्वाधिक पारिवारिक सहयोग (28%) प्राप्त होता है। तत्पश्चात उच्च आय वर्ग की महिलाओं को (15%) व सबसे कम निम्न आय वर्ग की महिलाओं को (8%) पारिवारिक सहयोग प्राप्त होता है।

(सारणी 15.5)

(सारणी 15.5)

महिलाओं का घरेलू कार्यों में योगदान : बच्चों की देखभाल

		स्वयं	पारिवारिक सहयोग	नौकर से	योग	असम्बद्ध
वैवाहिक	विवाहित	106 (77.4)	30 (21.9)	1 (0.7)	137 (100.0)	33
	अविवाहित	—	--	—	- -	55
	योग	106 (77.4)	30 (21.9)	1 (0.7)	137 (100.0)	88
जाति	अनुजा/जनजाति	10 (90.9)	1 (9.1)	--	11 (100.0)	3
	पि. जाति	7 (100.0)	--	--	7 (100.0)	3
	सामान्य जाति	89 (74.8)	29 (24.4)	1 (0.8)	119 (100.0)	82
	योग	106 (77.4)	30 (21.9)	1 (0.7)	137 (100.0)	88
धर्म	हिन्दू	91 (77.1)	26 (22.0)	1 (0.8)	118 (100.0)	74

क्रमशः ...

	मुस्लिम	11	3	--	14	9
		(78.6)	(21.4)	--	(100.0)	
	अन्य	4	1	--	5	5
		(80.0)	(20.0)	--	(100.0)	
आय	निम्न	11	1	--	12	4
		(91.7)	(8.3)	--	(100.0)	
	मध्यम	51	21	1	73	59
		(69.9)	(28.8)	(1.3)	(100.0)	
	उच्च	44	8	--	52	25
		(84.6)	(15.4)	--	(100.0)	
	योग	106	30	1	137	88
		(77.4)	(21.9)	(0.7)	(100.0)	
शिक्षा	प्राथमिक	6	1	--	7	4
		(85.7)	(14.3)	--	(100.0)	
	इण्टर मीडिएट	29	7	--	36	14
		(80.6)	(19.4)		(100.0)	
	स्नातक	71	22	1	94	70
		(75.5)	(23.4)	(1.1)	(100.0)	
	योग	106	30	1	137	88
		(77.4)	(21.9)	(0.7)	(100.0)	

15.6

जहाँ तक बाजार सम्बन्धी कार्य का प्रश्न है हमारी महिलाओं को सर्वाधिक इस कार्य हेतु ही सहयोग प्राप्त होता है (लगभग एक तिहाई) यह कार्य सेवकों द्वारा बहुत कमही कराया जाता है । (3%) और वह भी परिवार विवाहित कार्यशील महिलाओं के हैं । इस कार्य में विवाहित महिलाओं को अविवाहित महिलाओं की अपेक्षा 5% अधिक पारिवारिक सहयोग प्राप्त होता है ।

सामान्य जाति की जहाँ एक तिहाई महिलाओं को पारिवारिक सहयोग प्राप्त होता है व दो तिहाई महिलाओं को यह कार्य स्वयं करती हैं वहीं अनुसूचित जाति/जनजाति व पिछड़ी जाति की 85 - 90 प्रतिशत महिलाएं यह कार्य स्वयं करती हैं ।

इस कार्य में हिन्दू मुस्लिम व अन्य किसी भी धर्म से सम्बद्ध एक तिहाई महिलाओं को पारिवारिक सहयोग प्राप्त होता है किन्तु हिन्दू महिलाओं में स्वयं यह कार्य करने वाली महिलाओं का प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं से 9% अधिक है ।

बाजार का कार्य निम्न आय वर्ग की 85% से अधिक महिलाएं स्वयं करती हैं । मध्यम आय वर्ग की लगभग 65% महिलाएं स्वयं यह कार्य करती हैं व उच्च आय वर्ग की 55% महिलाएं यह कार्य स्वयं करती हैं । ठीक समान स्थिति शैक्षणिक स्तर पर भी प्राप्त होती है ।

स्पष्टतः यद्यपि महिलाओं के कार्यों में सर्वाधिक पारिवारिक सहयोग इस कार्य में प्राप्त होता है । किन्तु अनु.जाति/जनजाति की अल्प शिक्षित निम्न आय वर्ग की महिलाओं में अधिकांश को यह कार्य स्वयं प्राप्त होता है ।

(सारणी 15.6)

(सारणी 15.6)

महिलाओं का घरेलू कार्य में योगदान : बाजार सम्बन्धी कार्य

		स्वयं	पारिवारिक	नौकर	योग
वैवाहिक	विवाहित	107	56	7	170
		(62.9)	(32.9)	(4.1)	(100.0)
	अविवाहित	40	15	—	55
		(72.7)	(27.3)		(100.0)
	योग	140	71	7	225
		(65.3)	(14.3)	(3.1)	(100.0)
जाति	अनु.जाति जनजाति	12	2	—	14
		(85.7)	(14.3)		(100.0)
	पि.जाति	9	--	1	10
		(90.0)		(10.0)	(100.0)
	सामान्य	126	69	6	201
		(62.7)	(43.3)	(3.0)	(100.0)
	योग	147	71	7	225
		(65.3)	(31.6)	(3.1)	(100.0)
धर्म	हिन्दू	127	59	6	192
		(66.1)	(30.7)	(301)	(100.0)
	मुस्लिम	13	9	1	23
		(56.5)	(39.1)	(4.3)	(100.0)
	अन्य	7	3	-	10
		(70.0)	(30.0)	( )	(100.0)
	योग	147	71	7	225
		(65.3)	(31.6	(3.1)	(100.0)

क्रमशः...

आय	निम्न	14 (87.5)	2 (12.5)	–	16 (100.0)
	मध्यम	86 (65.2)	42 (35.0)	4 (3.4)	132 (100.0)
	उच्च	47 (61.0)	27 (35.0)	3 (3.9)	77 (100.0)
	योग	147 (65.3)	71 (31.6)	7 (3.1)	225 (100.0)
शिक्षा	प्राथमिक	9 (81.8)	2 (18.2)	– ( )	11 (100.0)
	इण्टर मीडिएट	36 (72.0)	14 (28.0)		50 (100.0)
	स्नातक	102 (62.2)	55 (33.5)	7 (4.3)	164 (100.0)
	योग	147 (65.3)	71 (31.6)	7 (3.1)	225 (100.0)

महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों में एक अतिरिक्त कार्य है आचार सॉस बनाना । यह भी कार्य 60% महिलाएं स्वयं बनाती हैं । शेष पारिवारिक सहयोग व नौकर से यह कार्य करवाती हैं । यह यथार्थ विवाहित महिलाओं की अपेक्षा अविवाहित महिलाएं अधिक कुछ करती हैं । लगभग 14%

अधिक है जहाँ अविवाहित महिलाओं में मात्र 40% महिलाएं यह पदार्थ स्वयं बनाती हैं वहीं विवाहित महिलाओं में दो तिहाई स्वयं बनाती हैं।

जहाँ विवाहित महिलाओं में मात्र बीसवाँ भाग इस कार्य में परिवार का सहयोग लेता है अविवाहित महिलाओं का पाँचवाँ भाग परिवार का सहयोग प्राप्त करता है। अनुजाति/अनजाति की तीन चौथाई महिलाएँ यह कार्य स्वयं करती हैं। एक चौथाई बाजार के बनाए गए आचार साँस का प्रयोग करती हैं।

हिन्दू व अन्य महिलाओं की अपेक्षा मुस्लिम महिलाएं अधिकांशतः आचार-साँस स्वयं बनाती हैं।

निम्न आय वर्ग की महिलाएं उच्च आय वर्ग की महिलाओं की अपेक्षा यह पदार्थ स्वयं बनाती हैं। अधिक शिक्षित महिलाएं कम शिक्षित महिलाओं की अपेक्षा अधिक बाजार की वस्तु का प्रयोग करती हैं।

§सारणी 15.7§

§ सारणी 15.7 §

कार्यशील महिलाओं का घरेलू कार्यों में योगदान : आचार साँस बनाना :

		स्वयं	पारिवारिक सहयोग	नौकर से	योग	असम्बद्ध
वै. स्थिति	विवाहित	115	11	41	167	3
		§68.9§	§6.6§	§24.5§	§100.0§	
	अविवाहित	21	11	20	52	3
		§40.4§	§21.1§	§38.5§	§100.0§	
	योग	136	22	61	219	6
		§62.1§	§10.0§	§27.9§	§100.0§	
जाति	अनुजा/	11	—	3	14	-
	जनजाति	§78.6§	§	21.4§	§100.0§	

क्रमशः ..

	पि.जाति	6 (60.7)	1 (11.1)	2 (22.2)	9 (100.0)	1
	सामान्य जाति	119 (60.7)	21 (10.7)	56 (28.6)	196 (100.0)	5
	योग	136 (62.1)	22 (10.0)	61 (27.9)	219 (100.0)	6
धर्म	हिन्दू	114 (60.9)	17 (9.1)	56 (30.0)	187 (100.0)	5
	मुस्लिम	17 (73.9)	3 (13.0)	3 (13.0)	23 (100.0)	
	अन्य	5 (55.5)	2 (22.2)	2 (22.2)	9 (100.0)	1
	योग	136 (62.1)	22 (10.0)	61 (27.9)	219 (100.0)	6
आय	निम्न	13 (81.[illegible])	1 (6.2)	2 (12.5)	16 (100.0)	
	मध्यम	83 (65.3)	18 (14.2)	26 (20.5)	127 (100.0)	5
	उच्च	40 (52.6)	3 ([illegible].9)	33 (43.4)	76 (100.0)	1
	योग	136 (62.1)	22 (10.0)	61 (27.9)	219 (100.0)	6
शिक्षा	प्राथमिक	8 (72.7)	1 (9.1)	2 (18.2)	11 (100.0)	
	इण्टर मीडिएट	34 (70.8)	4 (8.3)	10 (20.8)	48 (100.0)	2

क्रमशः ...

स्नातक	94	17	49	160	4
	(58.8)	(10.6)	(30.6)	(100.0)	
योग	136	22	61	219.	6
	(62.1)	10.0)	(27.9)	(100.0)	

15.8 घरेलू आवश्यकताओं में एक और आवश्यकता है । सिलाई बुनाई की । यह कार्य आधे से अधिक महिलाएं बाजार से करवाती हैं (60%)

वैवाहिक स्थिति के रूप में इस पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि विवाहित महिलाओं से 9% कही अधिक महिलाएं बाजार पर निर्भर हैं ।

यह कार्य अनुसूचित जाति व जनजाति व पिछड़ी जाति की महिलाएं भी उसी प्रकार बाजार से करवाती हैं जैसी कि सामान्य जाति की महिलाएं व अन्य धर्म की ।

हिन्दू महिलाएं मुस्लिम महिलाओं की अपेक्षा अधिक बाजार से करवाती हैं । जहाँ हिन्दुओं की आधे से अधिक महिलाएं यह कार्य बाजार से करवाती हैं वहीं मुस्लिम महिलाओं का एक तिहाई भाग ही बाजार का प्रयोग इस कार्य हेतु करता है । उच्च आय वर्ग की कम ही महिलाएं यह कार्य बाजार से करवाती हैं ।

कुल मिलाकर यह स्थिति परिलक्षित होती है कि अन्य कार्यों की अपेक्षाकृत इस कार्य में महिलाएं बाजार पर अधिक निर्भर हैं । स्पष्टतः क्योंकि इस कार्य में अन्य विशेष दक्षता व समय की आवश्यकता होती है जो कि कार्यशील महिलाओं में कम है ।

(सारणी 15.8)

(सारणी 15.6)

कार्यशील महिलाओं की घरेलू कार्यों में सहभागिता : सिलाई बुनाई

		स्वयं	पारिवारिक सहयोग	बाजार से	योग
वै. स्थिति	विवाहित	75	7	88	170
		(44.1)	(4.1)	(51.8)	(100.0)
	अविवाहित	20	2	33	55
		(36.4)	(3.6)	(60.0)	(100.0)
	योग	95	9	121	225
		(42.2)	(4.0)	(53.8)	(100.0)
जाति	अनुजाति जनजाति	7		7	14
		(50.0)		(50.0)	(100.0)
	पि.जाति	4		6	10
		(41.8)		(60.6)	(100.0)
	सामान्य जाति	84	9	108	201
		(41.6)	(4.5)	(53.7)	(100.0)
	योग	95	9	121	225
		(42.2)	(4.0)	(53.8)	(100.0)
धर्म	हिन्दू	76	8	108	192
		(39.6)	(4.2)	(56.3)	(100.0)
	मुस्लिम	14	1	8	23
		(60.9)	(4.3)	(34.8)	(100.0)
	अन्य	5		5	10
		(50.0)		(50.0)	(100.0)
आय	निम्न	9		7	16
		(56.3)		(53.7)	(100.0)

क्रमशः ...

	मध्यम	60	8	64	132
		(45.4)	(6.1)	(48.5)	(100.0)
	उच्च	26	1	50	77
		(33.6)	(1.3)	(64.9)	(100.0)
	योग	95	9	121	225
		(42.2)	(4.0)	(53.8)	(100.0)
शिक्षा	प्राथमिक	5	1	5	11
		(45.5)	(9.0)	(45.5)	(100.0)
	इण्टर मीडियट	23	2	25	50
		(46.0)	(4.0)	(50.0)	(100.0)
	स्नातक	67	6	91	164
		(40.8)	(3.6)	(55.6)	(100.0)
	योग	95	9	121	225
		(42.2)	(4.0)	(53.8)	(100.0)

अंततः हम यह कह सकते हैं कि औसत रूप से तीन चौथाई महिलाएं कार्य स्वयं करती हैं व एक चौथाई महिलाएं ही नौकर से सेवा लाभ प्राप्त करती हैं। स्वयं कार्य करने वाली महिलाओं में 75% महिलाओं को किसी भी प्रकार का पारिवारिक सहयोग नहीं प्राप्त होता है। जबकि 25% महिलाओं को पारिवारिक सदस्य घरेलू

कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं । स्पष्टतः 60% कार्यशील महिलाएं पूर्णतः दोहरे कार्य भार से पीड़ित हैं ।

जहाँ तक खाना बनाना व बच्चों की देखभाल जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का प्रश्न है लगभग तीन चौथाई कार्यशील महिलाएं स्वयं कार्य करती हैं । निश्चय ही इन कार्यों की जिम्मेदारी पूर्णतः वहन करती हैं ।

घर की सफाई, कपड़ा धोना, बाजार का कार्य व आचार सॉस बनाना जैसे आवश्यक कार्य भी 60 - 65 प्रतिशत महिलाएं स्वयं वहन करती हैं । इन कार्यों में सर्वाधिक सहयोग (30%) महिलाओं को बाजार के कार्य में प्राप्त होता है व शेष कार्यों में (10 -20) प्रतिशत महिलाओं को सहयोग प्राप्त होता है ।

बर्तन साफ करना व सिलाई बुनाई का कार्य सेवकों द्वारा अथवा बाजार से सेवा क्रय करने के कारण लगभग 60% महिलाएं इन कार्यों के बोझ से मुक्त हैं । किन्तु यहाँ भी 40% महिलाएं वह हैं जो कि पूर्णतः इन कार्यों का दबाव वहन करती हैं । जिन 60% महिलाओं पर इन कार्यों का भार नहीं पड़ता है इनमें 10% महिलाओं को पारिवारिक सहयोग मिलता है व 50% यह कार्य बाहर से करवाती हैं ।

निश्चय ही कार्यशील महिलाओं में अधिकांशतः महिलाएं दोहरे कार्य भार से पीड़ित हैं जो कि आवश्यक रूप से महिला स्वतंत्रता के नाम पर महिलाओं के शोषण का स्पष्ट चित्रण है । मात्र कुछेक परिवार ही ऐसे हैं जो इन कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं । ऐसी महिलाएं जो परिवार का सहयोग प्रदान कर रही हैं वह अधिक शिक्षित मध्यम आय वर्ग की व सामान्य जाति की अविवाहित महिलाएं सर्वाधिक दोहरे कार्य भार से पीड़ित हैं । निश्चय ही दोहरे कार्य भार से पीड़ित महिला स्वरूप स्पष्टतः समाज के अनुदार स्वरूप को प्रतिबिम्बित करता है ।

कार्यशील महिलाओं के अवैतनिक कार्यों को महत्व

कार्यशील महिलाओं को परिवार में महत्ता ज्ञात करने हेतु उनके अवैतनिक कार्यों को घर के सदस्य कितना महत्व देते हैं। इस पर विभिन्न प्रकार के विचार प्राप्त हुए। कुछ विवाहित महिलाओं ने इस प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा कि यद्यपि उनके पति व बच्चे महत्व देते हैं तथापि सास, श्वसुर, नहीं इस प्रकार परस्पर विरोधी उत्तरों से यह स्पष्ट हुआ कि लगभग 45% या आधे से कुछ महिलाएं ऐसा महसूस करती हैं कि उन्हें सामान्य महत्व दिया जाता है। वहीं लगभग 20% या पंचवांश महिलाओं का वह है जिन्हें लगभग शून्य महत्व दिया जाता है। ऐसी विवाहित महिलाएं अधिक हैं (20%) अपेक्षाकृत अविवाहित (12%) महिलाओं के।

एक तिहाई हिस्सा 37% महिलाओं का वह प्राप्त हुआ जिनके परिवार के सदस्य उन्हें अत्यधिक महत्व देते हैं। या अप्रत्यक्ष रूप से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि कुल कार्यशील महिलाओं का तिहाई अंश ही वह भाग्यशाली वर्ग है जिन्हें परिवार के सदस्य महत्व देते हैं।

कार्यशील महिलाओं के मूल्यांकित कार्यों की महत्ता :-

सारणी (16.0)

	अत्यधिक	सामान्य	तटस्थ	अल्प	नकारात्मक	योग
विवाहित	58 (34%)	78 (46)	16 (9%)	6 (4)	12 (7)	170 (100.0)
अविवाहित	24 (44)	24 (44)	3 (5)	3 (5)	1 (2)	55 (100.0)
योग	82 (37)	102 (45)	19 (8)	9 (4)	13 (13)	225 (100.0)

17.0. पारिवारिक सहयोग -

यहाँ पर पारिवारिक सहयोग से आशय किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन या विचार-चयन के समय किसी भी प्रकार का सहयोग जो कि महिलाओं को संघर्ष क्षमता का बढ़ाव से लिया गया है । इस रूप में अध्ययन करने से जो मुख्य तथ्य जो उभर कर समक्ष आता है वह यह कि 20 प्रतिशत महिलाएं या कुल प्रतिदर्श का पाँचवा भाग वह है जिसे किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं प्राप्त हुआ । जबकि 80 प्रतिशत भाग वह है जिन्हें किसी न किसी रूप में परिवार के सदस्यों ने सहयोग व प्रोत्साहन दिया । जिससे फलीभूत होकर महिलाएं आज विभिन्न कार्यों में संलग्न हैं ।

जो प्रमुख तथ्य समक्ष उभर कर आता है वह यह कि विवाहित महिलाओं में सर्वाधिक सहयोग उन महिलाओं के पति या बच्चों का प्राप्त हुआ है । जबकि अविवाहित महिलाओं को उनके माता-पिता ने सहयोग प्रदान किया ।

(सारणी 17.0)

(सारणी 17.0)

कार्यशील महिलाओं में पारिवारिक सहयोग :
विवाहित, अविवाहित वर्गीकरण आधार पर :-

प्राप्त करने के कारण या संरक्षक के विरुद्ध व्यवहार न करने के कारण आय भी घरेलू दायरे में सीमित है ।

एक और बात जो उभर कर समक्ष आती है वह यह कि सधवा महिलाओं में 73% महिलाएं वह हैं जिनके पति उन्हें व्यवसाय से जुड़े रहने में किसी प्रकार का सहयोग देते हैं व 27% वह महिलाएं हैं जिनके पति उन्हें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देते हैं ।

§सारणी 17.1§

सारणी 17. 1§

कार्यशील महिलाओं की वैवाहिक स्थिति

विवरण	संख्या	
अविवाहित	55 §24.4§	
विवाहित	170 §75.5§	§100.0§
सधवा	135	§79.4§
विधवा	28	§16.5§
तलाकशुदा	1	§0.6§
परित्यक्ता	5	§2.9§
पुनर्विवाह	1	§0.6§
योग	225 §100.0§	§

18.0 विवाहित कार्यशी महिलाओं में लगभग 60% महिलाएं विवाह के पश्चात् कार्यरत् हैं व जिसमें सर्वाधिक प्रतिशत विधवा महिलाओं का है जो कि 11 वर्ष से अधिक विवाह पश्चात् कार्यरत हुई हैं । निश्चय ही सरकार की इस नीति ने असहाय महिलाओं की दशा सुधारने व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है जो कि स्वयं में अति प्रशंसनीय है । तथा विवाह से पूर्व ार्यरत महिलाओं में लगभग 40% महिलाएं वह हैं जो कि विवाह के एक दो वर्ष पूर्व ही व्यवसाय कर रही हैं जो कि महिलाओं में आत्म निर्भर होने की प्रवृत्ति का स्पष्ट चित्रांकन कर रही हैं ।

(सारणी 18.0)

सारणी (18.0)

विवाह पूर्व व पश्चात् कार्यशील विवाहित महिलाएं -

	1-2	3-5	6-10	11 से अधिक	योग	0	
विवाहपूर्व	23	15	13	7	58	8	4
	(39.6)	(25.9)	(22.4)	(12.1)	(100)		
विवाह पश्चात	15	24	23	38	380		
	(15.0)	(24.0)	(23.0)	(38.0)	100.0)		
योग					158	8	4

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि लगभग 40% महिलाएं विवाह से पूर्व व्यवसाय में संलग्न रही हैं ।

कार्यशील महिलाओं के परिवार का स्वरूप -

19.0

विभिन्न कार्यशील महिलाओं के बच्चों की संख्या की अवगणना से स्पष्ट होता है कि कुल विवाहित कार्यशील महिलाओं का दसवांश वह है जिनके एक भी बच्चे नहीं हैं व तीन चौथाई कार्यशील महिलाओं का वह वर्ग है जिनके एक से तीन बच्चे हैं जिसमें सर्वाधिक कुल विवाहित कार्यशील महिलाओं का भाग 40% वह है जिनके चार बच्चे हैं व पंचवांश से कुछ अधिक वह भाग है जिन महिलाओं के पाँच से अधिक बच्चे हैं व यह वर्ग निम्न आय वर्ग की महिलाओं का है जो कि इस परिदृश्य पर स्पष्ट चित्रित करता है कि जीवन स्तर उच्च होने से बच्चों की संख्या क्या होती है । क्योंकि वह महिला वर्ग अपने परिवार के स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करती है कुल मिलाकर कार्यशील महिलाओं के औसत रूप से दो बच्चे पाए गए

{सारणी 19.0}

सारणी {19.0}

विवाहित कार्यशील महिलाओं के बच्चों की संख्या-

बच्चों की संख्या	0	1	2	3	4	5	योग
विवाहित महिला	16 {9.4}	30 {17.6}	68 {40.0}	29 {17.0}	17 {10.0}	9 {5.3}	170

20.0

एक अन्य आवश्यक तथ्य जो उभर कर कार्यशील महिलाओं के परिवार की प्रकृति के आधार पर निकलता है वह यह कि जबकि 50% से कुछ अधिक परिवारों में संयुक्त परिवार पाए गए वहीं 50% से कुछ कम परिवार कार्यशील महिलाओं के एकल परिवार हैं । वहीं अविवाहित महिलाओं में एकल परिवारों की संख्या अधिक है वहीं विवाहित महिलाओं में संयुक्त परिवारों की संख्या अधिक है ।
यदि हम यह कहें कि महिलाओं की कार्यशीलता संयुक्त परिवार की प्रवृत्ति को बढ़ाती है या कार्यशील संयुक्त परिवार महिलाओं के परिवारों में संयुक्त परिवार अधिक पाए जाते हैं तो इसमें कुछ अति-शयोक्ति नहीं होगी ।

जैसा कि वर्तमान सर्वेक्षण से यह पाया गया कि (टी.वी. रिपोर्ट 1993) कि भारत वर्ष में पुनः संयुक्त परिवार की प्रवृत्ति बढ़ी है और यदि हम इसे महिलाओं विशेषकर शहरी क्षेत्र में रह रही महिलाओं की कार्यशीलता से जोड़ व इस स्तर पर अध्ययन करें तो यह स्पष्ट होगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुनः संयुक्त परिवार प्रवृत्ति बढ़ने का एक कारण शहरी क्षेत्र की महिलाओं का कार्यक्षेत्र में प्रवेश है ।

(सारणी 20.0)

सारणी (20.0)

<u>कार्यशील महिलाओं के परिवार की प्रवृत्ति -</u>

परिवार प्रकृति वै. स्थिति	एकल	संयुक्त	योग
विवाहित	74 (43.5)	96 (56.5)	170 (100.0)
अविवाहित	30 (54.5)	25 (45.5)	55 (100.0)
योग	104 (46.2)	121 (53.8)	225 (100.0)

कार्यरत महिलाओं के परिवार की आर्थिक स्थिति -

21.0

कार्यशील महिलाओं के परिवार के सदस्यों या उसके परिवार की आय को कुल परिवार के सदस्य की संख्या से विभाजन कर प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इन महिलाओं के परिवार का जीवन स्तर व आर्थिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयत्न किया है । यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जिन परिवारों में कार्यरत महिला व उसके संरक्षक के अतिरिक्त अन्य सदस्य कार्यरत हैं उनकी आय के ब्यौरे का उल्लेख क्योंकि अनुसूची में नहीं किया गया । अतः ऐसी महिलाओं के परिवार की आय ज्ञात न होने के कारण ऐसी महिलाओं का अध्ययन सम्भवतः नहीं हो पाया है ।

यह महिलाएं सामान्य जाति से ही सम्बद्ध हैं । अनुसूचित जाति व जनजाति तथा पिछड़ी जाति की कोई महिला इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आई ।

किसी भी अनुसूचित जाति-जनजाति व पिछड़ी जाति की महिलाओं के परिवार में प्रति व्यक्ति आय 1000 रू से अधिक नहीं पाई गई । अनु-सूचित जाति-जनजाति के परिवारों में दो तिहाई से कुछ अधिक परिवार वह हैं जिनमें प्रति व्यक्ति आय 500रू प्रतिमाह से कम है तथा एक चौथाई से कुछ कम वह परिवार हैं जहाँ प्रति व्यक्ति मासिक आय 500रू -1000रू के मध्य हो । यह सभी परिवार विवाहित कार्यशील महिलाओं के हैं ।

पिछड़ी जाति की 56% महिलाओं के परिवार में प्रति व्यक्ति आय 500रू मासिक से कम है व 44% परिवार में 500रू - 1000रू के मध्य मासिक आय प्रति व्यक्ति है । अविवाहित महिला परिवार पिछड़ी जाति की महिला के परिवार में प्रति व्यक्ति आय 500रू मासिक से कम है ।

सामान्य जाति के परिवार में जहाँ अविवाहित महिलाओं के एक

चौथाई परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 500रू से कम है विवाहित महिला परिवार में 16% परिवारों को प्रति व्यक्ति आय 500रू से कम है । तथा 500 - 1000रू प्रतिमाह सामान्य जाति की विवाहित महिलाओं में पाँचवांस वर्ग है व अविवाहित महिलाओं का 17% भाग इस श्रेणी से सम्बद्ध है । सामान्य जाति की विवाहित महिलाओं का एक तिहाई से कुछ अधिक भाग उन परिवारों का है जहाँ प्रति व्यक्ति आय 1000रू - 2000रू मासिक प्रति व्यक्ति हो व अविवाहित महिलाओं का 18% भाग इस आय वर्ग से सम्बद्ध है ।

जहाँ विवाहित महिलाओं का 15% भाग वह है जहाँ प्रति व्यक्ति मासिक आय 2000रू से अधिक हो । अविवाहित महिलाओं का लगभग 8% भाग इसके अन्तर्गत आता है ।

(सारणी 21.0)

(सारणी 21.0)

कार्यशील विवाहित व अविवाहित महिलाओं के परिवार में प्रति व्यक्ति मासिक आय (रूपये में)

जाति वर्ग अनुसार वर्गीकरण

	मासिक प्रति व्यक्ति आय रू में / जाति	0–500	500 – 1000	1000– 2000	2000–3000	3000+		टोटल
विवाहित महिलाएं	अनु॰ जाति जनजाति	11 (78.6)	3 (21.4)	—	—	—	—	14 (100.0)
	पिछड़ी जाति	5 (55.6)	4 (44.4)	—	—	—	—	9 (100.0)
	सामान्य जाति	24 (16.3)	29 (19.7)	51 (34.7)	19 (12.9)	4 (2.7)	20 (13.6)	147 (100.0)
	योग	40 (23.5)	36 (21.2)	51 (30.0)	19 (11.2)	4 (2.4)	20 (11.7)	170 (100.0)
	अनुजाति जनजाति	—	—	—	—	—	—	—
	पिछड़ी जाति	1 (100.0)	—	—	—	—	—	1 (100.0)

क्रमशः ...

अविवाहित महिलाएं								
	सामान्य जाति	14 (25.[illegible])	9 (16.7)	10 (18.5)	1 (1.9)	—	20 (37.0)	54 (100.0)
	योग	15 (27.3)	9 (16.4)	10 (18.2)	1 (1.8)		20 (36.4)	55 (100.0)
	योग+ योग	55 (24.4)	45 (20.0)	61 (27.1)	20 (8.9)	4 (1.8)	40 (17.8)	225 (100.0)

22.0

कार्यशील महिलाओं की घरेलू व्यय सम्बन्धी निर्णयों में भूमिका -

व्यय प्रक्रिया में भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से कार्यशील महिलाओं की आर्थिक स्थिति को दर्शाती हैं। जब हम प्रतिदर्श में प्राप्त महिलाओं द्वारा स्वतंत्र व्यय प्रक्रिया पर ध्यानाकृष्ट करते हैं तो स्पष्ट होता है कि लगभग 90% महिलाएं वह हैं जो कि स्वतंत्र रूप से धन व्यय करती हैं। जिसमें लगभग 95% महिलाएं घरेलू आवश्यकता पर व्यय करती हैं।

कार्यशील महिलाओं का लगभग दसवांश वह महिला वर्ग है जो कि स्वतंत्र रूप से कुछ भी धन नहीं व्यय करती हैं। स्वतंत्र रूप से धन व्यय करने वाली महिलाओं का एक तिहाई भाग वह है जो कि सौन्दर्य प्रसाधन, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य कलापों व यात्रा पर धन व्यय करती हैं। लगभग 45 प्रतिशत महिलाएं अपना धन सामाजिक स्तर उठाने पर व्यय करती हैं तथा लगभग 60% महिलाएं चिकित्सा व शिक्षा पर धन व्यय करती हैं।

§सारणी 22.2§

जहाँ तक घरेलू व्यय सम्बन्धी निर्णयों में परामर्श व सहमति का प्रश्न है लगभग 67 प्रतिशत में से 77 प्रतिशत महिलाएं वह प्राप्त हुई हैं जिनसे घरेलू व्यय सम्बन्धी निर्णयों में परामर्श व सहमति ली जाती है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जहाँ विवाहित महिलाओं मे लगभग तीन चौथाई महिलाओं से घरेलू व्यय सम्बन्धी निर्णयों में सहमति ली जाती है वहीं अविवाहित महिलाओं का मात्र आधा भाग वह है जिनसे घरेलू व्यय सम्बन्धी निर्णयों में सहमति ली गईत हो।

§सारणी 22.1§

निश्चय ही विवाहित महिलाओं की आर्थिक स्थिति अविवाहित महिलाओं की स्थिति से कहीं अधिक सुदृढ़ है।

सारणी (22.1)

कार्यशील महिलाओं की घरेलू व्यय सम्बन्धी निर्णयों में भूमिका -

	परामर्श लिया गया	परामर्श नहीं लिया	योग	सहमति ली गई	सहमति नहीं ली	योग	स्वतंत्र व्यय करती हैं	स्वतंत्र व्यय नहीं	योग
विवाहित महिलाएं	143 (84.1)	27 (18.8)	170 (100.0)	120 (75.8)	51 (24.1)	170 (100.0)	156 (91.7)	14 (8.2)	170 (100.0)
अविवाहित महिलाएं	81 (56.3)	24 (22.6)	55 (100.0)	22 (40.0)	33 (60)	55 (100.0)	50 (90.9)	5 (9.09)	55 (100.0)
योग	174 (77.3)	51 (22.6)	225 (100.0)	151 (67.1)	74 (32.8)	225 (100.0)	206 (91.5)	19 (8.4)	225 (100.0)

सारणी ﴾ 22.2﴿

कार्यशील महिलाएं स्वयं किन मदों पर धन व्यय करती हैं:-

व्ययमद वै. स्थिति	घरेलू आवश्यकता	चिकित्सा	शिक्षा	सामाजिक स्तर	सौन्दर्य प्रसाधन	सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि	यात्रा
विवाहित 156 ﴾100.0﴿	148 ﴾94.8﴿	99 ﴾63.4﴿	102 ﴾65.3﴿	76 ﴾48.7﴿	50 ﴾32.0﴿	53 ﴾33.9﴿	47 ﴾30.1﴿
अविवाहित 50 ﴾100.0﴿	46 ﴾92.0﴿	24 ﴾48.0﴿	27 ﴾54.0﴿	17 ﴾34.0﴿	8 ﴾16.0﴿	13 ﴾26.0﴿	16 ﴾32.0﴿
योग 206 ﴾100.0﴿	194 ﴾94.1﴿	123 ﴾59.7﴿	129 ﴾62.6﴿	93 ﴾45.1﴿	58 ﴾28.1﴿	66 ﴾32.0﴿	63 ﴾30.5﴿

अनुसूची के अन्तिम भाग में कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयत्न किया है जो महिलाएं सुझाव के रूप में दे सकती हैं । इससे जहाँ एक ओर कार्यशील महिलाओं की जनगणना प्रदर्शित होती है वहीं दूसरी ओर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं को अप्रत्यक्ष रूप में उनकी स्वयं की समस्याएं किस तरह सुलझाई जा सकती है इस सन्दर्भ में विभिन्न विचार ज्ञात होते हैं ।

अनुसूची में वर्तमान समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में प्रश्न पूछने से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी महिला आधुनिक समाज में महिलाओं की स्थिति से पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं है । कुल कार्यशील महिलाओं का दसवाँ भाग वह है जो कि महिलाओं की स्थिति से सन्तुष्ट है और यहाँ विवाहित महिलाओं की संख्या अविवाहित महिलाओं से अधिक है । संतुष्ट महिलाओं की संख्या यहाँ विवाहित महिलाओं की अविवाहित महिलाओं से लगभग दो गुनी है । इन महिलाओं के अनुसार आधुनिक समाज में महिलाओं की स्थिति में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है । व इस रूप में यदि हम तुलनात्मक रूप में देखें तो महिलाएं अब एक सीमा से कहीं हटकर कार्य करने की कोशिश कर रही हैं । व यह सीमा रेखा उनकी घर की परिधि से हटकर है । कुल प्रतिदर्श की महिलाओं में दसवांश से कुछ कम (8.8%) भाग वह है जो कि महिलाओं की स्थिति से किसी भी प्रकार असन्तुष्ट नहीं है । विवाहित पूर्णतः असन्तुष्ट महिलाएं पूर्णतः असन्तुष्ट अविवाहित महिलाओं से कुछ अधिक हैं । या समग्र रूप से हम यह कह सकते हैं कि लगभग 50% महिलाएं वह प्राप्त हुई हैं जो कि महिलाओं की वर्तमान स्थिति से असन्तुष्ट है व यहाँ असन्तुष्ट महिलाओं में विवाहित महिलाओं की संख्या अविवाहित महिलाओं से कहीं अधिक है ।

लगभग 40% महिलाएं वह हैं जो कि महिलाओं की वर्तमान स्थिति से न सन्तुष्ट हैं न असन्तुष्ट अर्थात कुछ आशाजनक स्थिति है । किन्तु वह पर्याप्त नहीं है या महिलाओं का कुछवर्ग वह है जिनकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ है किन्तु अधिकांश महिलाओं की स्थिति आज भी सोचनीय है जहाँ अविवाहित महिलाओं की संख्या विवाहित महिलाओं से अधिक है ।

(सारणी 23.0)

(सारणी 23.0)

महिलाओं की वर्तमान स्थिति से सन्तुष्टि -

सन्तुष्टि वै. स्थिति	सन्तुष्ट	न सन्तुष्ट न असन्तुष्ट	असन्तुष्ट	योग
विवाहित	23 (13.5)	59 (34.7)	88 (51.8)	170 (100.0)
अविवाहित	3 (5.7)	29 (52.7)	13 (23.6)	55 (100.0)
योग	26 (11.1)	88 (39.1)	101 (44.8)	225 (100.0)

कार्यशील महिलाओं (प्रतिदर्श की) ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु पूछे गए उपायों शिक्षा वृद्धि, रोज़गार वृद्धि, सामाजिक

जागरूकता उत्पन्न र, सरकारी उपायों व विभिन्न कानूनी संरक्षण को प्राथमिकता क्रम में दर्शाया जिसके उत्तर कुछ इस प्रकार प्राप्त हुए । महिलाओं ने प्रथम प्राथमिकता शिक्षा को प्रदान की । वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की दशा सुधारने हेतु सर्वाधिक आवश्यक तत्त्व है शिक्षा क्योंकि शिक्षा की कमी न तो उनमें आत्मविश्वास भर सकती है न ही उन्हें अपने अधिकारों से अवगत करा सकती है न ही उनके महत्त्व को पहचानने में सहायक हो सकती है । यद्यपि शिक्षा की महत्ता को विवाहित व अविवाहित दोनों ही प्रकार की कुल 80% महिलाओं ने स्वीकारी है तथापि विवाहित महिलाओं में उन महिलाओं का प्रतिशत अधिक है । अपेक्षाकृत अविवाहित महिलाओं के ।

किन्तु 14% महिलाओं का वह वर्ग भी है जिन्होंने सामाजिक जागरूकता को प्राथमिकता क्रम में प्रथम स्थान प्रदान किया । यह महिलाएं अविवाहित अधिक है अपेक्षाकृत विवाहित महिलाओं के । इन महिलाओं के मतानुसार सामाजिक जागरूकता के बिना महिलाओं की दशा नहीं सुधारी जा सकी क्योंकि सामाजिक दशा में सुधार हेतु शिक्षा से कहीं अधिक आवश्यक उनमें जागरूकता उत्पन्न करना है । क्योंकि शिक्षित महिलाएं जो कि जागरूक नहीं हैं वह आज भी यातना का शिकार हैं ।

प्राथमिक क्रम में दूसरा स्थान लगभग 50% महिलाओं ने सामाजिक जागरूकता को प्रदान किया । जिसमें विवाहित महिलाओं की 54% महिलाएं इस क्रम में आती हैं । अविवाहित महिलाओं की 45% महिलाएं वह हैं जिन्होंने सामाजिक जागरूकता को द्वितीय स्थान प्रदान किया ।

प्रतिदर्श की महिलाओं का चौथा भाग वह है जो कि द्वितीय स्थान में रोज़गार को महत्त्व देता है ।

सारणी §24.0§

कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि अनुसूची के आधार पर इन विभिन्न विधियों द्वारा महिलाओं की दशा §शिक्षा, रोजगार, कानूनी संरक्षण, सरकारी प्रयास, सामाजिक जागरूकता§ सुधारेन हेतु पूछे गए प्रश्नों के जवाब के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है । महिलाओं की दशा सुधारने हेतु सर्वावश्यक तत्व है शिक्षा तत्पश्चात उनमें जागरूकता उत्पन्न करना । जिससे वह योग्यतानुसार रोजगार हेतु उन्मुख होंगी व तत्पश्चात् सरकार अपने विभिन्न नियमों द्वारा उन्हे कानूनी संरक्षण प्रदान कर उन्हें भय मुक्त कर अपने विभिन्न प्रयासों द्वारा उनकी दशा में यथावश्यक सुधार कर सकती है ।

§ सारणी 24.0 §

शिक्षा, रोजगार, सामाजिक जागरूकता, सरकारी प्रयास व कानूनी संरक्षण का प्राथमिकता क्रम में प्रदर्शन :-

मिकता	वै. स्थिति	शिक्षा	रोजगार	सा.जागरूकता	सरकारी प्रयास	कानूनी संरक्षण	योग	असम्बद्ध
	विवाहित	140	1	21	5	3	170	-
		§82.4§	§1.4§	§12.4§	§2.9§	§1.8§	§100.0§	
	अविवाहित	42	-	11	2	-	55	-
		§76.4§	§	§20.0§	§3.6§	§	§100.0§	
	योग	182	1	32	7	3	225	-
		§80.9§	§.4§	§14.2§	§3.1§	§1.3§	§100.0§	

क्रमशः ...

विवाहित	23	43	92	7	5	170	-
	§13.5§	§23.3§	§54.1§	§4.1§	§2.9§	§100.0§	
अविवाहित	12	16	25	2	-	55	-
	§21.8§	§29.1§	§45.5§	§3.6§		§100.0§	
योग	35	59	117	9	5	225	-
	§15.5§	§26.2§	§52.0§	§4.0§	§2.2§	§100.0§	
विवाहित	5	81	23	22	39	170	-
	§2.9§	§47.6§	§13.5§	§12.9§	§22.9§	§100.0§	
अविवाहित	1	27	8	8	11	55	-
	§1.8§	§49.1§	§14.5§	§14.5§	§20.0§	§100.0§	
योग	6	108	31	30	50	225	
	§2.7§	§48.0§	§13.8§	§13.3§	§22.2§	§100.0§	
विवाहित	1	18	22	58	69	169	-
	§.6§	§10.6§	§13.0§	§34.3§	§40.8§	§100.0§	.6§
अविवाहित	-	12	8	11	24	55	-
		§21.8§	§14.5§	§20.0§	§43.6§	§100.0§	
योग	2	30	30	69	93	224	1
	§.9§	§13.4§	§13.4§	§30.8§	§41.5§	§100.0§	.4§
विवाहित	-	30	10	76	53	169	1
	§	§17.7§	§5.9§	§45.0§	§31.4§	§100.0§	.6§
अविवाहित	-	-	3	32	20	55	=
			§5.4§	§58.2§	§36.4§	§100.0§	
योग	-	30	13	108	73	225	1
		§13.4§	§5.8§	§48.2§	§32.6§	§100.0§	.4§

कार्यशील महिलाओं के विचार - महिलाओं की दशा सुधारने के सन्दर्भ में -

कार्यशील महिलाओं से जब महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु उपायों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण उपायों से अवगत कराया। कुल मिलाकर उनके जवाब कुछ इस प्रकार आए जिसके अनुसार महिलाओं को अपनी दशा सुधारने हेतु सर्वावश्यक तत्व है आत्म निर्भर होना व परिस्थिति से निपटने हेतु क्षमता उत्पन्न करना। प्रत्येक महिला ने तीन या उससे कुछ कम सुझाव प्रदान किए। ये सुझाव हैं। आत्म निर्भर होना, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उनकी दशा में सुधार हेतु प्रयत्न करना, परिवार के सदस्यों व समाज का सहयोग अपेक्षित होना, महिलाओं में संघर्ष क्षमता होना क्यों कि महिलाओं को पग पग पर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अतः उन्हें हार नहीं मानना चाहिए।

महिलाओं हेतु अलग न्यायालय की व्यवस्था कर उन पर होने वाले अत्याचारों को कम किया जा सकता है। जहाँ सामान्य न्यायालयों से कहीं हटकर नियमों का पालन किया जाए।

महिलाओं को जागरूक कर उनके आत्मविश्वास व सम्मान को जगाकर उन्हें उनके सीमित दायरे से कहीं अधिक ज्ञान भर।

महिलाओं को शिक्षित कर व कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उनके हुनर को उभारने का प्रयत्न करने से दो महत्वपूर्ण परिणाम सामने आयेंगे। प्रथम जहाँ वह महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने में सहायक होगा वहीं मानव संसाधन पूँजी का सदुपयोग होने से देश को भी लाभ होगा।

किन्तु इन समस्त तर्कों में सर्वमहत्वपूर्ण तर्क है महिलाओं को शिक्षित करना, क्योंकि आज भी महिलाओं का एक वृहत् हिस्सा अशिक्षित है व यही उनकी दुर्दशा का प्रमुख कारण है जो उन्हें अपनी असहाय अव्यवस्था से

यह प्रश्न पूछने पर कि क्या सरकार महिलाओं की दशा सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है । लगभग 90% महिलाओं को सरकार और पर उठाए गए कदमों में विश्वास है या जो यह समझती हैं कि सरकार महिलाओं की स्थिति सुधारने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

सारणी §26.0§

क्या सरकार महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है-

वै. स्थिति	हाँ	नहीं	योग
विवाहित	156 §91.7§	14 § 8.2 §	170 §100.0§
अविवाहित	49 §91.7§	6 §8.2§	55 §1.0.0§
योग	205 §91.2§	20 §8.8§	225 §100.0§

यह पूछने पर कि सरकार किस प्रकार महिलाओं के उत्थान पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है । महिलाओं ने मुख्य रूप से कार्यशील महिलाओं हेतु छात्रावास व शिशु गृह सुविधा की मांग की है महिलाओं को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना व शिक्षित करना तथा महिलाओं में व्याप्त अज्ञानता व पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उन्हें

जागरूक बनाना व इसके लिए विभिन्न माध्यमों के विज्ञापन पर जोर दिया गया साथ ही महिलाओं को कानूनी संरक्षण प्रदान करना व सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया । कुछ महिलाओं ने सामाजिक स्थिति पर सुधार लाने हेतु उपायों पर बल दिया जिसमें दहेज की स्थिति पर सुधार लाने को बल दिया तथा शव दाह क्रिया में महिलाओं को हक की भी बात की ।

महिलाओं हेतु विशेष सुरक्षा व्यवस्था की माँग करने वाली महिलाओं ने जहाँ प्रशासनिक व्यवस्था में इस हेतु योगदान की माँग की वहीं दूसरी ओर प्रारम्भिक शिक्षा से ही आत्म सुरक्षा के विषय की आवश्यकता पर भी बल दिया और इसे अनिवार्य विषय के रूप में रखने की बात की ।

इस तथ्य के पीछे मुख्य कारण यह था कि बालिकाओं की असुरक्षा कई मामलों में माता - पिता द्वारा प्रतिबन्ध लगाने का मुख्य कारण रहा है और यदि इस प्रकार समाज में महिलाओं के विरूद्ध होने वाले व्यवहार पर रोक लगाई जाए तो यह निश्चय ही महिलाओं की दशा सुधारने में सार्थक भूमिका निभाएगा ।

कुल मिलाकर महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनाने हेतु शिक्षा व व्यवसायिक प्रशिक्षण व महिला सुरक्षा को महिलाओं की दशा सुधारने हेतु आवश्यक बताया ।

महिलाओं द्वारा दिये गए सुझावों का क्रमबद्ध विवरण इस प्रकार है ।

(सारणी 26.1)

महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु सरकार को सुझाव :-

		होस्टल व क्रेश सुविधा	व्यवसायिक प्रशिक्षण	शिक्षा	विभिन्न माध्यम से जागरूकता	कानूनी संरक्षण	महिला सुरक्षा	रोजगार आरक्षण	अन्य	एन.ए.	एन.ए.	योग
प्रथम पुत्रमिक	विवाहित	9 (5.2)	4 (2.3)	94 (5.5)	13 (7.6)	19 (11.0)	8 (4.4)	5 (2.9	1 (0.5)	14 (8.2)	3 (1.7)	170 (100.0)
	अविवाहित	5 (0.9)	1 (1.8)	18 (32.7)	11 (20.0)	12 (21.0)	–	–	–	6 (10.9)	2 (3.6)	55 (100.0)
	योग	14 (6.2)	15 (2.2)	112 (49.7)	24 (10.7)	31 (13.7)	8 (3.5)	5 (2.2)	1 (0.4)	20 (8.8)	5 (2.2)	225 (100.0)
द्वितीय पुत्रमिक	विवाहित	2 (1.1)	55 (32.2)	5 (2.9)	16 (9.4)	29 (17.0)	23 (13.5)	18 (10.[illegible])	–	15 (8.8)	7 (4.1)	170 (100.0)
	अविवाहित	–	11 (20.0)	– ( )	2 (3.6)	15 (27.2)	18 (32.7)	1 (10.9)	–	6 (10.9)	2 (3.6)	55 (100.0)
	योग	2 (0.8)	66 (29.3)	5 (2.2)	18 (8.0)	44 (19.5)	41 (18.2)	19 (8.4)	–	21 (9.3)	9 (4.0)	225 (100.0)
तृतीय पुत्रमिक	विवाहित	1 (.5)	4 (2.[illegible])	1 (0.5)	16 (9.4)	14 (8.2)	40 (23.5)	26 (15.2)	40 (23.5)	18 (10.5)	12 (7.0)	170 (100.0)
	अविवाहित	4 (7.2)	–	–	8 (14.5)	7 (12.7)	18 (32.7)	3 (5.4)	7 (12.7)	6 (10.9)	2 (3.6)	55 (100.0)
	योग	5 (2.2)	4 (1.7)	1 (0.4)	24 (10.6)	21 (9.3)	58 (25.7)	29 (12.8)	47 (20.8)	24 (10.6)	14 (6.2)	225 (100.0)

सरकारी नौकरी में आरक्षण के सम्बन्ध में महिलाओं के विचार -

महिलाओं के विभिन्न विचारों पर झाँकने में आरक्षण के पहलू पर भी उनके विचारों को ज्ञात करने की कोशिश की। आरक्षण पर सामान्य विचार के संदर्भ में एक चौथाई भाग महिलाओं का वह प्राप्त हुआ जो कि सरकारी नौकरी में आरक्षण के पक्ष में हैं व शेष तीन चौथाई भाग महिलाओं का वह प्राप्त हुआ है जो कि आरक्षण व्यवस्था के विरूद्ध हैं।

सारणी §27.1§

सरकारी नौकरी में आरक्षण के संदर्भ में महिलाओं के विचार :

	पक्ष	विपक्ष	योग
विवाहित	42 §24.7§	128 §75.3§	170 §100.0§
अविवाहित	11 §20.0§	44 §80.0§	55 §100.0§
योग	53 §23.6§	172 §76.4§	225 §100.0§

किन्तु सरकारी नौकरी में आरक्षण के संदर्भ में जब हम महिलाओं हेतु आरक्षण की बात करते हैं तो 60% महिलाएं सरकारी नौकरी

में महिलाओं के आरक्षण की माँग करती है ।

§सारणी 27.2§

सारणी §27.2§

महिलाओं हेतु आरक्षण के संदर्भ में विचार :-

	पक्ष	विपक्ष	योग
विवाहित	105 §61.8§	65 §38.2§	170 §100.0§
अविवाहित	29 §52.7§	26 §47.3§	55 §100.0§
योग	134 §29.6§	91 §40.4§	225 §100.0§

27.3

जिन महिलाओं ने महिलाओं हेतु आरक्षण के विपक्ष में मत दिया उनका कहना था कि समानता हेतु किसी भी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है । जरूरत महिलाओं को सशक्त बनाने की है न कि उन्हें आरक्षण देने की ।

जिन महिलाओं ने महिला आरक्षण के पक्ष में विचार व्यक्त किया उन्होंने अपने मत के संदर्भ में निम्न तर्क दिए कि महिलाओं को

आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी बनाने हेतु आरक्षण आवश्यक है ।

महिलाओं को शोषण से मुक्त करने के लिए आरक्षण आवश्यक असहाय विधवा व तलाक शुदा महिलाओं के जीवन निर्वाह हेतु नौकरी में आरक्षण की आवश्यकता व एक अन्य तर्क महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण आवश्यक है । पर सर्वाधिक महिलाओं ने आत्म निर्भरता के लिए आरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया ।

(सारणी 27.3)

सारणी (27.3)

महिलाओं के लिए आरक्षण सम्बन्धी पक्ष -विपक्ष में मत के कारण :

	विपक्ष में	पक्ष में					
	समानता के लिए आरक्षण आवश्यक नहीं	महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु	आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने	शोषण से मुक्ति	विधवा व तलाक शुदा	महिलाएं पिछड़ी अवस्था में	योग
वि.महि.	65 (38.2)	50 (29.4)	19 (11.2)	15 (8.8)	8 (4.7)	13 (7.6)	170 (100.0)
अवि.महि	26 (47.3)	11 (20.0)	8 (14.5)	5 (9.1)	1 (1.8)	4 (7.3)	55 (100.0)
टोटल	91 (40.4)	61 (27.1)	27 (120)	20 (8.9)	9 (4.0)	17 (7.5)	225 (100)

जाति व आर्थिक दोनों के नाप तौल को आरक्षण हेतु उचित बताया ।

§सारणी 27.5§

§ सारणी 27.5 §

<u>सरकारी नौकरी में आरक्षण का आधार -</u>

	केवल आर्थिक	केवल जाति	जाति व आर्थिक	जाति आर्थिक व अन्य	योग्यता	योग	एन.आर	योग
शिक्षित	80 §47.0§	2 §1.1§	15 §8.8§	10 §5.8§	61 §35.8§	168 §98.8§	2 § §	170 §100.0§
अशि.	37 §67.2§	1 §1.8§	4 §7.2§	2 §3.6§	11 §20.0§	55 §100.0§	0	55 §100.0§
योग	117 §52.0§	3 §1.3§	19 §8.4§	12 §5.3§	72 §32.0§	223 §99.1§	2 §99.0§	225 100.0

विश्लेषण - सार व प्रमुख निष्कर्ष

प्रतिदर्श स्वरूप- प्रदत्त 225 व महिलाओं के प्रतिदर्श के प्रतिदर्श में तीन चौथाई महिलाएँ विवाहित है व एक चौथाई महिलाएँ अविवाहित है ।

प्रदत्त प्रतिदर्श में 85 प्रतिशत महिलाएँ हिन्दू, 10 प्रतिशत महिलाएँ मुस्लिम तथा शेष 5 प्रतिशत महिलाएँ अन्य धर्म से सम्बद्ध है ।

प्रतिदर्श का 86.5 प्रतिशत जनसंख्या सामान्य जाति 8.2 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति/जनजाति की तथा 5.3 प्रतिशत पिछड़ी जाति की हैं ।

प्रतिदर्श की 7 प्रतिशत महिलाएँ निम्न आय वर्ग की, 59 प्रतिशत महिलाएँ मध्यम आय वर्ग की तथा 34 प्रतिशत महिलाएँ उच्च आय वर्ग से सम्बद्ध हैं । xx

प्रदत्त प्रतिदर्श में अविवाहित कार्यशील महिलाएँ विवाहित महिलाओं की अपेक्षा अधिक शिक्षित व जागरूक हैं । सामान्य जाति की महिलाएँ अ०जाति /जनजाति व पिछड़ी जाति की महिलाओं के अपेक्षा कृत अधिक शिक्षित व जागरू जागरूक हैं ।

शिक्षा आय व व्यवसाय में अन्योयाश्रित सहसम्बन्ध होने के कारण क्योंकि अधिकि शिक्षित महिलाएँ अधिक कुशल हैं अतः उनकी आय का स्तर अधिक है ।

ठीक यही स्थिति परिवार के आकार के रूप में भी सामने आई है । अधिक शिक्षित उच्च आयवर्गीय व उच्च पद वर्गीय महिलाओं के बच्चों की संख्या जहाँ 0-2 के मध्य है वही निम्न आय वर्गीय अल्प शिक्षित महिलाओं के बच्चों की संख्या 0-9 तक भी रही है ।

---

xx निम्न आय वर्ग-0-1000 रु0 मासिक आय अर्जित महिलाएँ
मध्यम आय वर्ग-1000-3000 रु0 मासिक आय अर्जित महिलाएँ
उच्च आय वर्ग -3000 रुपये अधिक मासिक आय अर्जित महिलाएँ ।

कार्य करने के कारण   विवाहित महिलाओं में उन महिलाओं की संख्या अधिक है जो कि आर्थिक दबाव वश कार्य करती हैं - अपेक्षाकृत अविवाहित महिलाओं के । अनुसूचित जाति /जनजाति व पिछड़ी जाति की लगभग 20 प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक दबाव वश कार्य करती हैं ।

जहाँ विवाहित महिलाओं का कार्य से जुड़े रहने का प्रमुख कारण आर्थिक आवश्यकता व जीवन स्तर ऊँचा करना है वहीं अविवाहित महिलाओं के कार्य करने का प्रमुख कारण आत्मनिर्भर होना व योग्यता का उपयोग करना है ।

वर्तमान व्यवसाय हेतु संघर्ष-   कुल प्रतिदर्श की लगभग आधी महिलाओं में व्यवसाय प्राप्ति हेतु संघर्ष को महत्व दिया है जहाँ अविवाहित महिलाओं में प्रतियोगिता को संघर्ष का प्रमुख कारण माना है वहीं विवाहित महिलाओं ने सामाजिक व पारिवारिक प्रतिबन्ध तथा शिक्षा सम्बन्धी कठिनाईयों को व्यवसाय प्राप्ति हेतु संघर्ष का कारण माना है । अनु0जाति/जनजाति व पिछड़ी जाति की महिलाओं में संघर्ष को कोई महत्ता नहीं प्रदान की है ।

वर्तमान व्यवसाय से सन्तुष्टि-   कुल प्रतिदर्श की लगभग आधी महिलाएँ वह प्राप्त हुई जो कि अपने वर्तमान व्यवसाय से पूर्णतः असन्तुष्ट हैं जिसमें अविवाहित महिलाओं की संख्या विवाहित महिलाओं से कहीं अधिक है । जहाँ अविवाहित महिलाओं में असन्तुष्टि का प्रमुख कारण योग्यतानुसार कार्य का न होना समय का अनुकूल न होना तथा रुचि अनुसार कार्य का न होना है वहीं विवाहित महिलाओं में असन्तुष्टि का मुख्य कारण दोहरा कार्य भार व कार्य स्थल का घर से दूर होना है ।

समग्र रूप से यदि हम महिलाओं की असन्तुष्टि के कारणों पर विचार करते हैं तो स्पष्ट होता है कि जहाँ एक तिहाई महिलाओं की असन्तुष्टि का मुख्य कारण दोहरा कार्य भार व कार्यस्थल का घर से दूर होना है । वहीं एक तिहाई से कुछ कम महिलाओं की असन्तुष्टि का कारण अपर्याप्त आय व योग्यतानुसार कार्य का न होना है । 20 प्रतिशत असन्तुष्ट महिलाओं के सहयोग न मिलने को असन्तुष्टि का कारण माना है तथा 10-15 प्रतिशत महिलाओं ., ने रूचि अनुसार कार्य का न होना, पारिवारिक सहयोग का न होना व समय के सुविधाजनक न होने को असन्तुष्टि का कारण माना है । असन्तुष्ट महिलाओं मे व्यवसायानुसार वितरण कुछ इस प्रकार हैं ।
तकनीकि क्षेत्र की लगभग 50 प्रतिशत महिलाएँ असन्तुष्ट हैं । सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत महिलाएँ अधिक असन्तुष्ट है ।

कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष जो सर्वेक्षण अध्ययन से स्पष्ट होते हैं वह यह है :--

---विवाहित महिलाओं में 60 प्रतिशत महिलाएँ विवाह के 1-20 वर्ष पश्चात् कार्यरत हुई हैं जिनकी कार्यशीलता का कारण उनका विधवा होना है ।

---कार्यशील महिलाओं में संयुक्त परिवारों की संख्या अधिक है अपेक्षाकृत एकल परिवार के । निश्चय ही रोजगारोन्मुख महिलाओं की प्रवृत्ति पुनः शहरी-क्षेत्र में संयुक्त परिवार प्रथा को बढ़ावा दे रही है ।

---कुल विवाहित महिलाओं में औसत बच्चों की संख्या दो है ।

1/10 महिलाओं के बच्चे नहीं है।
3/4 महिलाओं के एक से तीन बच्चे हैं ।
1/10 महिलाओं के चार बच्चे हैं ।
1/5 महिलाओं के पाँच से अधिक बच्चे हैं ।

कार्यशील महिलाओं की घरेलू कार्यों में सहभागिता

- कुल कार्यशील महिलाओं में 3/4 महिलाएँ समस्त कार्य स्वतः करती हैं जबकि 1/4 महिलाओं को नौकर का सहयोग प्राप्त होता है ।

- स्वतः कार्य करने वाली महिलाओं में 75% महिलाओं को पारिवारिक सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है निश्चय ही कुल कार्यशील महिलाओं में 60% महिलाएँ पूर्णतः दोहरे कार्यभार से त्रस्त हैं जिन्हें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं प्राप्त है ।

- घरेलू कार्यों में जिन कार्यों का वहन कार्यशील महिलाओं को अकेले करना पड़ता है उनमें प्रमुख है खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, कपड़ा धोना व घर की सफाई । स्पष्टतः घर के महत्वपूर्ण व आवश्यक कार्यों में पारिवारिक सहयोग लगभग शून्य है तथा 75-80% महिलाएँ पूर्णतः इन कार्यभार से पीड़ित हैं व इन महत्वपूर्ण कार्य हेतु न तो उन्हें सेवकों का सहयोग प्राप्त होता है व न ही पारिवारिक सदस्यों का ही सहयोग प्राप्त होता है ।

- पारिवारिक सदस्यों का सर्वाधिक सहयोग बाजार के कार्य हेतु प्राप्त होता है । प्रतिदर्श की एक तिहाई महिलाओं को इस कार्य हेतु पारिवारिक सहयोग प्राप्त होता है ।

- नौकर की सेवा सर्वाधिक बर्तन साफ करने हेतु लेती है किन्तु यहाँ भी 43% महिलाएँ ही इस सेवा का लाभ उठाती है । शेष 57% महिलाएँ यह कार्य या तो स्वयं करतीं है या पारिवारिक सहयोग से ।

- जहाँ तक सिलाई/बुनाई जैसे कार्यों का प्रश्न है लगभग 60% महिलाएं बजार से ही करवातीं है तथा शेष 40% महिलाएँ इन कार्यों का भी वहन

स्वयं ही करती है ।

- आचार सास् बनाने जैसे कार्य कुछ परिवारों में उपयोग न होने के कारण यद्यपि नहीं बनते हैं किन्तु जिन परिवारों में यह कार्य होता है वहाँ महिलाएँ स्वतः इस कार्य को करती हैं ।

यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पारिवारिक सहयोग अधिक शिक्षित मध्यम आय वर्ग की सामान्य जाति की महिलाओं को ही प्राप्त होता है । कम शिक्षित अनु. जाति/जनजाति व पिछड़ी जाति की निम्न आय वर्गीय महिलाएं सर्वाधिक दोहरे कार्य भार से पीड़ित हैं जिन्हें न तो पारिवारिक सहयोग ही मिलता है न ही सेवकों का लाभ ।

सरकारी नौकरियों में आरक्षण के संदर्भ में महिलाओं के विचार

जहाँ तक सरकारी नौकरियों में आरक्षण के संदर्भ में महिलाओं के विचारों का प्रश्न है 75% महिलाएँ इस व्यवस्था के विरूद्ध हैं जबकि 25% महिलाएँ पक्ष में हैं उनके अनुसार आरक्षण आवश्यक है पर जाति के आधार पर न होकर आर्थिक व्यवस्था का मापदण्ड कहीं अधिक उचित है ।

जबकि महिलाओं हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रश्न है 60% महिलाएँ पक्ष में हैं व शेष 40% महिलाएँ विपक्ष में है ।

- विपक्ष की महिलाओं का मत है कि समानता के प्रश्न पर आरक्षण का सवाल नहीं है आवश्यकता महिलाओं को शिक्षित करने व जागृत करने की है वह किसी वैशाखी के सहारे की मोहताज नहीं है क्योंकि उसमें बौद्धिक क्षमता का अभाव नहीं वरन् समानता के अभाव हैं ।
- जिन महिलाओं ने पक्ष में मत व्यक्त किए उनके अनुसार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु, शोषण से मुक्त करने हेतु तथा पिछड़ी अवस्था से उबारने हेतु आरक्षण आवश्यक है ।
- कुछ महिलाओं ने तलाकशुदा या विधवाओं को आर्थिक आवश्यकता वश व्यवसाय क्षेत्र में प्रवेश हेतु आरक्षण को आवश्यक माना है क्योंकि इन महिलाओं को तीव्र आर्थिक आवश्यकता वश ही आत्म निर्भर होने की आवश्यकता महसूस होती है । अतः आयु सीमा में छूट व कोटा द्वारा इन्हें आत्म निर्भर बनाने में मदद आवश्यक है ।

आधुनिक समाज में नारी की स्थिति के संदर्भ में महिलाओं के विचार-

कोई भी महिला आधुनिक समाज में नारी की स्थिति से पूर्णता सन्तुष्ट नहीं है ।

यद्यपि 40% महिलाएँ कुछ हद तक सन्तुष्ट हैं व उसकी संतुष्टि का कारण पहले से बेहतर महिलाओं की स्थिति का होना है ।

जहाँ तक महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु महिलाओं के विचारों का प्रश्न है । महिलाओं ने औसत रूप से शिक्षा को प्रथम स्थान दिया है । सामाजिक जागरूकता को द्वितीय स्थान दिया है, कानूनी संरक्षण को तृतीय स्थान तथा सरकारी प्रयास को चतुर्थ स्थान दिया है । निश्चय ही महिलाओं को शिक्षित कर उन्हें जागरूक बनाकर तथा कानूनी संरक्षण प्रदान कर विभिन्न सरकारी प्रयासों द्वारा इनकी स्थिति में सुधार लाया जा सकता है ।

महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु अन्य सुझाव थे ।

- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना महिलाओं की दशा में सुधार हेतु आवश्यक है ।
- स्वैच्छिक संगठनों का विकास महिलाओं की शोषणात्मक अवस्था से उन्हें मुक्त कराने में सक्षम है ।
- महिलाओं की दशा में सुधार हेतु परिवार व समाज का सहयोग आवश्यक है ।
- महिलाओं को अग्रसर होने हेतु उनमें संघर्ष क्षमता का विकास अत्यावश्यक है ।
- महिलाओं हेतु अलग न्यायालय व्यवस्था सरकारी कानूनों व नियमों से लाभान्वित करने हेतु अत्यावश्यक है ।

- महिलाओं की अवस्था में सुधार मात्र उन्हें जागरूक कर ही किया जा सकता है जिसमें मीडिया का सहयोग अपेक्षित है। जो उन्हें कानूनी जानकारी तथा उन्हें अनेक अधिकारों से अवगत कराए।
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आज आवश्यकता मात्र शिक्षित करने की ही नहीं वरन् उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण देने की है।
- छात्रावास व शिशु गृह सुविधा तथा समुचित परिवहन व्यवस्था की भी महिलाओं ने माँग की है।
- कुछ महिलाओं ने शवदाह प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को आवश्यक माना है जो बेटे-बेटी के मध्य विभेद को दूर करने में सहायक होगा जिसके अनुसार पुत्र ही मोक्ष दिला सकता है।
- महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की भी माँग की है।
- कुछ महिलाओं ने शैक्षणिक संस्थानों के विकास द्वारा महिलाओं को इस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने पर बल दिया है।
- तथा कुछ ने महिलाओं की कला में निखार कर उन्हें व्यवसायिक दर्जा देने हेतु तथा इस क्षेत्र के घरेलू उद्योगों के विकास को जरूरी बताया है।

आधुनिक परिप्रेक्ष में पुन: हमने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि विकास के इतिहास में चन्द महिलाओं ने राजनीति शिक्षा व तकनीकी विकास में पूर्णत: सहयोग दिया है, पर महिलाओं को पुरूषों के समक्ष लाभ नहीं प्राप्त हुआ है, भारत भी इसका एक अपवाद है[1]। पुन:श्च यह एक निर्विवाद सच है कि हमारा समाज तब तक पिछड़ा रहेगा जब तक हम महिलाओं का सर्वांगीण विकास नहीं कर लेते। जैसा कि निम्न वक्तव्य से स्पष्ट है:- "The Process of Development could not be acclerated in the thirld world because nearly half the Population consisting of women had no access to the process of Development and their problems was not taken care of."

निश्चय ही राष्ट्रीय विकास महिलाओं के सर्वांगीण विकास द्वारा सम्भव है। अन्तत: महिलाओं की समाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु मैं कुछ सुझावों को पटल पर उल्लेखित करना चाहूंगी।

महिला विकास व उनकी समस्याओं पर विचार करने से समग्र रूप से जो सुझाव हमारे अर्न्तमन में प्रस्फुटित होते हैं, उनमें से प्रमुख हैं-शिक्षा, कानूनी सुरक्षा, सामाजिक चेतना व आत्मनिर्भता जो प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की सामाजार्थिक स्थिति में सुधार लाने में सक्षम हैं।

जहाँ तक हम महिलाओं की स्थिति सुधारने के सन्दर्भ में चर्चा करते हैं हम महिलाओं को तीन वर्गों में विभक्त कर उनकी समस्याओं का अध्ययन कर सुझाव देना चाहेंगे।

1. सामान्य महिला वर्ग।
2. असंगठित क्षेत्र से सम्बद्ध कार्यशील महिला वर्ग।
3. संगठित क्षेत्र से सम्बद्ध कार्यशील महिला वर्ग।

कुछेक समस्याएँ इन महिलाओं में सामान्य हैं व कुछेक विशिष्ट समस्याएँ हैं।

---

1. Sue Ellen M.Chariton-"Women in the therld world Development." westview press/Boulder and London 1984 PP. 216.
2. Sushila Agrawal-" Status of Women" Print well Publication Jaipur 1988 Page IX-X

जहां तक सामान्य महिलाओं की समस्याओं पर हमारा ध्यान आकृष्ट होता है यह महिलाएं पूर्णतः सामाजिक शोषण व उत्पीड़न का शिकार हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है न ही इन महिलाओं के कार्यों का कोई आंकलन है और न ही इन्हें किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ ही प्राप्त है। इस वर्ग की शिक्षित व अशिक्षित महिलाएं समान रूप से प्रभावित हैं । इस महिला वर्ग में कुछ भाग व अंश उन महिलाओं का है जो शिक्षित हैं व जिन्हें कुछ हद तक व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त है पर उसकी योग्यता तत्परता व क्षमता पूर्णतः शादी के बन्धन में बंध जाती है । इस महिला वर्ग का अस्तित्व शून्य रह जाता है उसका मूल्य घर की देखभाल करने वाली एक नौकरानी से अधिक कुछ भी नहीं रहता है। अतः आवश्यकता है राष्ट्र की इस योग्य मानवशक्ति की प्रतिभा से देश को लाभान्वित करने की जिसके लिए कुछ सरकारी सूझ-बूझ व सामाजिक परिदृश्य में बदलाव आवश्यक है ।

असंगठित कार्यक्षेत्र से सम्बद्ध महिलाओं का अधिकांश भाग अशिक्षित है अतः उनकी कार्य दशा निम्न फलतः आर्थिक व सामाजिक अवस्था निम्न स्तरीय है, क्योंकि यह महिलाओं वर्ग तीव्र आर्थिक आवश्यकता के कारणवश कार्य करता है अतः समुचित प्रतिफल की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। निश्चय ही यह महिला वर्ग आर्थिक व सामाजिक दोनों ही रूपों में पिछड़ा है। जहां तक इस वर्ग की मजदूर महिलाओं के समक्ष समस्या अकुशल श्रम के कारण व शारीरिक दुर्बलता को समक्ष रखकर कम कुशल कार्य प्रदान किए जाते हैं अतः कम पारिश्रमिक व निम्न आर्थिक स्तर की समस्या इन महिलाओं में परिलक्षित होती है अतः इस वर्ग की महिलाओं के लिए आवश्यक है श्रम कुशलता में वृद्धि निपुणता व संगठन। जिससे इन्हें शोषण से मुक्त किया जाए ।

असंगठित क्षेत्र से सम्बद्ध उद्यमी वर्ग में जहां पर्याप्त ज्ञान व शिक्षा की कमी के कारण आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता वहीं सम्पत्ति में उनका अधिकार न होने के कारण उन्हें ऋण प्राप्त करने में नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । यद्यपि इस ओर सरकार ने ध्यानाकृष्ट किया है पर परियोजना क्रियान्वयन में कुछ महिलाओं की अज्ञानतावश व कुछ सरकारी योजना के पर्याप्त क्रियान्वयन के अभाववश इसका पर्याप्त लाभ महिलाओं को नहीं प्राप्त होता है सरकारी कर्मचारी मात्र खानापूर्ति के रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्यशाला आयोजित करते हैं अतः आवश्यकता जहां सरकारी तंत्र के कुशल व सुचारु रूप से क्रियान्वयन की है वहीं प्रचार व प्रसार की भी आवश्यकता है जिससे महिलाओं को इन प्रशिक्षण कार्यक्रम का ज्ञान प्राप्त हो व वह अपनी कुशलता व विपणन व्यवस्था में

र कर सकें। पर्याप्त ऋण व्यवस्था हेतु सहकारी संगठन के निर्माण की भी जरूरत है विपणन व्यवस्था के आधार पर ऋण की भरपाई कर सके व पुन: कच्चे माल हेतु ऋण उपलब्ध करा सके।

असंगठित क्षेत्र से सम्बद्ध शिक्षित कार्यशील महिला वर्ग में जो कि महिला मजदूर कृषि श्रमिक या उद्यमी न होकर शहरों में छोटी नौकरियों से सम्बद्ध हैं। आज आधुनिक परिवेश में लगभग सभी बड़े शहरों में प्रशिक्षित शिक्षिकाओं का एक बड़ा वर्ग कार्यरत है जिन्हें आर्थिक लाभ के नाम पर सिवाय जेब खर्च के अधिक कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। यद्यपि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कुछ वर्ग शुल्क के नाम पर तो बालकों से पर्याप्त धन प्राप्त करते हैं पर शिक्षिकाओं को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं प्राप्त होती है। निश्चय ही यह परिदृश्य इस व्यवस्था का प्रतिबिम्ब है कि शिक्षित जागरूक महिला का आर्थिक शोषण कायम है। इस हेतु सरकार को जहां एक ओर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत उन्हें पर्याप्त आय प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय आय का कम से कम 10% भाग शिक्षण व्यवस्था के विकास हेतु व्यय करना चाहिए। जिससे देश के भावी नागरिक बंद कमरों में दम घोंटू वातावरण में शिक्षा न प्राप्त कर स्वच्छ वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। जहाँ उनका शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। अत: आज आवश्यकता जहाँ विद्यालयों के विकास की है वहीं अर्थलोलुप इन शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की भी आवश्यकता है। यह स्पष्ट है कि शिक्षण व्यवस्था हेतु श्रम उपलब्ध है पर उसका नियोजन सही नहीं है। अत: इस हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करना अत्यावश्यक है।

असंगठित कार्यक्षेत्र से सम्बद्ध महिलाओं में यद्यपि अधिकांश वर्ग शिक्षित है, आत्मनिर्भर है, समानता के अधिकार से युक्त है। तथापि यह वर्ग सामाजिक प्रताड़ना से ग्रस्त है। यह वर्ग घर व दफ्तर में द्वैध कार्यभार का बोझ उठाते हुए शारीरिक व मानसिक तनावों से ग्रस्त है। असंगठित कार्यशील महिला वर्ग की दो तिहाई महिलाएं पूर्णत: दोहरे कार्यभार से ग्रस्त हैं।[3]

---

3. प्रीति मिश्रा व डा. प्रहलाद कुमार "कार्यशील महिलाओं के घरेलू कार्यों का आंकलन" भारतीय आर्थिक शोध संस्थान द्वारा आयोजित संगोष्ठी में प्रस्तावित पत्र, फरवरी 1993।

निम्नलिखित कुछ सुझाव सामान्यतः महिला विकास हेतु आवश्यक है !

1. महिलाओं में शैक्षिक व प्रशिक्षणात्मक योग्यता का संचालन ।
2. महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना जिससे सरकार द्वारा प्रस्तावित कानूनों का संचालन हो सके ।
3. घरेलू कार्यों पारिवारिक सहयोग उपलब्ध कराकर उन्हें दोहरे कार्यभार से मुक्त रखने हेतु सुझाव ।
4. कार्यशील महिलाओं हेतु छात्रावास सुविधा का विकास व शिशु गृह व्यवस्था ।
5. महिलाओं की सामाजार्थिक अवस्था में सुधार उनकी जीवन वृत्ति में सुधार द्वारा ही संभव है ।
6. महिलाओं में आत्मनिर्भरता उन्हें पराश्रय व परग्रस्तता से मुक्त करने के लिए आवश्यक है ।
7. महिलाओं हेतु कानूनी संरक्षण व सुरक्षा व्यवस्था उन्हें कार्यशील जीवन धारा में शामिल करने हेतु आवश्यक है ।

शैक्षणिक योग्यता का निर्माण :-

जब हम महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने पर विचार करते हैं तो हमें पहली आवश्यकता उनमें शैक्षणिक विकास की दर्शित होती है । महिलाओं को जागरूक व आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्हें शिक्षित करना अत्यावश्यक है, जैसा कि प्रदीप कुमार सक्सेना[4] ने अपने विश्लेषण द्वारा यह दर्शाने का प्रयत्न किया है कि शैक्षणिक विकास के साथ ही साथ रोज़गारदर में समान रूप से वृद्धि होती है । मात्र इतना ही नहीं वरन् व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ ही साथ महिला श्रम भागीदारी प्राथमिक क्षेत्र से हटकर द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र में बढ़ती है जो निश्चय ही महिलाओं को कम आय वाले व्यवसाय से अधिक आय वाले व्यवसाय की ओर मोड़ते हैं - " The spread of education among woman is generally described as a key element for ameliorating their position in the society.[5]

निश्चय ही महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु शैक्षणिक विकास नितान्त आवश्यक है । शिक्षा से तात्पर्य मात्र साक्षर करना नहीं वरन् व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है । " The Secondary Vocational and Higher education produce the person who with some brief additional training become technologists, secretaries, nurses, teachers, book keepers, clerk, civil servent, agricultural assistants and superior workers and also make up the middle and upper ranks of business."[6]

---

4. Pradeep Kumar Saxena-" Impact of Educational Development of Employment of Women". Indian Experience."Paper presented in the 12th annual conference of IASP March 1987 at Allahabad.
5. Ibid
6. Quoted by Machlup, Fritz in"Education and Economic Growth", University of Nekraskapress Lincon 1970 P.P.25v

इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि शिक्षा व आर्थिक कार्यकलापों में सहसम्बन्ध किसीभी देश के आर्थिक विकास के लिये नितान्त आवश्यक है ।

"Educational attainment is the most important factor in development of High level manpower which is very crucial to cope up with the pace of economic development.[7]

यह तर्क स्वयं में परिपूर्ण है कि जहां एक ओर महिलाओं में शैक्षणिक विकास महिलाओं की दशा सुधारने में सक्षम है वहीं राष्ट्रीय विकास हेतु भी महिलाओं की शैक्षणिक दशा में सुधार अत्यावश्यक है । शिक्षित महिला शक्ति राष्ट्रीय सामाजार्थिक विकास हेतु विशेष आगत है । मात्र शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा हम महिलाओं की स्थिति सुधार सकते हैं ।[8] शिक्षा मात्र साक्षर होने के लिए ही नहीं वरन् व्यक्तित्व विकास हेतु भी आवश्यक है । जैसा कि प्रदीप कुमार सक्सेना ने स्पष्ट किया है -

"women should not be treated as welfare recipients but their potential for nations building activities should be horned.

यह कहना आवश्यक नहीं है कि महिलाओं की स्थिति समाज की दर्पण है । एक शिक्षक व प्रशिक्षक की भांति घर में व स्कूल में वह बच्चों में मानवीय गुणों का विकास करने में अहम् भूमिका अदा करती है । एक सामाजिक कार्यकर्ता की भांति, एकनर्स की भांति वह अदृश्य रूप से समाज के स्वरूप में परिवर्तन करती है अतः उसकी शिक्षण व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था मजबूत होना आवश्यक है । जैसा कि महात्मा गांधी के अनुसार -

---

7. Remarked by Saxena Pradeep Kumar at twelfth annual conference IASP held at Allahabad on March 1987.

8. Manpower Journal Vo. XXI No.-2 July Sep. 1985 " Literate womenforce" Lalita Manocha.

"The question of the education of children cannot be solved unless efforts are made simultaneously to solve the Womens Education. And I have to hesitation in saying that as long as we do not have real mother teacher who can successfully import true education to our children they will remain uneducated even through they may be going to Schools."

Gandhi M.K. True Education.

शिक्षित व दृढ़ जनता स्वयं ही आर्थिक विकास व सामाजिक परिवर्तन लाते हैं अतः शैक्षणिक क्षेत्र में किए गये विनियोग विकास पथ पर दूरगामी रूप में प्रभावी होता है ।

क्योंकि शिक्षा द्वारा चेतना, कार्य के प्रति जागरूकता, तकनीकि स्तर में वृद्धि व श्रम भागीदारी में वृद्धि करती है । महिलाओं को जागरूक बनाने उन्हें उनके अधिकार क्षेत्र में ज्ञान देने के लिए शिक्षा अत्यावश्यक है ।

शैक्षणिक व्यवस्था में प्रसार मात्र किताबी व डिग्री तक सीमित न रखकर व्यावसायिक प्रशिक्षण के रूप में देना आवश्यक है महिला शिक्षा का अर्थ मात्र अच्छे वर की खोज करने हेतु ही नहीं वरन् उनमें व्यक्तित्व व आत्मविश्वास में वृद्धि हेतु आवश्यक है ।

अतः जहाँ एक ओर सरकार को स्नातक तक शैक्षणिक व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध कराना कर्तव्य है वहीं महिलाओं को प्रशिक्षित व शैक्षणिक व्यवस्था से परिपूर्ण करना भी आवश्यक है । क्योंकि - " A educated women enjoys better opportunities and attains better status in all respect in the so called modern society than uneducated Women."[9]

---

9. S.N. Chauhan-" Profile of Education and Social Status of Women in India." Page- 54.

महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न करना :-

सरकार द्वारा दिए गए कानूनी संरक्षण मात्र कागज के चन्द पन्नों में उल्लखित रह गए हैं, व्यावहारिक जीवन में उनका कार्यान्वयन शून्य है। अतः आज आवश्यकता महिलाओं को जागरूक करने की, उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराने की है। जैसा कि तीसरी महिला संगोष्ठी में अभिव्यक्त विचारों से स्पष्ट है "महिलाओं को सामाजिक अन्याय से लड़ने हेतु कानूनी जागरूकता उपलब्ध करायें जिससे उन्हें तलाक, सम्पत्ति के अधिकार, लिंग विभेद व आय के प्रति जानकारी उपलब्ध हो व अज्ञानता दूर हो"।[10]

इसके लिए आज आवश्यकता प्रसार व प्रचार माध्यम या मीडिया के सहयोग से जहां एक ओर महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों से परिचित कराना है वहीं दूसरी ओर अपने अधिकारों से मांग हेतु उन्हें सामाजिक संस्थओं के माध्यम से सही दिशा उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता है इस हेतु यह नितान्त आवश्यक है कि महिला गत संस्थानों का प्रसार मात्र कुछेक शहरी क्षेत्र तक सीमित न हो वरन् ग्रामीण आंचल तक भी इसका प्रचार व प्रसार हो। साथ ही इन महिला संगठनों की सुरक्षा की भी समुचित व्यवस्था आवश्यक है क्योंकि इन संस्थओं के माध्यम से भी महिलाओं की मदद करने में अड़चनों का सामना करना पड़ता है अतः प्रतिरोधी वर्ग द्वारा उत्पादित व्यवधानों, धमकियों व अराजक तत्वों से लड़ने की क्षमता का विकास भी आवश्यक है।

निश्चय ही महिलाओं में शक्ति व स्फूर्ति का निर्माण व जागरूकता उत्पन्न कराकर ही हम महिलागत बनाएं गए नियमों का कार्यान्वयन कर सकते हैं व उन्हें सामाजिक प्रताड़ना से मुक्त करा सकते हैं।

---

10. "Conclusion & Recommendation of the thirld Annual Conference on working Women Challenged Ahead." June. 1988.

महिलाओं में व्यक्तित्व विकास हेतु घरेलू कार्यों में पारिवारिक सहयोग आपेक्षित है:-

महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने हेतु कार्यशील महिलाओं को दोहरे कार्यभार से मुक्त करना आवश्यक है । इसके लिए आज आवश्यकता है समाजिक परिवेश में बदलाव लाने की ।

आज हम महिलाओं द्वारा किए गए अवैतनिक कार्यों को पहचान गए हैं जैसा कि द्वितीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में अभिव्यक्त किए गए विचारों से स्पष्ट है कि महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू कार्यों का योगदान राष्ट्रीय उत्पादन में 25.39 प्रतिशत है ।[11] ठीक इसी प्रकार के विचार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वक्तव्य से भी स्पष्ट है - " The unpaid economic activities of women and their contribution through work in domestic sector remain unreported that the value of unpaid household work constitutes 25.39% of the gross national product in developing Countries."[12]

Kamala Bhasin " Marriage and the working women in India- 1970." ने अपने अध्ययन में यह पाया कि शहरी शिक्षित आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं को भी पुरूषों के समकक्ष स्थान नहीं मिलता है । इस अध्ययन में आपने यह स्पष्ट किया है कि यद्यपि पत्नी व वधु के प्रति रोज़गार के सन्दर्भ में मनोभावना में बदलाव आया है किन्तु उसके गृहणी के रूप में किसी भी प्रकार के बदलाव की आशा नहीं है । पुरूष महिलाओं के किसी भी प्रकार का सहयोग देने को तैयार नहीं है स्त्रियाँ घर बाहर दोनों कार्य करने को बाध्य है ।

---

11. Second National Conference on Womens studies held in Trivendram April 1984.

12. Economic Affairs Vol.34 July Sep. 1989 . "Need for effective utilization of Women power resoures in India: A study of Tribal Women Working Force. " Baidyanath Prasad Singh."

" Whatever jobs women have choosen they have tried to prove themselves best and put all their best endevers because of two reasons. (1) Conscious (2) Servillience.

" She has to take dual responsibilities at home and at work and is expected to do both duties well. She has accepted the challenge and the man has now to watchout."[13]

महिलाओं में व्याप्त द्वैध कार्यभार को मात्र सामाजिक परिवेशों में बदलाव लाकर । तथा मर्दों में औरतों के प्रति भरे मनोभावों में बदलाव द्वारा ही सम्भव है जिसके लिए मीडिया या प्रचार प्रसार माध्यम ही सशक्त भूमिका अदा कर सकता है इसके लिए विज्ञापन माध्यमों में विशेषकर दूरदर्शन में दिखाए जाने वाले उन विज्ञापनों में भी प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है जिसमें औरत को एक नौकरानी के रूप में दिखाया जाता है बल्कि आपसी सहयोग द्वारा कार्यरत घरेलू कार्यों को दिखाना व प्रारम्भ से ही बालकों में भरने जाने वाली यह भावना भी बदलना आवश्यक है कि यह कार्य लड़कियों के हैं व अन्य कार्य लड़कों के है । यदि बालिका गृह विज्ञान का अध्ययन कर सकती है तो बालक भी अध्ययन कर सकता है , बोर्ड में दिए गए इस ऐच्छिक विषय विभेद के आधार पर हम प्रारम्भ से ही विभेद उत्पन्न कर देते हैं अतः इसे समाप्त करना भी आवश्यक है ।

---

13. Marketology quarterly volume 20 No.2 April June 1986. Documentation on 3rd National Conference on working women: Challegne Ahead organised by nawee a unit of IMM.

शिशु गृह व श्रमजीवी महिलाओं हेतु छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करा कर :-

कार्य क्षेत्र महिला श्रम भागीदारी में वृद्धि महिलाओं को पारिवारिक जीवन में सुविधा उपलब्ध कराकर सम्भव है । जैसा कि महिला आयोग द्वारा प्रस्तावित रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है ।

" The experience of some countries has shown that it is possible by public policy to accelerate women's employment in new area of work by finding solution of their problems of family life and childcare."[14]

भारत वर्ष में श्रम जीवी महिला छात्रावासों की संख्या कम है व वह भी सीमित शहरों तक ही उपलब्ध है अतः सरकारी तंत्र के लिए न्यूनतम आवश्यक शुल्क आधार पर आवासीय सुविधा की व्यवस्था आवश्यक है क्योंकि महिला का एक वर्ग वह भी है जो कि दूसरे स्थान पर समुचित आवासीय सुविधा न होने के कारणवश नहीं जा पाती है । इस व्यवस्था का प्रचार वृहत स्तर पर करना आवश्यक है ।

इन आवासीय सुविधाओं के अतिरिक्त शिशु गृह संस्थानों का भी विकास आवश्यक है । जिससे महिलाएं शिशुओं की आवश्यकता न पूरी होने के कारण अपने कैरियर से अलग न हों ।

---

14. Twoards Equality "Report of the Committee on the status of women in India."
Government of India Department of Social welfare ministry of education and Social welfare Dec. 1974 New Delhi
Page- 231.

महिलाओं की जीवन वृति में परिवर्तन लाना आवश्यक है:-

स्त्रियों की निम्न आर्थिक अवस्था का कारण कम लाभ व्यवसाय में संलग्नरहना है व कम लाभ के व्यवसाय से संलग्नता का कारण महिलाओं का विशेष आर्थिक आवश्यकता होने पर ही कार्य करना है। स्त्रियां अपने कार्य को जीवन वृति नहीं समझती हैं शायद यही कारण रहा है कि बहुत सी अविवाहित महिलाएं विवाह पश्चात कार्य करना छोड़ देती है महिलाएं अपने अस्तित्व के निर्वाह हेतु कार्य नहीं करती है। पुरूष पक्ष पर निर्भरता उनके निम्न सामाजिक आर्थिक कारणों में से एक है। महिलाएं विवाहोपरान्त भी अपना अस्तित्व बनाएं रखे इसके लिए उन कारकों पर विचार करना भी आवश्यक है जो उनकी कार्य निरतता के अवरोधक कारक है। मेरी समझ में कुछेक प्रमुख कारण जो मुखरित होते हैं उनमें से प्रमुख है कि विवाहोपरान्त महिलाओं में डाली गयी गृहणी की जिम्मेदारी, पति पत्नी की कार्यक्षेत्र व स्थान अलग होना, बच्चों की परवरिश व ससुराल पक्ष की कुण्ठाग्रस्त मानसिकता जो उन्हें घर की वधू को घर की चहारदीवारी से बाहर कार्य करने में सामाजिक प्रतिष्ठा के आघात के रूप में देखने को बाध्य करता है।

इस समस्त पक्षों पर विचार करने पर पुनः महिलाओं को कार्यरत रहने व उनकी योग्यता से समाज को लाभान्वित करने हेतु कुछेक उपाय जो हमारे ज़हन में उठते हैं वह कुछ इस प्रकार है।

आज आवश्यकता महिलाओं की योग्यता को गृहणी के दायित्व से बांधने की नहीं है वरन् पारिवारिक दायित्व पति पत्नी दोनों की जिम्मेदारी है। आज जब महिलाओं ने अपने प्रयास से पुरूष वर्चस्व क्षेत्र में भी प्रवेश कर

लिया है और अपनी लगनता कार्य तत्परता, कर्तव्यनिष्ठा में अपनी शारीरिक कमजोरी को आड़े नहीं लिया तो पुनः इस पक्ष की दुहाई देने की आवश्यकता नहीं है कि महिला का कार्य क्षेत्र घरेलू आंचल तक सीमित है, आवश्यकता शोषण की इस आड़ को उखाड़ फेंकने की है कार्य विभेद की इस लक्ष्मण रेखा की अवहेलना कर पुरुषों को भी महिलाओं के घरेलू कार्यों में सहयोग देने की आवश्यकता है ।

कार्यशील महिलाओं को पति के साथ स्थानान्तरण की सुविधा उपलब्ध करायी जाये अभी तक यह सुविधा मात्र तभी उपलब्ध करायी जाती थी जबकि दोनों या तो विशेष प्रादेशिक क्षेत्र से सम्बद्ध हो या दोनों ही केन्द्रीय सरकार के संस्थानों से सम्बद्ध हो । व्यवस्था कुछ इस प्रकार भी हो कि यद्यपि दोनों विभिन्न प्रादेशिक क्षेत्र की सेवा से सम्बद्ध हो अथवा केन्द्रीय व प्रादेशिक क्षेत्र की सेवा से सम्बद्ध हो मात्र पत्नी को ही पति के साथ स्थानान्तरण की सुविधा उपलब्ध न हो वरन् पति को भी पत्नी के साथ स्थानान्तरण की सुविधा उपलब्ध हो ।

जहां तक समाज की मानसिकता में बदलाव का प्रश्न है इसमें सतत् प्रयास व महिलाओं को जागरूक व इस संघर्ष से लड़ने की क्षमता उपलब्ध कराने की आवश्यकता है । इसमें कोई शक नहीं कि यदि महिलाओं में अपने अस्तित्व की रक्षा की तीव्र शक्ति व इच्छा उपलब्ध हो तो निश्चय ही वह सामाजिक परिवेश में बदलाव ला सकती है । दूसरी ओर मीडिया के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने का भी प्रयास अपेक्षित है ।

वर्तमान स्थिति में महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए विचार की अपेक्षा व्यवहारिकता की जरूरत है, किसी भी सुधारवादी आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिए वैचारिक पक्ष के साथ-साथ व्यावहारिक पक्ष का सशक्त होना भी

जरूरी है । अतः पहले महिला को मानसिक स्तर पर सामाजिक और पारिवारिक भूमिका के प्रति सजग करना होगा, आज महिलाओं की जिम्मेदारियां पहले की महिलाओं से कहीं अधिक है । जरूरत है इनका हाथ बंटाने की । आवश्यकता है कि समाज, परिवार में स्त्रियों की स्थिति और काम में लगी महिलाओं के बारे में विचारों को समझे ।

महिलाओं को विवाहोपरान्त कार्य क्षेत्र से अलग हटने का एक अन्य कारण उन पर देश के भावी नागरिक के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपना है, समाज की इस अक्षुण्य जिम्मेदारी के निर्वाह के कारणवश महिलाएं कार्य क्षेत्र से बाहर हो जाती है । इसके लिए जहां एक ओर शिशु गृह की सुविधा उपलब्ध करानी आवश्यक है वहीं दूसरी ओर इस समयावधि में उन्हें विशेष अवकाश सुविधा प्रदान कर या कम समय की सेवा उनसे ली जाय या कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि वह कुछ समय व्यवधान के उपरान्त पुनः सेवा क्षेत्र में आ सकें । यद्यपि यह सुविधा मात्र दो बच्चों की परिवरिश तक ही सीमित रख सकते हैं । जैसा कि E.F.Oaten ने 1926 में बेथुन्य कालेज में पुरस्कार वितरण के समय कलकत्ता में महिलाओं का आह्वान करते हुए वक्तव्य दिया :-

" You have asserted your selve in the field of politics. How long is it before you asser yousselves in the field of secondary and higher education? How long are you going to tolerate a man made syllabus, a man made system, a man made examination and a controlling authority in which Women have no influence as the dominarting orbiter of your education deftinies ? .... We much have the cooperation of women to help us remedy what is wrong in Womens education. I would urge that Women who alone can help us adequately should tell us with one voice when they want and keep on telling us till they get it.

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना :-

"महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यकता है आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करने की तभी वह राष्ट्रीय धारा से सम्बद्ध हो सकेगी ।[15]

महिलाओं की असमान स्तर से उबारने के लिए तथा उन्हें पुरुषों की निर्भरता से उबारने के लिए उन्हें रोज़गार सुविधा प्रदान करना तथा उनकी आय शक्ति मजबूत करना आवश्यक है ।

महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों से उन्हें मुक्त करने के लिए उन्हें आत्मनिर्भ बनाना परम् आवश्यक है । इसके लिए जहां हम पिछड़ी जाति वर्ग हेतु विशेष आरक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं वहीं पिछड़ी जन शक्ति महिला वर्ग हेतु भी विशेष आरक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराना आवश्यक है तथा इस हेतु संवैधानिक प्रक्रिया में यदि कुछ बदलाव करना पड़े तो वह भी अपेक्षित है ।

---

15. V.M. Dandekar-" Integration of women in Economic Development." Economic and Political weekly Vol. XVII No. 44 Oct. 30, 1982.

कानूनी संरक्षण:-

महिलाओं हेतु कानूनी संरक्षण व सुरक्षात्मक व्यवस्था अत्यावश्यक है क्योंकि अधिकांश महिलाओं के परिवार जन असुरक्षित सामाजिक वातावरणवश अपने घर की महिलाओं को बाहर कार्य हेतु नहीं जाने देती है जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य के श्रम विभाजनसंस्थान नेसन 1982-83 में शिक्षण संस्थानों दूरभाष केन्द्रों, नर्सिंग व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यालयों तथा सरकारी क्षेत्र की कार्य की इकाइयों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की कार्य की दशाओं के बारे में सर्वेक्षण के दौरान यह प्राप्त कियाकि काम करने वाली 20% महिलाएं घरों को वापस जाते समय उत्पीड़न व छेड़छाड़ का शिकार होती है।[16]

---

16. डा. आर.सी. सक्सेना "श्रम समस्याएं व समाज कल्याण" प्रकाशत्र के नाथ एण्ड कम्पनी, मेरठ 1987, पृष्ठ-370

अध्ययन की परिसीमाएँ व भावी अध्ययन हेतु सुझाव :

प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र मात्र इलाहाबाद नगर में संगठित से सम्बद्ध महिलाओं तक सीमित रहा है अतः क्षेत्रात्मक दृष्टि से व तुलनात्मक अध्ययन के अभाववश यह अध्ययन स्वयं को एक परिसीमा तक प्रतिबन्धित करता है, धनाभाववश, समयाभाववश तथा व्यक्ति विशेष तक अध्ययन की सीमितता कई खामियों को मुखरित करता है तथा जिसकी आपूर्ति भविष्य में विशेष ( ) द्वारा की जा सकती है। जिसमें प्रमुख हैं संगठित व असंगठित क्षेत्र में सम्बद्ध महिलाओं की सामाजार्थिक व शैक्षणिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन। गृहिणियों व कार्यशील महिलाओं की सामाजार्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन जिसमें सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति व घरेलू कार्यों में उनकी सहभागिता, परिवार का आकार, रहन-सहन शैक्षणिक, स्थिति व पारिवारिक व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन। जो निश्चय ही जहाँ एक ओर सामान्य गृहिणियों को कार्य क्षेत्र में योगदान से वंचित रहने की स्थिति व कारक पक्ष को मुखरित करेगा वहीं दूसरी ओर समाज के वृहत अकार्यशील (जिन्हें अर्थलाभ न हो रहा हो) वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने के कृत्यों पर भी जोर देगा निःसन्देह महिला समस्याओं से सम्बद्ध अध्ययनों के अनेक रूप बाकी हैं जिन पर सतत् अध्ययन की आवश्यकता बरकरार है।

अध्ययन के प्रारम्भिक चरण में निदर्शन के प्रतिचयन में अनेक समस्याएँ सामने आईं किसी भी स्थानीय जनगणना विभाग में कार्यशील महिला वर्ग की संख्या विभिन्न कार्यालयों के आधार पर आंकलन न होने पर निदर्शन का प्रतिचयन समुचित रूप से न हो सका यद्यपि कृषि क्षेत्र से सम्बद्ध मजदूर, शिक्षक वर्ग, फैक्टरी में कार्यरत वर्ग के रूप में सूचना प्राप्त हुई किन्तु अन्य सेवा क्षेत्रों में संलग्न कार्यशील महिलाओं का व्यवसायवार वर्गीकरण कहीं भी नहीं

प्राप्त हुआ अतः निदर्शन के प्रतिचयन में पक्षपात की सम्भावना अप्राप्त है । साथ ही भावी संगणना में इस प्रकार विभिन्न व्यवसाय क्षेत्र से सम्बद्ध महिलाओं की गणना अत्यावश्यक है जो कि भावी नीति नियोजन व शोध अध्ययन में सहायक सिद्ध होगा ।

शोध अध्ययन हेतु किए गए सर्वेक्षण में एक प्रमुख बात जो आश्चर्य-जनक रूप से समक्ष आई वह यह कि जहाँ अशिक्षित व कम शिक्षा प्राप्त महिलाएं अपनी समस्याओं को स्वतंत्र रूप से खुलकर आत्मभाव से बताती हैं वहीं शिक्षित कार्यशील महिला जो अपनी समस्या प्रगट करने में संकोच का अनुभव करती हैं शायद इसका कारण उनके अन्तर्मन में छुपे मनोभाव है, वह शोध अध्ययन का अर्थ मात्र व्यक्ति विशेष के लिए डिग्री प्राप्त करना समझती है उनके अनुसार प्रस्तुत शोध चन्द पन्नों तक सीमित रहना है अतः आवश्यकता जहाँ एक ओर शोध अध्ययन की महत्ता से लोगों को अवगत कराने की है वहीं दूसरी ओर शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के क्रियान्वयन की भी आवश्यकता अपेक्षित है ।

कार्यालय में महिलाओं से सम्पर्क स्थापित करने पर उनमें भय व आशंका दर्शित हुई जिस कारणवश वह खुलकर अपने विचार अभिव्यक्त न कर सकी, यह समस्या मुख्य रूप से पुलिस विभाग व गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं से सम्पर्क के समय दर्शित हुई ।

महिलाओं में पर्याप्त जागरूकता के अभाववश सर्वेक्षण के दौरान कुछ महिलाएं ऐसी भी प्राप्त हुई जिन्होंने प्रत्युत्तर देने में विशेष अभिरूचि नहीं अभिव्यक्ति की अतः इन महिलाओं की समस्याओं का पर्याप्त रूप से अध्ययन में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा । जबकि महिलाओं के कुछ वर्ग

ऐसे भी प्राप्त हुए जिन्होंने शोध अध्ययन में विशेष अभिरुचि दिखाई अतः मात्र अपनी ही समस्या पर ही प्रत्युत्तर नहीं दिए वरन् महिलागत समस्या से सम्बन्धित परिचर्चा भी की जो कि निश्चय ही महिलागत समस्या समाधान के लिए अभूत पूर्व रहे ।

क्रियागत ,क्षेत्रगत प्रतिदर्श प्रतिचयन व सर्वेक्षण गण समस्याओं के अतिरिक्त एक अन्य कमी जो हमारे शोध संकलन में प्रदर्शित हुई है वह अध्ययन के विश्लेषण के रूप में दर्शित हुई है ।

शोध अध्ययन हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति न प्राप्त होने के कारण अर्थाभाववश अध्ययन का समस्त विश्लेषण स्वतः मानवीय रूप पर आधारित रहा किसी भी प्रकार के कम्प्यूटर का प्रयोग न होने के कारण अनुसूची संकलन, वर्गीकरण , विधिसंहिता निर्माण व विश्लेषण स्वतः करना पड़ा जिसमें अत्यधिक समय व्यय होने के कारण विश्लेषण का स्वरूप मुख्यतः व्याख्यात्मक रहा अतः सांख्यिकी विश्लेषण का समुचित प्रयोग न होने के कारण विश्लेषण निष्कर्ष प्रस्तुत करने का स्वरूप एक समाजशास्त्री की भांति दर्शित हुआ है न कि एक अर्थशास्त्री की भांति ।

यद्यपि प्रस्तुत अध्ययन में हमने महिलाओं के अमूल्यांकित कार्यों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है किन्तु पर्याप्त मौद्रिक अवकलन का स्वरूप निश्चित न होने का कारण इसका मौद्रिक अवकलन प्रस्तुत करने का अभाव दर्शित हुआ यद्यपि भारत सरकार ने वर्ष 1991 की जनगणना महिलाओं के घरेलू कार्यों की मापनीयता पर बल दिया था पर व्यवहार्य में उसकी रिपोर्ट में इन कार्यों की माप का ब्यौरा नहीं प्राप्त हुआ है । अतः भविष्य में सरकार द्वारा संगणना प्रस्तुत करने में महिलाओं के मूल्यांकित व अमूल्यांकित या वैतनिक व अवैतनिक कार्यों के आंकलन की अपेक्षा करना अत्यावश्यक है ।

यह निर्विवाद सत्य है कि अध्ययनार्थी को अपने अध्ययन से कभी सम्पूर्णता नहीं प्राप्त होती है और यही पिपासा उसे और अधिक अध्ययन को बाध्य करती है यही तर्क कुछ हद तक मेरी भावी अध्ययनेच्छा के संदर्भ में भी लागू होती है । यद्यपि यह अध्ययन कार्यरत महिलाओं की सामाजार्थिक स्थिति को अवलोकित करने हेतु एक दीप की भांति है जिसकी ज्वाला को और अधिक प्रकाश-मय बनाने की आवश्यकता है।

BIBLIOGRAPHY

1. Ackaff R.L. "Design of Social Research" University of Chicago.

2. Ahmad R. " studies of Educated working women in India, 1979.

3. Anindita Mukherji and Neelam Verma " Socio economic backwardness in women".
Ashish Publishing House ,New Delhi.

4. Agarwal A. "Women and Politics; Political participation of women in Uttar Pradesh in the post Independence Period, 1988.

5. Agrawal Sushila "Status of women" Printwell Publication Jaipur ,India, 1988.

6. Agnew Jijay "Elite women in IndianPolitics" New Delhi Shakti Pub. 1986.

7. Anker Richard " Sex inequalities in urban employment in the third world".
London Macmillion 1986.

8. Boserup "Women's Role in Economic Development" Publishing London Allen and Unwinn". 1970.

9. Bajpai S.P. " Methods of Social Survey and Research".
Rampur Kitab Ghar Publication.

10. B. Maxcoell Stamper ' Population and Planning
in Developing Nations'
Population Council New York.

11. Black N. 'Women and World Change, equilty
issues in development.
Sage Publication 1981.

12. Banerjee N. ' Women workers in the unorganised
Sector; Hyderabad Sangam Books 1985.

13. Bose Abinash Chandra ' Hyms from the Vedas
Asia publishing house Bombay.

14. Banerjee Gauri Rani " Aspects of the position
of women in Ancient India"
Phd thesis 1942 Allahabad University.

15. Bhawna Mathur and M.N. Nigam 'Condition of
Women During Upnishad period.'
page 1-6

16. Boserup Ester '1973 Employment of women in
Developing Countries in proceedings of
the international population conference
London Vol 1 page 381-391.

17. Basu Aparna ' Women's struggle a Mistery of
All India Womens Conference' 1927-1990
Manohar publication New Delhi 1990.

18. Bose Arun 'Marx on Exploitation and inquality An essary in Marxian Analytical Economics Delhi Oxford University press 1980.

19. Chandrakala A Hate " Changing Status of Women" Allied Publishing House Bombay 1969.

20. C. Raghanandha Reddy " Changing Status of Educated working women" 1986.

21. Chapman E.F. Notabic Indian Women of the 19th Century 1984.

22. Chaurasia R.A. ' Female Freedon its past and present in Indian Context page 18-35.

23. Chandra Ghosha ' Hindu Women in India Allied publisher New Delhi 1982.

24. Coontz Stepharie ' Womens work men's property' London verso 1986.

25. Chapman Jone Roberts ' Economic Independence for women the foundation for equal rights London; Sage Publication 1976.

26. Chiphin Brion. ' Sex Discrimination in the Labour market' London; Macmillion 1976.

27. Chowdhry D. Paul ' A Hand Book of Social Welfare' Atma Ram & Sons Publication New Delhi 1981

28. Chaurasia B.P. 'Womens' status in India
Policies and Programmes.

29. Development of Women and Children, women in
South Asia series Vol IX
Bhowink Ed. 1988.

30. Durga Nand Singh " Rural Development through
Women Programme 1988."

31. Dwarka Nath Mittera, The Position of women
in Hindu Law" 1984.
Allied publisher New Delhi.

32. Durand John D. 1971 Regional patterns in
international variation of womens
participation in the Labour Force;
Philadephia; Population studies Centre
University of Pennsylvania Mimeo.

33. Dube Leena ' Visibility and Power essays on
women in society and development
Delhi 1986.

34. Everett J.M. 'Women and Social Change in India'
N.D. Heritage publishers 1979.

35. Eleanor Leucock ' visibility and power Essay
on women in society and Development
Oxford University Press Delhi, 1986.

women in India'. International Journal of women's studies.

49. Joshi V.R., 'Women's wage. International Labour Review, 1960.

50. Jones V.R. & L.Bevan, 'Women in Islam. Lucknow Publishing House, 1941.

51. Jayce T.R., 'Women of all Nations'. Gain Publishing House , Delni, 1985.

52. Jana Mantson Everelt, "Women and Social Change in India". Chawla Heritage Publication, New Delhi, 1991.

53. John Langdom Davis, "Short History of Women".

54. Joahna Liddle and Ranu Kali,"Daughter of Independence, Gender Caste and Class in India, 1986.

55. Jogesh Chandra Ghosha, "Hindu Woman of India. Daughter of Hindustan, 1982.

56. Kanhere Usha, 'Women and Socialisation'. Delhi Mittal Publication, 1987.

57. K.Sardamoni, "Women in Employment".

58. Krishnamurti V.,'Social and Economic Condition of Eastern Daleon'.

59. Kamla Gupta,"Social Status of Hindu Women in Northern India, 1206-1709 A.D., Allied Publication , New Delhi, 1987.

60. Kamla Bhasin, "Poor Status of Working Women". Proceeding of seminar held in Srinagar,Sep.,1982.

61. Kalka G.,'Women and Structural Violence In India."
National Development for Women's Development
Studies, 1985.

62. Kaur M., 'Women in India's Freedom Struggle,
N.P.Sterling Publishers, 1985.

63. Kane P.V!History of Dharamastra.'

64. Kamla Bhasin -'The Position of Women in India -
Historical Perspective.

65. Kaur Inderjeet, 'Status of Hindu Women in India'.
Chary Publication.

66. Kapur Promilla,'Changing Status of the Working Women
In India, 1978.

67. Karlekar Malaniker, 'Women in India'.
New Delhi, ICSSR.

68. Leela Kasturi & Others, "Women Workers in India -
Studies in Employment and Status ICSSR Programmes
of Women Studies'.

69. Leora J., 'Women and work in India.
N.D.Promilla & Co. Publisher, 1984.

70. Leela Gulati, 'Women Workers in Industry, Kerala Case
Studies State and Society, 1981.

71. Lalita Devi Usha, 'Status and Employment of Women
In India, 1982.
Allied Publisher , New Delhi.

72. Lewenheek Shellar, "Women and Work".
London Macmillion, 1980.

73. Maitry S.K., 'Cultural Heritage of Ancient India'.
Abhinav Publication, 1983, New Delhi.

74. Manikyampa P., 'Women In Panchayati Raj Structures'.
Forwarded by Dr. Vina Mazumdar.
Centre for Women's Development Studies, New Delhi
Gain Publication, Page 105-110.

75. Mitra Malti, 'Some Practical Problems of Women
Enterprence of India and their solution.'

76. Monon Lakshmi N.,'The Position of women, Oxford
Publications on Indian Affairs, No.2, Bombay
& London, Oxford University picso.,1946.

77. Maurya S.D., 'Women In India, 1988, Ching Publication,
Allahabad.

78. Mehta Vimla, 'Attitude of Educated women towards
Social Issues, New Delhi National Publication,
1979.

79. Machie Lindsay ,'Women at Work.,
London ; Tanstock, 1971.

80. Maxwell Stamper, 'Population and Planning in
Developing Nations.
Population Council , New York, 1970.

81. Mishra R., 'Women in Mughal India '.
Munishiram Manoharlal, Delhi, 1967.

82. Mira Sarvana, "Changing Trend in Women's Employment".
Himalaya Publishing House, Bombay, 1980.

83. Mitra Ashok, "The Status of Women Literacy and

Employment ICSSR Programme of Women
Studies II", 1979. Allied Publisher, New Delhi.

84. Mitra Ashok, Adhir K.Srimony and Lalit K.Pathar -
"The Status of Women Household and Non-Household
Activities".
ICSSR Programme of Women Studies III.

85. Mitra S.M. & Maharani of Baroda," The Position of
Women in Indian Life'., 1984.
Allied Publishee , New Delhi.

86. Madan C.Paul, "Dowery and Position of Women in India,"
A study of Delhi Metropolitan Women in South
Asia Series.

87. Maniben Kore, "Working Class Women ,their Position
and Problems. Comparative Study , 1961-71.

88. Mahadeva K., "Women and Population Dynamics Perspectiv
from Asian Countries , N.D.Sage Publication,
1989.

89. Mahajan,V.S., 'Women's Contribution to India's
Economic & Social Development. N.D. Deep&
Deep Publications, 1991.

90. Maithreyi K.R., 'Women's Studies in India; Some
perspectives,
Bombay Popular Prakashan, 1986.

91. Neera Desai & Maithreyi Kishoriraj, 'Women and
Society in India; Delhi Ajanta Publication,
1987.

92. Nash.S., Women, Men & The International Division of Labour; Albany State Universe of N.Y.Press, 1983.

93. Ojha,G.H., Madhyakalin Bhartiya Sanskriti.

94. Open Heim A.N.,"Questionnaire Design and Attitude Measurement " -London Heinemann.

95. Pande P.N.,'Wage equality among sexes. A study of equal Remuneration Act. Print House , Lucknow, GIDS Pub.

96. Pal B.K. Problems and concerns of Indian women, New Delhi, 1987.

97. Papola T.S. ,'Sex Discrimination in the Urban Labour Market; Some proposition based on Indian evidence, Lucknow GIDS, 1970.

98. Papola T.S.,'Women Workers in an Indian Labour Market', Geneva ILO Study ,1983.

99. Prithvi Nath Tikko, "Indian women - A brief Socio Cultural Survey", 1985.Allied Publisher, New Delhi.

100. Pant S.C.,"Indian Labour Problems". Chaitanya Publication, 1976.

101. Papola T.S., "Women Workers in an urban market." A study of segregation and discrimination in Employment in Lucknow(INDIA), Sponsored by ILO Geneva, 1982.

- -

102. Petty Celia and Deborat Roberts,' 'Women's Liberation & Socialism'. Lond. Booksmarks, 1987.

103. Paul Choudhry, 'A hand book of Social Welfare'; Atma Ram & Sons Publication, New Delhi, 1981, Page 34-52.

104. Reddy - " Women and Child Development; Some Contemporary Issues", 1988, Chung Publication, Allahabad.

105. Rao N.J. Usha, "Women in developing society; Ashish Publishing House, New Delhi, 1983.

106. Randell V., 'Women and Politics; an International Perspective. Macmillan Education Second Edition, London, 1987.

107. Ramu G.N., 'Women Work and Marriage in Urban India, N.D. Sage Publication, 1989.

108. Ramaiah C.P. , "Issues in Tribal Development, 1988, Chung Publication.

109. Reddy G. Raghunandha, 'Changing Status of Educated working women, 1986.

110. Shastri Shakuntla Rao, 'Women in the Vedic Age'; Bhartiya Vidya Bhavan, Bombay, 1952, Page 1-39.

111. Singh V.B., 'Industrial Labour in India'; Equal pay for equal work.

112. Spengler J.J., 'Theories of Socio Economic Growth' In problems in the study of Economic Growth;

National Bureu of Economic Research,
New York, 1949.

113. Swarnkar G.P., 'Woman Participation in Rural Environment , 1987, Chung Publication.

114. Savarna Mira, 'Changing Trends in Women's Employment, Himalaya Publishing House, Bombay, 1986.

115. Seager Joni, "Women in the world on international Atlas'; London Pluto Press, 1986.

116. Sharma Anita, 'Modernisation and Status of Working Women in India. New Delhi Mittal Pub., 1990.

117. Sharma Kumud, 'Women and Development gender concern; New Delhi CWDS, 1985.

118. Sharma Prem Lata, 'Rural Women in Education'; Sterling Publishers Pvt. Limited , Delhi, 1988.

119. S.D.Maurya - "Women in India ,1988".

120. Saran A.P. & Sandhawar A.N., "Problems of Women Workers unorganised Secter."

121. Swarnkar G.D., 'Women's participation in Rural Environment, 1987.

122. Sinha Savitri, "Madhyakalin Hindi Kavitriyan", 1953.

123. Singh V.B., "Equal Pay for Equal Work". Industrial Labour in India.

124. Siegels, - 'Non Parametic Statistics for Behavioural Science, New York M.C.Grow Hill.

125. Savitri Saleomn, "A Study of the educated ladies

in Greater Bombay in respect to utilization of their talents in various walk of life on honourary basis'; University of Bombay.

126. Sue Ellen M.Chariton - "Women in third world Development,' West view Prero/Boulden and London, 1984.

127. Sarla Sareen,"Position of women in Mughal Period in Northern India', 1526 - 1748 A.D. Phd. Thesis , 1972, Allahabad Unversity.

128. Saxena Kumud Lata - 'Position of Women in Hindu Civilization'.

129. Talwar Usha, "Social Profile of Working Women; Varshney Printing Press , New Delhi, 1984.

130. Terry R.Kandal ,'The Woman Question in Classical Sociological Theory'. Florida International University Press.

131. Tandon B.C., 'Research Methodology in Social Science,' Chaitanya Publishing House ,Allahabad,1979.

132. U.Lalita Devi, "Status and Employment of Women in India, 1982.

133. Vibhuti Patel,"Asian Women in the Work Force.

134. Veena Majumdar,'Emergence of Women's Question and Role of Women's Studies Centre for Women's Development Studies, 1985, New Delhi.

135. Veena Majumdar, 'Social reform movement in India'; Vikas Publishing , New Delhi.

136. Weinberg Danial, 'Computer as a Research tool".

137. William F.Finna & Marget Talimer, "Women and loss; Psychological perspectives, N.Y.Praeyer,1985.

138. Yogesh Atal, 'Social Seience in Asia'; Abhinaw Publication', New Delhi, 1974.

139. डा. आर.सी. सक्सेना "श्रम समस्याएं एवं समाज कल्याण" प्रकाशन के नाथ एण्ड कम्पनी मेरठ,1987

140. एम.एस. जैन "आधुनिक भारत का इतिहास" मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1982

JOURNAL

1. Soni N.K. and Varshney H.K., "Portrait of Rural Women Work Force, Manpower Journal, Vol.XX No.3, Oct, Dec., 1984 , Page 61-75.

2. Bhatia V.K., "Some Emerging Dimensions of Women Work Force'; Manpower Journal, Vol.XXII No.2, July, Sep., 1986, Page 31-46.

3. Randhir Singh, "A Study of Income and Expenditure of Rural Labour Household in Different Region of India. Manpower Journal Vol.XXI, No.2, July, Sep., 1985, Page 1- 9.

4. Pradeep Kumar Saxena," Profile of Urban Women Workers" Manpower Journal, Vol. XXVII, No.3, Oct.-Dec. 1991.

5. Equality in Wage for men and women still an Elusive Goal. Indian Labour Journal, Vol.27, No.6, Page 863.

6. Indian Labour Journal April, 1987, Vol.28, No.4, Page-504.

7. Lalita Manocha, 'Literate Women Force', Manpower Journal , Vol.XXI, No.2, July, Sep., 1985.

8. Shobha B.Nair, "Women in Industry and Agriculture in Kerala", Manpower Journal , Vol.1 XXI, No.1, April, June, 1986, Page 57-66.

9. Adesina Sambo, "Participation of Women in Nigerian Labour Force, Constraint and Prospect.' Manpower Journal , Vol.XXI No.1 April, June, 1985.

10. International Women Conference,' Indian Labour Journal May,1987 , Vol.28,No.5,Page 660.

11. 'Programme for Jobs to women',Indian Labour Journal, July,1987,Page 504 - 505.

12. Summary of the report on the Socia Economic conditions of women workers in manufacture of chemicals and chemical products and food products (expept tea, coffe and sugar industries), Indian Labour Journal,March,1987, Page 329 - 334.

13. National workshop on problems of women construction workers 'Labour Journal of India, Dec.1986, Vol.27, No.12,Page 1746-1747.

14. Verma Dr.Bimla : Status of women and their Economic Activities; A case study of women in Bihar Southern Economist, Vol.26,No.23 & 24,April 1-15, 1988, pp. 17 & 18.

15. Status of women in Karnataka Comparative Studies of tribal and rural women; A social Anthropological perspective ,Indian Dissertation Abstracts , Jan-March, 1986,Vol.XI, No.1.

16. A study of Educated Scheduled Caste women in an Urban Setting ,Indian Dissertation Abstracts, July - Dec,1989,Vol.XI,Page 179-182.

17. Socio Economic conditions of Factory workers in Kanpur ,'Indian Dissertation Abstracts,July,

Sept.,1988, Vol. XVII, No.3.

18. Sulochna Nadkarni, "Women Enterpreneurs Socia Economic Study, with reference to Poona Indian Dissertation Abstract, July, Sep., 1988, Vol. XVII, No.3, Savitri Sulomon; A study of the

19. Padam Prakash, 'People Science movement and Women Struggle'; Economic & Political Weekly. Sameeksha Trust Publication, Vol. XIX, No.38, Sep.22, 1984, Page 19 - 56.

20. Raj Krishna Maithreyi, 'Research on women and career'. Economic & Political Weekly, Vol. XXI, No.43, Oct.22, 1986, Page 67-74.

21. Female Participation Rate in Rural Indian Economic & Political Weekly, Vol. XXII, 5051 Dec. 1987, page 2207.

22. "State and subordination of Women", Economic & Political weekly, Vol XXII, No.44, Oct., 1987.

23. "The Parenthetical Women visibility and Power, Economic & Political Weekly, Oct., 1987.

24. V.M. Dandekar, 'Integration of women in Economic Development', Economic & Political Weekly, XVII, 44, Oct.30, 1982; 1782 - 1786.

25. Gothaskar Sujatna, "Women in Drug Industry Economic & Political Weekly, Vol. XXI, No.25 & 26, June 21 - 28, 1966, Page 1100.

26. Women Technology and forms of Production; Economic & Political Weekly, Vol.XIX,No.48, Dece.1984 , Page 2022.

27. Labour Land and Rice Production ,Women's involvement in three States (Kerala,Tamil-Nadu & West Bengal) ,Economic & Political Weekly, Vol.XXII, No.17, April,25, 1987.

28. Significance of Women's Position in Tribal Society; Economic & Political Weekly , June,25, 1988.

29. Hamza Alavi - 'Pakistan; Women in changing society; Economic & Political Weekly, June 25, 1988.

30. Reservation for Women in Panchayats; Economic & Political Weekly, Vol.XXIV, No.23, June 10,1989.

31. Anup Mitra Swapna Mukhopadhyay, 'Female Labour Absorption in Construction Sector'; Economic & Political Weekly,Vol.XXIV, No.10, March, 1989, 523.

32. Lina Sen, "Women in a Revolutionary Setting ; Economic and Political Weekly, 2545, Vol.XXIV, No.46, Nov.18,1989.

33. Meena Alexander, 'Out Caste power Mutual Displacement and virile maternity in India ;

Economic and Political Weekly; Vol.XXIV, No.7, Feb.18, 1989, pp 367.

34. Babar Ali, "Rural Women Poverty and Natural Resource"; Economic & Political Weekly, Vol.XXIV, No.40, Oct 28, 1989, pp. 2443.

35. Ashok Rudra, 'Women's Studies in India; Economic & Polticial Weekly, Vol.XXIV, No.42, Oct.21, 1989, pp.2395.

36. Feminist Women's Movement and the Working Class - Lina Sen, pp 1039.
- New Perspective in Women's Work', Sujata Gothoskar, pp.1649.
- Women's Studies in India, Neera Desai, pp.1076.
Economic & Political Weekly, Vol.XXIV, No.28, July 22, 1982.

37. "We Demand Our Rights" - Refugee Women's long Journey, 1507;
Economic & Political Weekly, July 8, 1989, Vol.XXIV, No27.

38. Women Workers Seminar 'Hind Majdoor', Vol.XXIV, No.8, Sep. 1986, Page 8 - 9.

39. Canvory R. & Sudha Nagaech U.K., "Labour Force Participation in Tamil Nadu, Southern

Economist, Vol.26, No.10, Sep.15,1987,
Page 27 & 28.

40. Menta Meena, 'Urban Informed Sector', Concert of Indian Evidence and Policy Implementation; Economic & Political Weekly , Vol.XX No.8, Feb. 23 , 1985.

41. Progress of Female Literacy in India' - Yojana, Nov.16-30, 1988, Vol.32, No.21, Page 10.

42. Industries Relation', April1983, Vol.XVII, Page 569 - 587.

43. Sarda Gopalan, "Why are women lagging behind , "Kurukshetra" , Dec.1987, Vol.XXXVI, No.5.

44. Indian Historical Quarterly, Vol.XX ,Page 118.

45. History of Indian Literature, Vol.1, Page 103-268.

46. Programme for Jobs to Women; Indian Labour Journal, July,1987, Page 504.

47. Women Wage ; Joshi V.R. International Labour Review, 1968.

48. G.Ravindran Nair, 'A glimps of hope for Self Employee". Commerce Weekly , Sep.1988, Page 6.

49. Baidyanath Prasad Singh, "Need for affective utilization of women power resource in India ;

50. S.K. Singh and Ram Iqbal Singh, "Impact of Rural Dev-lopment on Economic Status of Women in U.P."
'Kurukshetra' May, 1987, page 13.

51. Summery of the r port on the result of the study of Socio Economic Conditions of Women Workers in Building and Construction Industry unorganised Sector.
Indian Labour Journal, Vol.30, Oct, 1989, p ge 1616.

52. Documentation on 3rd National Conference on Working Women; Challenge ahead. Marketology Quarterly Volume 20, No.2.

53. Ravi Rana : Science and Technology for women enterpr neurs. Social Welfare, Vol.XXXV, No.11, Feb.1989, pp.17 - 19.

54. Nair G.Ravindran : Time stands still for women form labour. Social Welfare, Vol.XXXVI, No.2, May, 1989, pp.17-19 and 26.

55. Thippaiah P., "Women Workers in urban unorganised Sector, Social Welfare, Vol.XXXVI, No.2, May,19
PP 20 - 23, and 41.

56. Kaptan S.S., 'A case study of Amaravati City. The

income wage and working conditions of women workers in the unorganised sector, Social Welfare, Vol. XXXVI, No.2, May 1989, pp 23-31 and 35.

57. Dr. Biwanath Deonant, - Gender Inequalities and Development Strategies, Yojana, Oct.15,1992, page 21.

58. Sarkar D.C., 'Integrating Women in Rural Development, Kurukshetra, Vol. XXXV, No.4, Jan, 1987, page 32 - 35.

59. Rajulan Devi A.K., "Women in Rural Industries, Kurukshetra, Vol.XXX, No.23, Sep,1 -15,1982, page 13-16.

60. Ram Nath Yadav and M.P.Azad, 'Role of Women in Allied Enterprises for Rural Development, Kurukshetra, Vol.XXXVI, Nov.1987, Page 15.

61. C.Vardhini Ranjan, 'How New Technology Affects Women Workers, Kurukshetra, Vol.XIII, No.138, July, 17, 1986.

62. Buksni P.M., 'Maternity Benefit have some Problems', Financial Express (Paper), Vol.XIII, No.138, July, 17,1986.

63. Rural Women Still under days. (Paper), Financial Express, May 9, 1990.

64. Khuleque A. and Jahan S. Afreen, ' Job rectification Mental Health and life description of working women', Indian Journal of Industrial Relation. Vol. XII, No. II, Nov. 1986, pp 363 - 372.

65. Razdan P.N., "Statutory Provisions Relating to Women Construction Workers and their Enforcement 'AWARD DIGEST', Vol. XII, No. II, Nov. 1986, pp. 363 - 372.

66. Kiser C.V., 'Changes in fertility by Socio Economic Status during 1940-50, The MMF Quarterly, Vol. 33.

67. Hussain Md. Asfark, "Exploitation of Women and Child Labour in Bidi Industry in Samserganj, 'Social Welfare,' Vol. XXXIV, No. 1, April, 1987, Page 9.

68. Usha Singh, "Programmes for Women, "A New Thrust Needed, Yojana, Vol. 34, No. 23, December 16-31, 1990.

69. Second Occupational Wage Survey, Yojana, 15-30, Aug., 1975.

70. K. Saradamoni, "Women in Employment "Low in Profile High in Discrimination", Yojana, 16th - 30 Aug., 1975.

71. Kumari Jyotsna ,"Female rural working Force needs a better deal. Yojana , Vol.32, No.8, May 1- 15,1988.

72. Dr.Biswanath Debnath ,"Gender inequality and Development Strategies, 'Yojana' ,Oct.15,1982, page 18.

73. Vijaya Ramaswamy ,"Aspect of women and work in early South India. The Indian Economic and Social History. Review Vol.XXVI, No.1, Jan,Mar, 1989, page 81.

74. Rai Singh ,'Let more women join cooperative movement' -'Yojana' July 1- 15, 1987, Vol.31, No.12.

75. Usha John, 'Let creative women develop their potential ,'Yojana', Volume 31, No.13, July 16-31, 1987.

76. Singh B.N.,' Women work Force Problems and Prospects, 'Yojana' ,Vol.33, No.4,March,1-15, 1989, pp. 15 - 17.

77. Rani Ranu, 'Science & Technology for women Enterpreneurs, Social Welfare, Vol.XXXV, No.11, Feb.,1989, pp. 17-19.

78. कविता पंत महिला कल्याण योजनाएं -प्रगति के नये आयाम "योजना "अंक 4 1-15 अप्रैल 1986 पृ0 संख्या 4.

79. उषा महाजन, देश का भविष्य बनाम नारी का उत्थान योजना अंक 4 1-15 अप्रैल 1986 पृ. सं. 6 .

80. उषा महाजन-"सातवीं योजना "में महिला कल्याण"योजना" अंक4 1-15 अप्रैल 1986 पृष्ठ सं0 8 .

81. अनिल कुमार सिंह "खादी ग्रामोद्योग और महिला रोजगार"योजना" अंक 4, 1-15 अप्रैल 1986 पृ0 सं0 13.

82. हरजीत कौर "महिलाओं के लिए व्यवसाय चयन का सवाल"अंक4, 1-15 अप्रैल 1986 पृ0 सं016 . योजना

83. बलराम दत्त शर्मा" भारत की नारी अब भी बेचारी "योजना" अंक 4, 1-15 अप्रैल 1986 पृ0 सं0 19.

84. शांता राय राव " महिला दशक कुछ उपलब्धियां "योजना अंक 4, 1-15 अप्रैल 1986 पृ0 सं021.

85. लीलावती "नारियां पुरूषों के समान सम्मान चाहती है। "योजना" अंक 19, 16-30 नवम्बर 1986 पृ0.सं.7.

86. रजनी तोमर " राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण और नारी " योजना अंक19 16-30 नवम्बर 1986 पृ0सं0 9.

87. नरेश चन्द्र जोशी" बदलते आर्थिक परिवेश में भारतीय महिलाओं की भूमिका योजना अंक 19 , 16-30 नवम्बर 1986 पृ0 11,

88. हीरा लाल जैन"15 वर्षों में महिला उत्थान का संकल्प" योजना" अंक 19, 16-30 नवम्बर 1986 पृ0सं0 14,

89. श्रीमती वर्षा तिवारी" ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता जरूरी है। योजना अंक 19, 16-30 नवम्बर 1986 पृ0 सं0 16.

90. त्रिलोकी नाथ- भारतीय महिला रोजगार के आइने में "कुरुक्षेत्र" जून 1990.,

91. सुषमा हंस" भारतीय नारी क्या पाया क्या खोया?" योजना " 15-30 नवम्बर 1988 सूचना प्रसारण मंत्रालय प्रकाशन ।

92. सुबह सिंह यादव " आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका" योजना" 15-30 नवम्बर 1988 ।

93. बलराम दत्त शर्मा - "भारत की नारी अब भी बेचारी "योजना " 1986 , 1-15 अप्रैल ।

Paper & Reports

1. Vibhuti Patel "Asian Women in the Workforce"
   The Economics Times Aug. 6, Page 8 1988.

2. Asian Women Research and Action Network Commission Report.

3. Occupational Profile of Indian Women impressive.
   Northern India Patrika Oct. 22, 1989.

4. Pradeep Kumar Saxena 'Impact of Educational Development on Employment of Women', Indian Experience.
   Paper presented at Indian Association for the study of Population IASP twelfth Annual Conference held at Allahabad 23-25th March, 1987.

. Kamla Bhasin "Poor Status of Working Women".
  Paper presented at Seminar held in Srinagar 1972.

. Sabita Guha "Women in Indian Labour Force"
  Paper Presented IASP twelfth Annual Conference March 1989.

. Limited Options to Women in Labour Market , Northern India Patrika , Jan. 10, 1990.

. Sharma : 'Women in household Industries', The Economic Times Page 5, 22nd July 1989.

. Begum Hasreen 'Position of Women in the Rigvedic Age' Paper presented at the Seminar on changing status of women. Review of Policies and plan for action held at Allahabad Feb. 1993.

0. Conclusion Recommendation of the third Annual Conference on working women Challenge Ahead June 1988.

11. Nair G. Ravindran - 'Women Workers Organisation Still a For Cry', The Economic Times Vol XIII No.200 January 13,198 Page - 3 - 8.

12. Chatterjee Leena and Chattopadhyay Gauranga 'Working Women in a Mens World , The Economic Times Vol. XIV No.197 Oct. 15, 1987 Ag. I & III.

13. Aneesha 'Why do women get Jobs' The Economic Times , Vol. XV No.7 April 7, 1988 Ap I & III.

14. Women face discriminations in handloom units : study 'The Economic Times , May 10, 1990 Page 2.

15. 'Working women Don't Count them out! The Economic Times Vol. XVI No. 107 July 16, 1989 P. 3.

16. Sharma O P. Women in Household Industry The Economic Times Vol. XVI July 22, 1989.

17. Atwal R.S. 'Sufferings of Working Women' The Hindustan Times Vol. XIII No. 173 July 1986 Page.22.

18. Unesco, and International Women's Year 1975.

19. Inderjeet Singh ' Economic Evaluation of unpaid household work'.
Paper presented on the seminar changing status of womens.: BASS Allad. Feb. 1993.

20. Chaurasia B.P. 'The Socio Economic Status of Women in India. A case study of Alighar District paper presented on the seminar. Changing Status of women organised by BASS Allahabad Feb. 1993.

21. Manoj Dayal. 'Women's Awareness through Mass Media with special reference to women's magazines. Paper presented on the seminar changing status of women organised by BASS Allahabad 1993.

22. डा. प्रहलाद कुमार एवं कु. प्रीति मिश्रा
"घरेलू कार्यों में कार्यशील महिलाओं की सहभागिता"
भारतीय आर्थिक शोध संस्थान इलाहाबाद द्वारा आयोजित संगोष्ठी, फरवरी 1993 में इलाहाबाद में प्रस्तुत प्रपत्र ।

Government Publications

1. National perspective plans for worth 1988-2000 A.D. Department of Women & Child Development Ministry of Human Resource Development Government of India 1988.

2. Census of India 1991 Paper I & II Series I.

3. Towards Equality - Report of the Committee on the Status of Women in India, Government of India, Department of Social Welfare Ministry of education and Social Welfare 1974, New Delhi.

4. India 1987 A Reference Annual 'Publications Division' Ministry of Information and Broadcasting Government of India.

5. India 1966 year plan 1966 Ministry of Information and Broadcasting Government of India Page 166 -110.

6. Report of the National Commission on Labour - Government of India , Ministry of Labour and Employment and rehabilitation 1969.
   Chapter 27 Employment of Women and Children Page. 379.

7. Indian National Commissions on Self Employed Women : Tast Force on health Report Occupational health issues of women into unorganised Sector, New Delhi Govt, of India 1988.

8. Survey Journal of the NSS Vol. XI No.4. Issue 35 April 1988.

9. Census of India 1991
   Series 25 Uttar Pradesh
   Paper I 1991 provisional population table.

- -

10. द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 पृष्ठ- .584
योजना आयोग पब्लिकेशन डिवीजन,
सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ।

11. तृतीय पंचवर्षीय योजना-पृष्ठ 752
योजना आयोग पब्लिकेशन डिवीजन
सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ।

12. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना
योजना आयोग पब्लिकेशन, भारत सरकार ।

13. पांचवी पंचवर्षीय योजना
योजना आयोग पब्लिकेशन, भारत सरकार ।

14. छठी पंचवर्षीय योजना पृष्ठ 364
योजना आयोग पब्लिकेशन, भारत सरकार ।

15. सातवीं पंचवर्षीय योजना पृष्ठ 321-322
योजना आयोग पब्लिकेशन, भारत सरकार ।

16. वार्षिक रिपोर्ट 1991
राज्य नियोजन संस्थान-अर्थ एवं संख्या
प्रभाग इलाहाबाद मण्डल ।

17. सर्वेक्षण नं0 35 वाल्यूम x।
अप्रैल 1988